

सं० 3 5] नई बिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1976 (भाव्रपद 6, 1898) No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III--खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्छ न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा म्रायोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 जुलाई 1976

प्र०

ना० मुखर्जी

मंत्रीमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) केन्द्रीय श्रन्वेषण ब्युरो

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० ए० 19034/1/76-प्रशासन-5 :---दिनांक 19 जून, 1976 से उप-केन्द्रीय श्रासूचना ग्रधिकारी, केन्द्रीय श्रंगुलि-छाप ब्यूरो, कलकत्ता का पद बदलकर पुलिस उप-ग्रधीक्षक (एफ० पी०) हो जाने पर, श्री वाई० दीक्षितूलू, उप केन्द्रीय आसूचना श्रधिकारी, केन्द्रीय श्रंगुलि-छाप ब्यूरो दिनांक 19 जून, 1976 से पुलिस उप-श्रधीक्षक (एफ० पी०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

> गुलजारी लाल श्रग्रवाल प्रशासन ग्रधिकारी (स्था०)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० ए० 35018/6/75-प्रशा०-1 :→–पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्क्षारा, गुजरात राज्य

1-216GI/76

भ्रवर सचिव (7469)

[भाग]]]--खण्ड 1

पुलिस के ग्रधिकारी श्री आई० यू० पठान को दिनांक 10-4-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग, ग्रहमदाबाद शाखा में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

> वी० पी० पाण्डे प्रशासन ग्रधिकारी कृत्ते पुलिस उप-महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना

केन्द्रीय सतर्कता ग्रायोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 1/3/76-प्रणासन——केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्-ढारा श्री यू० एस० जोशी (आई० ग्रार० एस०) उप सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, को श्रपराह्न 27 जुलाई, 1976 से अगले आदेश तक आयोग में स्थानापन्न रूप से निदेशक नियुक्त करते हैं।

> चन्द्रमणी नारायणास्वामी उप सचिव इन्हो केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पूलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० श्रो०-दो-881/69-स्थापना—-श्री सन्त राम ने उनकी बार्द्धवय की श्रायु की प्र⊧प्ति पर संयुवत सहायक निदेशक (लेखा) केन्द्रीय वेतन लेखा एकक, महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार 30-6-76 श्रपराह्म को त्याग रिया।

दिगांक 30 जुलाई 1976

सं० आे०II-147/76-स्थापनाः---राष्ट्रपति श्री पी० एन०मेहरा (श्रयकाण प्राप्त) को केन्द्रीय रिफर्व पुलिस दल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद पर आगामी ग्रादेश जारी होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

श्री मेहरा ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के महानिदेशालय नई दिल्ली में दिनांक 16-7-76 के पूर्वाह्त से सहायक कमाण्डेन्ट का कार्यभार संभाला ।

दिनॉक 31 जुलाई 1976

सं० श्रों० II-1032/75-स्थापनाः---महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस दल डाक्टर श्रीमति ज्योतसनम।य नायक को तदर्थ रूप में वेवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा ग्राधिकारी के पद पर उनको 4-7-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 2 अगस्त 1976

सं० ग्रो० II-1033/75-स्थापनाः—-महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर श्रीमति श्यामा रैना को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा ग्रधिकारी के पद पर उनको 8-6-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

सं० ग्रो० II-1040/76-स्थापनाः—–महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर एम० श्रीनिवासा रेड्डी को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्ट्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा श्रधिकारी के पद पर उनकी 16-7-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

सं० ओ० II-1038/75-स्थापनाः—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर श्रीमति ऊषा जैन को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा श्रधिकारी के पद पर उनको 21-7-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

सं० ग्रो० II/1040/76-स्थापना :----महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर चौधरी केशोरोद चन्द्रा दास को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा श्रधिकारी के पद पर उनको 19-5-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

> ए० के० बन्धोपाध्याय सहायक निदेशक प्रशासन

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 12/5/74-म० प० (प्रणा० एक) ----राष्ट्रपति, इस कार्यालय की ग्राधिसूचना सं० 12/5/74-प्रशा० एक तारीख 11 फरवरी, 1976 के ग्रनुकम में श्रीमती कृष्णा चौधरी को सहायक महापंजीकार (भाषा) के कार्यालय में भाषाबिद् के पद पर तबर्थ नियुक्ति को 12 जुलाई, 1976 से एक वर्ष की मवधि के लिए या जब तक पद नियमित माधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें से कम हो, सहर्ष भौर बढाते हैं।

दिनांक 3 ग्रगस्त 1976

सं० 25/101/72-म० प० (प्रगा० एक) — श्री डी० एम० सिंहा ने पदेन निदेशक जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद का कार्य-भार 30 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से छोड़ दिया।

> बदी नाथ भारत के उप महापंजीकार लथा पदेन उप सचिव

শাঁগ	IIIखण्ड	1	
------	---------	---	--

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग	महालेखाकार, बिहार, ग्रपने कार्यालय के श्रां प्रमय नाथ
महालेखाकार का कार्यालय, बिहार	राय स्थायी ग्रनुभाग ग्रधिकारी को इसी कार्यालय में दिनांक
रांची-834002, दिनांक 30 जुलाई, 1976	15-7-76 के पूर्वाह्न से श्रगला ग्रादेश होने तक स्थानापन्न
महालेखाकार बिहार, ग्रपने कार्यालय केश्री नागेन्द्र किशोर	लेखा श्रधिकारी के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।
मंडल स्थायी भ्रनुभाग म्रधिकारी को इसी कार्यालय में दिनांक	ह० अपठनीय
13-7-76 के पूर्वाह्न से श्रगला ग्रादेश होने तक स्थानापन्न	वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा०)
लेखा म्रधिकारी के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।	बिहार

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियंत्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 2 ग्रगस्त 1976

सं० 40011 (2) /76-प्रणा० ए० :---(1) वार्धक्य की ग्रायु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा ग्रधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के ग्रपराह्न से पेंशन स्थापना को ग्रन्सरित कर दिया जायेगा ।

क्रम सं०	नाम, रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेंशन स्थापना को ग्रन्तरण की तारीख	संगठन
	 सर्व श्री			
1.	के० लक्ष्मी नारायणन (पी०/25)	स्थायी लेखा श्रधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणो कमान, पूना ।
2.	पी० मित्रा (पी०/116)	स्थायी लेखा भ्रधिकारी	3 1- 1- 7 7	रक्षा लेखा नियंक्षक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
3.	ग्नमरेण सेन ं (पी ०/173)	स्थायी लेखा श्रधिकारी	3 1- 1- 7 7	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना) देहरादून ।
4.	बन्सी लाल ग्रान्नद (पी०/403)	स्थायी लेखा श्रधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना) देहराद्दन ।
5.	वी० के० मुत्थ् स्वामी (पी० /598)	स्थायी लेखा ग्रधिकारी	3 1- 1- 7 7	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना ।
6.	ए० के० चटर्जी (पी०/640)	स्थायी लेखा प्रधिकारी	3 1- 1- 7 7	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैंक्ट्रीज) कलकत्ता।
7.	एम० एल० धर (श्रो/392)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	3 1- 1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता ।

(2) रक्षा लेखा महा नियंत्रक, श्री बी० गोपालन स्थानापन्न लेखा ग्रधिकारी (रोस्टर संख्या ओ/45) जो कि रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी, कमान, पूना के संगठन में सेवारत थे, के 15-7-76 को हुए निधन को खेद के साथ ग्रधिसूचित करते हैं। तदनुसार श्री वी० गोपालन को 16-7-76 (पूर्वाह्न) से विभाग की नफरी से निकाल दिया गया है।

(3) सिविल सेवा विनियमावली जिल्द 1 के अनुच्छेद 459 (झ) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निघृत्ति का नोटिस दे दिये जाने पर रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ के संगठन में सेवारत श्री एच० डी० शर्मा स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर संख्या पी० 445) को 19 अक्तूबर, 1976 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा।

श्री एच० डी० शर्माको 21-6-76 से 18-10-76 तक प्रजित छुट्टी श्रीर 19-10-76 से 22-10-76 तक स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति के बाद तक ग्रार्ध वेतन छुट्टी मंजूर की गई ।

> एस० वी० सुक्रह्मण्यन्, रक्षालेखा उप महानियंत्नक

[भाग 111--खण्ड न

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात का कार्यालय

श्रायात-निर्यात व्यापार नियंत्रण (स्थापना)

नई दिल्ली, दिनांक 3 श्रगस्त, 1976

सं० 6/1141/76-प्रशासन (राज०) /5051:--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग 2 के स्थायी भ्राशुलिपिक, श्री टी० एम० राजागोपाल को जो कि वाणिज्य मंत्रालय
में कार्य कर रहे हैं, दिनांक 15 जुलाई, 1976 के दोपहर
पूर्व से भ्रागे भ्रादेश होने तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के
लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा
के दर्ग 1) के रूप में नियक्त करते हैं।

सं० 6/773/65-प्रशा० (राज) /5062:—सेवा निवृत्ति की ग्रायु होने पर, श्री वी० ग्रार० पिल्ले ने उप-मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात के कार्यालय, एर्नाकुलम में 30 जून, 1976 के दोपहर बाद से नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 6/533/58/प्रणा० (राज) /5072 :--राप्ट्रपति, श्री ए० रामचन्द्रन, केन्द्रीय सचित्रालय सेवा की प्रवरण श्रेणी के स्थानापन्न ग्रधिकारी तथा उप-मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात को दिनांक 21-5-76 (दोपहर पूर्व) से 60 दिन की श्रवधि के लिए इस कार्यालय में स्थानापन्न संयुक्त मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात के रूप में कार्य करते रहने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं।

> ए० एस० गिल मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 1976

सं० प्र०-1/1 (1052) :----राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ आधिक ग्रन्वेषक श्री ग्रार० के० सैक्सेना को दिनांक 15 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से ग्रागामी ग्रादेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय मई दिल्ली में मशीन एवुलेशन ग्रधिकारी के पद पर तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 28 जुलाई 1976

सं० प्र०-1/1 (1032) :—-राष्ट्रपति ने इस महानिदेशा-लय में ग्रास्थायी सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (पशिक्षण ग्रारक्षी) श्री जमील ब्रहमद द्वारा दिये गये त्याग पत्न को दिनांक 13-7-1976 के श्रापराह्न से स्वीकार कर लिया है।

 श्री जमील ग्रहमद ने त्यागपत्न के स्वीकार हो जाने पर इस महानिदेशालय में दिनांक 13-7-76 के ग्रपराह्न से सहायक निदेशक (ग्रेड-II) का पदभार छोड़ दिया है ताकि वे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 1975 के परिणाम के ब्राधार पर केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1/भारतीय पुलिस सेवा में चुने जाने पर लाल बहादुर णास्त्री प्रशासनिक एकडमी मंसूरी में प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट कर सकें ।

> के० एल० कोहली उप निदेशक (प्रशासन) कृ**से** महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात श्रौर खान मंत्रालय (खान विभाग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता, दिनांक 29 जुलाई, 1976

सं० 40/59/सी० /19 ए० :---श्री एस० एन० राय के तदर्थ सहायक प्रशासनिक ग्राधिकारी के पद को भारतीय भूवैज्ञा-निक सर्वेक्षण में, श्रागामी ग्रादेश होने तक 1-6-1976 के पूर्वाह्न से नियमित किया जाता है।

श्री एस०एन० राय सहायक प्रशासनिक श्रधिकारी तदर्थ नियुक्ति के पद को 10-12-1973 से संभाले हुए थे ।

सं० 2222 (ए० के० डी० जी०) /19 ए० :--भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूविज्ञान) श्री प्रनूप कुमार दास गुप्ता को उसी विभाग में सहायक भूवैज्ञा-निक के रूप में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० -40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, म्रागामी म्रादेश होने तक, 21 जुन, 1976 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

सं० 2222 (पी० ग्रार० ग्रार०) /19 ए० :---श्वी राम-किस्टा रेड्डी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञा-निक के रूप में 650 रु० माहवार के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000- द० रो० 40-1200 रु० के वेतनमान में, श्रस्थाई क्षमता में, श्रागामी श्रादेश होने तक, 16 जून, 1976 के पूर्वाह्न से नियुक्स किया जाता है।

> **वी**० के० एस० वरदन महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० स्था० 1~5117/724 एस० क्रो० एस०_ — श्री पुष्कर सिंह को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भंडार ग्रधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप बी० के भ्रस्थायी पद पर 550-25-750- द० रो० - 30-900 रु० के संगोधित वेतनमान में 12 जुलाई, 1976 पूर्वाह्य से श्रगले ग्रादेश दिए जाने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

> के० एल० खोसला, मेजर जनरल, भारत के महासर्वेक्षक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 76

सं० 11/14/76--स्मा-प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं श्रवणेष नियम, 1959 के नियम ८के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, श्रीमती देबाला मिल्ल, निदेशक (स्मारक) यह निदेश जारी करती हूं कि ताजमहल, आगरा (उ० प्र०) में निम्नलिखित तिथियां में प्रवेश निशुल्क होगा।

24 जुलाई, 1976 सायं 4 बजे से राति 12 बजे तक (ग्रर्ध, राति)

25 जुलाई, 1976 सायं 2 बजे से प्रातः 5 बजे तक (दिनांक 25/26की राब्रि)

26 जुलाई, 1976 प्रातः 7 वजे से प्रातः 4 बजे (दिनांक 26/27 रात्नि) दे० मित्र,

निदेशक (स्मारक)

भारतीय प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण विभाग

कलकत्ता- 12, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं०एफ० 70-2/74-स्थापना/ 13589:---विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के निम्नलिखित वरिष्ठ प्राणि विज्ञान सहायकों को उसी विभाग में ग्रस्थाई ग्राधार पर निर्दिष्ट दिनांकों से ग्रागामी आदेशों तक सहायक प्राणि वैज्ञानिक के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है।

1 6- 7- 7 6
1 4- 7- 7 6
1 4- 7- 7 6
डा० स० खेरा,
संयुक्त निदेषक प्रभारी
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

*ज्ञा*काशयाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० 10/13/76-स्टाफ तीनः--महानिदेशक, भ्राकाशवाणी श्री एस० एन० मंगला को 12-7-76 (पूर्वाह्न) से उच्च शक्ति प्रेषित, ग्राकाशवाणी, राजकोट में वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के पद से पदोन्नत करके सहायक इंजीनियर के संवर्ग में तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त करते हैं। सं० 10/36/76-स्टाफ-तीनः—–महानिदेशक, श्राकाण-वाणी श्री के०सी० सरकार को 9-7-76 (पूर्वाह्न) से ग्राकाश-वाणी विशाखापटनम में वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के पद से पदोन्नत करके सहायक इंजीनियर के संवर्ग में तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० 10/5/76-एस० तीनः—महानिदेशक ग्राकाशवाणी श्री एस० एस० एल० गुप्ता की वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक से सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति करते हैं एवं 7-7-76 (पूर्वाह्न) से उच्च गक्ति प्रेषित्न, जोधपुर में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

> हरजीत सिह, प्रशासन उपनिदेशक, **कृते** महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 6 (109)/63-स्टाफ एक :---महानिदेशक, म्राकाश-वाणी, एतद्ढारा श्री वी० श्राई० लोहाकरे, प्रसारण निष्पादक, म्राकाशवाणी, नागपुर को 3 जुलाई, 1976 से ग्रगले म्रादेश होने तंक ग्राकाशवाणी, नागपुर में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर म्रस्थाई रूप में नियक्त करते हैं।

सं० 6 (111) /63-स्टाफ एक :--महानिदेशक, ग्राकाश-वाणी, एतद्द्वारा श्री एस०वी० ग्रायर, प्रसारण निष्पादक, ग्राकाशवाणी, मद्रास को 7 जुलाई, 1976 से ग्रगले ग्रादेश होने तक, ग्राकाशवाणी, मद्रास में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर ग्रस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

> प्रेम कुमार सिन्हा, प्रशासन उपनिदेशक **कृसे म**हानिदेशक

दूरदर्शन महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1976

सं० ऐ० 19012/37/76-एस० -2 :--महानिदेशक दूर-दर्शन, श्री जी०सी० गर्ग, वरिष्ट इंजीनियरी सहायक को 29-6-76 के पूर्वाह्न से ग्रगले श्रादेश होने तक दूरदर्शन केन्द्र, लख-नऊ में सहायक ग्रभियन्ता स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

> रा० कं० खट्टर, प्रशासन उपनिदेशक **कृरो** महानिदेशक

7473

स्वास्थ्यं सेवा महानिदेशांलय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 76

सं० ए० 32012/4/76-(एस० जे०) एडमिन-1 :---स्वा-स्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री एम० एम० संगोई को 30 जून, 1976 के पूर्वाह्न से तथा ग्रागामी ग्रादेशों तक सफदरजंग ग्रस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर ग्रस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

सं० ए० 11013/2/76 (एच० क्यु०) एडमिन-1:---स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक नेश्री ए० के०श्रीवास्तव को 25 जून, 1976 के पूर्वाह्न से तथा श्रागामी श्रादेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तकनीकी श्रधिकारी के पद पर तदर्थ श्राधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 32012/2/76 (एस० जे०)-एडमिन-1 :---स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में लेखाकार श्री खूबचन्द को 28 जून, 1976 के पूर्वाह्न से ग्रागामी आदेशों तक उसी अस्पताल में सहायक प्रशासनिक ग्रधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

सं० ए० 32012/2/76 (एस० जे०) एडमिन-1 :--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदरजंग ग्रस्पताल, नई दिल्ली में गोपनीय सहायक श्री जसबन्त राम को 28 जून, 1976 के पूर्वाह्न से ग्रागामी ग्रादेशों तक उसी ग्रस्पताल में सहायक प्रशासनिक ग्रधिकारी के पद पर तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 12022/1/76 (सी०एस० एस० एस०) / एडमिन-1:----राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य श्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय के संवर्ग के एक ग्रेड-2 ग्राशुलिपिक श्री एस० के० चौधरी को 15 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से तीन महीनों की श्रवधि के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (केन्द्रीय सचिवालय श्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 22013/2/76-एडमिन-1 :---राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी ग्रधिकारी श्री पी० एल० जोशी को 9 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से 31 जुलाई, 1976 के श्रपराह्न तक 23 दिन की श्रवधि के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में स्थानापन्न रूप से नियक्त किया है।

राष्ट्रपति ने उपर्युक्त भ्रवधि के लिए श्री पी० ऐल० जोशी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन के पद पर भी नियुक्त किया है।

दिनांक 2 श्रगस्त 1976

सं० 9-21/75-एडमिन-1 :---राष्ट्रपति ने कुमारी हझ्मत हक को 17 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से तथा ग्रागामी भ्रादेशों तक राजकुमारी श्रमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ प्राध्यापक (भ्रवरित शिक्षा) के पद पर ग्रस्थायी रूप से नियुक्त किया है। कुमारी हश्मत हक ने वरिष्ठ प्राध्यापक (अवरित शिक्षा) के पद पर श्रपनी नियुक्ति हो जाने पर 17 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से उसी महाविद्यालय में वरिष्ठ टयूटर के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 3 ग्रगस्त 1976

सं० 28-12/70-एडमिन-1:---डा० कृष्ण मोहन, सहायक निदेशक (नान मेडिकल-पशु चिकित्सक) कला-ग्रजर यूनिट, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, पटना ने 17 मार्च, 1976 से 31 मार्च, 1976 तक की भ्रवधि के लिए ग्रजित छुट्टी पर जाते समय 15 मार्च, 1976 के अपराह्न को भ्रपने पद का कार्यभार छोड़ दिया। (16 मार्च, को सरकारी छुट्टी थी)।

र्श्वाजित छुट्टी समाप्त होने पर डा० कृष्ण मोहन एक अप्रैल, 1976 से ग्रपने मूल विभाग नामतः कुश्रि, पशुपालन एवं सह-कारिता (पशुपालन), बिहार सरकार पटना को प्रत्यावर्तित हो गए ।

> सूरज प्रकाश जिन्दल उपनिदेशक, प्रशासन

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई विल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1976

सं० ए० 32013/9/75-ई० एस० :---राष्टरपति ने निरीक्षक कार्यालय, बम्बई के श्री के० हिम्मत सिंह, विमान निरीक्षण, को 7 मई, 1976 से 20 मई, 1976 तक की श्रवधि के लिए तदर्थ ग्राधार पर ग्रीर 21 मई, 1976 से तथा ग्रगले ग्रादेश होने तक, नियमित ग्राधार पर उसी कार्यालय में वरिष्ठ निरी-क्षक के पद पर नियुक्त किया हैं।

दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० ए० 32013/3/75-ई० सी० :---इस विभाग की 22 जून, 1976 की समसंख्यक ग्रधिसूचना की ऋमसंख्या 2 के स्थान पर नीचे लिखा पढ़ा जाए :---

क्र॰सं॰ नाम	तैनाती	स्टेशन	
2. श्री वी० के० वर्मा			बम्बई क्षेत्र, बम्बई -57

सं० ए० 32013/8/76-ई० सी० :----राष्टपति ने क्षेत्नीय निदेशक, मद्रास क्षेत्न, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास के कार्यालय के श्री एच० एन० ग्रय्यर, वरिष्ठ संचार ग्रधिकारी को 18 ग्रप्रैल, 1976 से तथा ग्रगले भ्रादेग होने तक तदर्थ भ्राधार पर नियंत्रक संचार, वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास के पद पर नियक्त किया है ।

> हरबंस लाल कोहली, उपनिदेशक प्रशासन

भाग III — खण्ड 1]

नई	दिल्ली,	दिनांभ	22	जुलाई	1976
----	---------	--------	----	-------	------

सं० ए० 19014/169/72 ई० एच० — राष्ट्रपति ने भारतीय सांख्यिकी सेवा ग्रेड 4 के एक श्रधिकारी डा० पी० सी०माथुर को 1 जुलाई, 1976 (पूर्वाह्न) से तथा श्रगले आदेश होने दक इस कार्यालय में सांख्यिकी ग्रधिकारी के पद पर नियुक्त किया हैं।

> टी० एस० श्रीनिवासन सहायक निदेशक प्रशासन

वन ग्रनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून, दिनांक 29 जुलाई, 1976

सं० 16/115/67-स्थापना-1: — मूलभूत नियम 56 (जे०) के ब्राधीन दिए गए तीन मास के नोटिस की ग्रथधि पूरी हो जाने पर श्री मदन मोहन सिंह, सहायक मापिकी ग्रधिकारी, वन ग्रनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, 30-6-1976 के ग्रपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए ।

> हीराबल्लभ जोशी कुल सचिव

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

पटना, दिनांक 22 जुलाई, 1976

मि० सं० 11(7) 5-स्था/75/6814 :--भारत सरकार, राजस्व एवं बैंकिंग विभाग नई दिल्ली के ग्रादेश सं० 87/76 दिनांक 10-6-76 जो पत्न सं० एफ० ए० 22012/19/76-ए० डी० - II दिनांक 10-6-76 तथा इस कार्यालय के स्थापना यादेश सं० 180/76 दिनांक 16 6-76 जिसके द्वारा इस समाह-र्तालय के तीन ग्रधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क श्रेणी 'ब०' को 700-40-900- द० रो० 40-1100-50-1300 रू० के वेतनमान सहायक समाहर्ता (निम्न वेतनमान) ग्रधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद /सीमा शुल्क श्रेणी 'ग्र' के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था इसके मनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों ने तदतद स्थानों में उनके नाम के समक्ष दिखाई गई तिथियों भौर समय पर सहायक समाहर्ला, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

क्रमांक नाम	पद स्थापना के स्थान	कार्यभार ग्रहण- करने की तिथि
1	2	3
1. श्री एस० बी० शरण	सहा० समा० (छुट्ट्रें/ रिजर्व) (सतकर्ता एवं कल्याप के० उ० म० पटना	1 8- 6- 7 6 (पूर्वाह्न) ग

1	2	3
2. श्री एस० एस० वर्मा	सहायक सभा० के० उ०धनबाद	30-6-76 (पूर्वाह्न)
3. श्री एस० पी० गुप्ता	सहायक समाहर्ता (तक- नीकी) केन्द्रीय उत्पाद (मु०) पटना	18-6-76 (पूर्वाह्न)

मधुरे, दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० 1/76 :----केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्तालय मदुरै के निमन लिखित कार्यालय प्रधीक्षकों को अगले ग्रादेश होने तक स्थानापन्न रूप से प्रशासनिक श्रधिकारी के पद पर रू० 650-30-740-35-810 द० रो. 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 के वेतनमान में नियुक्त किये गये हैं। स्थान ग्रीर कार्यभार संभालने की तारीख निम्न प्रकार है।

भधिकारी का नाम	नियुक्त स्थान	कार्य भार तारीख
सर्वश्री		
1. ए० जे० रत्ने स्वामि	श्रघीक्षक एम० श्रो० ग्रार० डिण्डुक्कल	11- 2-7 6
2. एस० तमबुराज	म्रश्वीक्षक डिण्डुक्कल प्रिवन्टी गुरुष	21-6-76
3. एस० गामसन डेविड	भ्रश्वीक्षक नागपटनम	23-6-76
4. सि० मासीर वातम	अर्धक्षिक पलनि एस० म्रो० म्रार	2 5- 6- 7 6
5. ए० डी० प्रकाश चन्द्रन	म्रधीक्षक प्रिवन्टी गुरुप डिण्ड ुक्क ल	30-6 -7 6
6. वि० ए० एम० षेक मोहम्मड	<mark>ग्रधी</mark> क्षक रामनातपुरम	30-6-76
7. एस० एम० कादर हुसेन	ग्रधीक्षक तिस्नेलवेखि ───────	24-7-76

एम० एस० सुब्रहमणियम समाहर्ता भारत का राजपत्न, अगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)

[भाग III--खण्ड 1

नौबहन और परिवहन मंत्रालय,

(नव तूतीकोरिन पत्तन)

नवतूतीकोरिन 628004, दिनांक 28 मई 1976

सं० ए० 22013/(1)/76/प्रशा० / डी० /408--भुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक/ नव तूतीकोरिन पत्तन, नव तूतीकोरिन पत्तन में कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) श्री एम० मुनीयान्दी को पदोन्नति पर 19-5-76 (पूर्वाह्व) से ग्रगला ग्रादेश होने तक के लिए 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सहायक इंजीनियर (यांत्रिक) नियुक्त करते हैं ।

> डी० ग्राई० पाल मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

प्रमुख इंजीनियर कार्यालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1976

सं० 27-सी०/एन० (2)/74-ई० सी०-11—–केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित प्रधिकारी बार्धक्य की ग्रायु प्राप्त करने पर 31-7-1976 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :––

	 वर्तमान पदनाम
 सर्वश्री	
1. स्वामी दयाल	मुख्य इंजीनियर (खाद्य), के० लो० नि० विभाग, नई दिल्ली ।
2. वी० नारापन्	मुख्य इंजीनियर (मूल्यन) श्रायकर विभाग, नई दिल्ली
3. ग्रार० ऐस ० माथुर	म्राधीक्षक इंजीनियर (पूछताछ), के०का, के०लो०नि० वि०, नई _{दिल्} ली
4. निर्मल सिंह	निर्माण सर्वेक्षक, <mark>अधीक्षक निर्माण</mark> सर्वेक्षक कार्यालय (दिल्ली प्रणासन) नई दिल्ली ।
5. डी० के० जैन	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कार्य- पालक इंजीनियर ।
6. बी० जी०पालसीकर	कार्यंपालक इंजीनियर (मूल्यन), ग्रायकर विभाग, बम्बई ।

पी० एस० पारवानी प्रणासन उप-निदेशक रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 1976

सं० 74/श्रार० ई० /161/1----सर्व साधारण के सूचनार्थ यह श्रधियूचित किया जाता है कि मध्य रेलवे के मनमाड, खाद्ययान्न साइंडिंग खण्ड पर 25 किलोवाट ऐसी विद्युत्त कर्षण के चालू करने के सिलसिले में सभी समपारों पर ऊंचाई के श्रामान लगाये गये हैं जिनकी सड़क तल से स्पष्ट ऊंचाई 4.67 मीटर है, ताकि अत्यधिक ऊंचाई के लोड्स का विजलीयुक्त कर्षण तारों के सम्पर्क में श्राने श्रथवा इतना समीप धाने से रोका जा सके, जिससे कोई खतरा हो । जनता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बाहनों के लदान के प्रयोजन के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊंचाई का ध्यान रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सड़क वाहनों में ढोया जाने वाला भार किसी भी स्थिति में ऊंचाई ग्रामान का उल्लघंन न करें ।

अत्यधिक ऊंचाई वाले लदान में निम्नलिखित खतरे निहित हैं:---

- (1) ऊंचाई श्रामान को खतरा जिससे सड़क तथा रेलवे लाइन पर रुकावट हो जायगी।
- (2) ढोया जाने वाला सामान या उपकरण या स्वयं वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- (3) सक्रिय तारों के साथ छूजाने या खतरें की परिधि में ग्रा जाने के कारण ग्राग लग सकती है जिससे जीवन को खतरा हो सकता है।

बी० मोहन्ती सचिव, रेलवे बोर्ड

म्रन्संधान ग्रभिकल्प श्रौर मानक संगठन

लखनऊ-11, दिनांक 29 जुलाई, 76

सं० ए० पी० सी० /196---श्री हंसराज सिंह, सहायक को 17-5-76 से 9-7-76 तक ग्रनुभाग ग्रधिकारी (स्थापना-4), ग्रनुसंधान ग्रभिकल्प ग्रीर मानक संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया।

> गोपी नाथ भट्टाचार्य महानिदेशक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 1976

सं० 12—–इस रेलवे के श्री पी० एन० सूद स्थानापन्न ग्रपर मुख्य इंजीनियर (योजना) 30-4-1974 श्रपराह्न से रेल सेवा से श्रन्तिम रूप से सेवा निवृत्त हो गये हैं। ╏ भाग JII--खण्ड 1]

दिनांक 29 जुलाई, 1976

सं० 16 ---भण्डार विभाग उत्तर रेलवे श्रेणी दो के ग्रधिकारी, श्री डी०पी० नाग, 31-5-76 को श्रन्तिम रूप से रेल सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

> ए० सी० मिश्रा महाप्रबन्धक

विधि, न्याय ग्रोर कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी ग्रधिनियम, 1956 श्रोर सम्बलपुर फ्रेण्डस सीमेन्ट इन्टरप्राइजरस प्राईवेट लिमिटेड

कटक, दिनांक जुलाई 1976

सं० 552/76/1370 (2) — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के श्रवसान पर सम्बलपुर फ्रेण्डस सीमेन्ट इन्टरप्राइजरस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा श्रौर उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी म्रधिनियम, 1956 और एन० जी० कूर्सान्गो अएण्ड मानुग्रर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

कटक, दिनांक जुलाई 1976

सं० 183/76/1371(2) — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्ढ़ारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर एन० जी० कूसीन्गो एण्ड मानूश्रर मिल्स, प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

> सी० श्रार० दास कम्पनियों का रजिस्ट्रार उड़ीसा

कम्पनीं ग्रम्निनियम की धारा 445 (2) के ग्रन्तर्गत सूचना ग्रीर दि० काटन ट्रेंडरस् प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, के सम्बन्ध में

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० 383/ लिक्वी/2119 ---कम्पनी ग्राधिनियम की धारा 445 (2) के ग्रन्तर्गत सूचित किया जाता है कि दि० काटन ट्रेडरस् प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर (इन लिक्वी) का माध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बैंच ग्वालियर के ग्रादेश दिनांक 28-6-76 के द्वारा परिसमापन करने का ग्रादेश दिया है तथा शासकीय परिसमापक इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया है ।

> सत्य प्रकाण तायल कम्पनी रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सरस्वती मोटर ट्रान्सपोर्ट कंम्पनी लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 2754/560(5)/76—कम्पनी ग्रधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि सरस्वती मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनीं लिमिटेड का नाम श्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी म्रधिनियम, 1956 म्रौर सेलम श्री कन्निका परमेण्वरी क्यांक लिमिटेड के विषय में

मदास, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 2793/560 (5) /76 — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्ढारा सूचना दी जाती है कि सेलम श्री कन्निका परमेख्वरी ब्यांक लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है श्रीर उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

> पी० भास्कर राव कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार तमिलनाडु

कार्यालय ग्रायकर ग्रायुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1976

मावेश

संब जुरि-दिल्ली/5/75-76/5200 ---इस विषय पर पहले के सभी ग्रावेशों में संशोधन करते हुए ग्रीर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) ढारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निवेश देते हैं कि नीचे दी गई प्रनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट आयकर प्रधिकारी उक्त ग्रनुसूची के कालम -3 में बताए गए व्यक्तियों या व्यक्तियों के बगों, आय या आय के बगों तथा मामलों या मामलों के बगों के संबंध में प्रपने कार्य करेंगे । इनमें वे व्यक्ति या व्यक्तियों के बगों, आय या आय के बगों तथा मामले या मामलों 2--216GI/76

शामिल नहीं है जो उक्त श्रधिनियम, की धारा 127 या धारा 124की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी दूसरे श्रायकर अधिकारी को सौंपे गए हों या इसके बाद सौंपे जाएं :----

यह श्रधिसूचना 1-6-76 से लागू होगी।

श्रनुसूची				
कैम सं०	ग्रायकर श्रधिकारी का पदनाम	ग्रधिकार-क्षेत्र	क्षेत्र	
1	2	3	4	
1.	ग्रायकर ग्रधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (16), नई दिल्ली ।	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस ग्रनु- सूची के कालम-4 में निर्दिष्ट- किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम, ग्रंग्रेजी के 'सी' 'डी' 'के' 'एल' 'यू' श्रौर 'वी' ग्रक्षरों से शुरु होता हो । ख/ उपर्युक्त मद (क) के श्रन्तर्गत	सं० 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66 के प्रन्तर्गत ग्राने वाला क्षेत्र अर्थात तिमारपुर, सोहन- गंज, ब्रार्थपुरा, रोशनारा एक्सटेंशन और विजय नगर।	
		ग्राने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति ।		
2.	ग्रायकर ग्रधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (12),	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस प्रनु- सूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम श्रंग्रेजी के 'ए' 'बी' श्रीर 'एक' श्रक्षरों से शुरू होता हो ।	वही	
		ख/ उपर्युक्त मद (क) के श्रन्तर्गत ग्राने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति ।		
3.	ग्रायकर म्रधिकारी, डिस्ट्रिक्ट - 2 (13), नई दिल्ली ।	4 क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस प्रनुसूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र]में रह रहा हों, जिसका नाम ग्रंग्रेजी के 'एम', 'एन' ग्रौर 'ग्रो' ग्रक्षरों से शुरू होता है।		
		ख/ उपर्युक्त मद (क) के श्रन्तर्गत श्राने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति ।		

भाग 111--खण्ड 1]

1	2	3	4
4.	म्रायकर ग्रधिकारी, डिस्ट्रिक्ट - 2 (14), नई दिल्लो ।	 क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस यनु- सूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम ग्रंग्रेजी के 'ई', 'पी' 'क्यू', 'ग्रार', 'डब्ल्यू', 'एक्स', 'बाई', ग्रीर 'जैंड' ग्रक्षरों से शुरू होता हो । ख/ उपर्युक्त मद (क) के ग्रन्तर्गत ग्राने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति । 	दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, व 66 के ग्रन्तर्गत माने वाला क्षेत्र प्रर्थात तिमार पुर, सोहन- गंज, स्रार्थपुरा, रोषनग्रारा एक्सटेंशन ग्रौर विजय नगर ।
5.	ग्रायकर ग्रधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (15), नई दिल्ली ।	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस ग्रनु- सूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम ध्रंग्रेजी के 'एस' ध्रौर 'टी' प्राक्षरों मे शुरू होता हो ।	
		ख/ उपर्यक्त मद (क) के अन्तर्गत श्राने वाली फर्मों को सभी साझेदार ब्यक्ति ।	

स० जुरि/दिल्ला-रज-5 ए० /74-75/5066 ----श्रीयकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) ढारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त श्रन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रायकर श्रायुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 1-6-76 से डिस्ट्रिक्ट-2 में निम्नलिखित सर्किल बनाया जायेगा।

1/डिस्ट्रिक्ट-2 (16), नई दिल्ली ।

दिनांक 5 जून 1976

द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रायकर ग्रायुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 31-10-1975 की श्रधिसूचना सं० जुरि, दिल्ली/5/75-76/ 18863 के ग्रन्तर्गत बनाया गया निम्नलिखित ग्रायकर सकिल दिनांक 4-6-76 से समाप्त हो जायेगा।

1. डिस्ट्रिक्ट 4(8), नई दिल्ली । (एडीशनल)

सं० जुरि-दिल्ली/5/76-77/10240—-इस विषय पर पहले के सभी आदेशों का अधिकमण करते हुए और आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनूसूची के कालम-2 में निदिष्ट आयकर अधिकारी उक्त अनुसूची के कालम-3 में बताए गए व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गो और मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेंगे। इनमें वे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्गों और मामलों के वर्ग के वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेंगे। इनमें वे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग और मामले या मामलों के वर्ग

7480

भारत का राजपत, ग्रंगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)

[भाग III---खण्ड 1

.

ग्रनुसूची				
क्रम सं०	श्रायकर श्रधिकारी का पदनाम	श्रधिकार-क्षेत्र	क्षेत्र	
1	2	3	4	
1.	ग्रायकर म्रधिकारी, डाक्टर सर्किल-1, नई दिल्ली ।	क/ एलोपैथी, होमियोपैथी, यूनानी, ग्रायुर्वेदिक या किसी अन्य चिकि- त्सा पढति के मेडिकल प्रैक्टिशनर, रेडियोलाजिस्ट श्रौर पैथोला- जिस्ट का कारोबार या पेशा करने वाले व्यक्तियों के सभी मामले, जो डाक्टर सर्किल, नई दिल्ली के अधि- कार क्षेत्र में आते हों, यदि पिछली कर-निर्धारित/विवरणी में दिखाई गई ग्राय 1-6-76 को 20,000 रु० तक हो ।		
		ख/ उपर्युक्त मद (क) के श्रन्तर्गत श्राने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति ।		
		ग/ उपर्युक्त मद (क) श्रौर (ख) के ग्रन्तर्गत श्राने वाली फर्मों के सभी नए निर्धारिती ।		
2.	ग्रायकर ग्रधिकारी, डाक्टर सकिल-2, नई दिल्ली ।	क/ एलोपँथी, होमियोपैथी, यूनानो, ग्रायुर्वेदिक या किसी म्रन्य चिकित्सा पढ़ति के मेडिकल प्रैक्टीणनर, रेडियोलाजिस्ट ग्रौर पैथोलाजिस्ट का कारोबार या पेशा करने वाले व्यक्तियों के सभी मामले, जो डाक्टर सकिल, नई दिल्ली के ग्रधि- कार-क्षेत्र में ग्राते हों, यदि पिछली कर निर्धारित/वियरणी में दिखाई गई ग्राय 1-6-76 को 20,000 रु० से ग्रधिक हो ।	-वहो	
		ख/ उपर्युक्ता मद (क) के अन्तर्गत ग्राने वाली फर्मों के सभी साझेदार क्ष्यक्ति ।	–वही–	
		ग/ उपर्युक्त मद (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाली सभी नए निर्धारिती।	–वहीं–	
		घ/ म्रायकर म्रायुक्त द्वारा म्रायकर म्रधिनियम को धारा 127 के म्रान्तर्गत पहले से ही सौंपे गए मामले।	-वही -	

L	2	3	4
3.	ग्रायकर ग्रधिकारी डिस्ट्रिक्ट-4 (1), नई दिल्ली ।	के कालम-4 में निदिष्ट किसों भी 17,18 क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा 22 के कर रहा हो या जिसके कारोवार क्षेत्र प्रथ या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी महल, छ भी क्षेत्र में हो, या जो उक्त किसी दरवाजा	गल वार्ड सं० 8 , 19, 20, 21 ग्रौर श्रन्तर्गत ग्राने वाला ति दरियागंज, मटिय रुत्तालाल मियां, लाल , सुईवालान, कूच ग्रौर कलां मसजिद
		ख/ उपर्युक्त मद (क) के ग्रन्तर्गत ग्राने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति ।	-वहो
		ग/ उपर्युक्त मद (क) फ्रौर (ख) के श्रन्तर्गत म्राने वाले नए निर्धारिती ।	–वही–
		घ/ ग्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 128 के क्रन्तर्गत सौंपे गए सभी मामले ।	-बही-
4.	स्रायकर य्रधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-4 (6) एडीणनल, नई दिल्ली ।	भी क्षेत्र में कोई कारोबार 22 के यापेशा कर रहा हो याजिसके क्षेत्र प्रथ कारोबार यापेशे का मुख्य स्थान महल, छ	, 19, 20, 21 ग्रौ श्रन्तर्गत श्राने वाल त दरियागंज, मटिय ता लाल मियां, लाल , सुईवालान, कूच
		पन हो। ख/ उपर्युक्त मद (क) के ग्रन्तर्गत ग्राने बाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति । उपर्युक्त मद (क) ग्रौर (ख) के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले सभी नए निर्धा- रिसी ।	बही,

यह श्रधिसूचना 4-6-1976 से लागू होगी।

एस० डी० मनचन्दा, ग्रायकर ग्रायुक्त दिल्ली- 5,नई दिल्ली

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०......

प्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के म्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 8 जुलाई, 1976

निदेण नं० श्रर्जन/1138/ग्रागरा/ 76-77/ 692 :—— ग्रतः मुझे, विजय भार्गेत्र,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-- इपए से प्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० श्रनुसूची के श्रनुसार है तथा जो श्रनुसूची के श्रनुसार में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रागरा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 31-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रति-फल के लिये अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है श्रौर अन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीख ऐसे झन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त झन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के प्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के प्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातु:---- (1) श्रीमती सुशीला गौड़ पत्नी श्री केदार नाथ गौड़ नि० 3/18, नगला ढाकरान निकट सुभाष पार्क सिविल लाइन्स म्रागरा।

(भ्रन्तरक)

(2) उर्मिला गुलाटी परनी श्री सुभाष चन्द गुलाटी निवासी हींग मण्डी, श्रागरा।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की भ्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपस्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति, द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पक्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम, के ब्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्रचल सम्पत्ति 3/18, जिसकी माप 621 वर्गगज है जो सुभाष पार्क महात्मा गांधी रोड ग्रागरा में स्थित हैइसका हस्तान्तरण 25,000 में किया गया है।

> विजय भार्गव, सक्षम प्राधिकारी_{ष्ट्र} सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपूर

तारीख : 8:7-76 मोहर : प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

ग्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपूर, दिनांक 30 जुलाई, 1976

निवेश नं० म्रर्जन/829/कानपुर/75-76/874 ः— श्रतः मुझे, विजय भार्गेव,

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम, प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (श्रीर इससे उपाबड अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 22-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिषत से ग्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ध्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ध्रधिनियम के ध्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बखने में सुविधा के लिए; ध्रौर/ या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या श्रम्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रतः, म्रब उक्त म्रधिनियम, की घारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, उक्त म्रधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के म्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, म्रथति् :---

- (1) श्री रजनीण कुमार ग्ररोरा पुत्र श्री ग्रोम प्रकाण नि० 122/50, कबाड़ी मार्केंट, कानपुर (2)
 श्री ग्रातम जीत सिंह पुत्र सरदार नानक सिंह नि० बम्बा रोड गुमटी नं० 5 कानपुर ।
 (3) श्री शची भूषण घोष पुत्र ग्रविनाण चन्द्र घोष नि० जे० के० कालोनी, कानपुर ।
 (भ्रान्तरक)
- (2) श्री ग्रब्दुल कलाम पुत्न स्व० श्री हाजी ग्रब्दुल रजाक निवासी 90/17 इफ्तखाराबाद, कानपुर । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी म्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी भ्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों स्रौर पदों का, जो उवत श्रधि-नियम, के श्रध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही शर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ग्रचल सम्पत्ति ग्रराजी नं० 266 व ग्राबादी व नम्बरी 264, रकबा, 11 विस्वा स्थित मौजा वाजीदपुर उर्फ जाजमऊ, कानपुर इसका हस्तान्तरण 11,000/- में किया गया है।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 30-7-76 मोहर । प्रारूप म्राई० टी० एन० एस०---

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के प्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 30 जुलाई, 1976

निदेश नं० 822/एई० म्रर्जन/ कानपुर/75-76/873 :---म्रतः मुझे, विजय भार्गेव,

ग्रायकर ग्रधिनिथम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त ग्रधिनिथम' क्हा गया है), की धारा 269ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० ग्रनुसूची के श्रनुसार है तथा जो श्रनुसूची के ग्रनुसार स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 20-11-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बोजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिणत से श्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर ग्रन्तरितीं (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्स ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ढारा प्रयट नहीं पिया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः, अब उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उप धारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथति :--- (1) श्री रजनीण कुमार अरोड़ा पुत्र श्री म्रोम प्रकाश अरोड़ा निवासी 122/50, कबाड़ी मार्केट, कानपुर। 2. सं० ग्रात्मजीत सिंह पुत्र सं० नानक सिंह नि० बम्बा रोड गुमटी, नं० 5, कानपुर।

3. श्री शची भूषण घोष पुत श्री अविनाश चन्द्र घोष निवासी जे० के० कालोनी कानपुर । (ग्रन्तरक)

 (2) श्रीमती मु॰ नौशाबा खातून पत्नी श्री इम्तियाज ग्रहमद निवासी 42/36-ए शीतला बाजार जाजमऊ, कानपुर ।
 2. श्री सोयब ग्रहमद पुत्र श्री मुख्तार ग्रहमद निवासी 41/35, शीतला बाजार, जाजमऊ । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप-

- (क) इस सूचना के राजपम्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध विसीं म्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रघोह्स्ता-क्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पक्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त गब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त अधि-नियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही भर्ष होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ग्रचल सम्पत्ति खसरा नं० 265 सी० जिसकी माप एक बीघा है जो वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ कानपुर में स्थित है इसका हस्तान्तरण 22,000/- रुपये में किया गया है । विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 30-7-76 मोहर :

7485

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

द्यायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 18 मई 1976

संं० ग्रार० ए० सी० सं० एक्यू० 335 जे० नं० 179/के० म्रार० ----यतः मूक्षे, बि वि० सुब्बाराव, आयकर

प्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चास् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है ग्रोर जिसकी सं० नं० 27-10-18 रक्षय्या गल्ली है, जो बकिंगहाम पेट में स्थित है (श्रोर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, विजीयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 15-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित आजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दागिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी थ्राय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों, को जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः श्रव, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात् :---3--216 GI/76 (1) गल्लाकडो लेबोरेटरीज (ईडिया) लिमिटेड डा० श्रन्निबिसेंट रोड, वॉलि बंबई (ग्रन्तरक)

(2) दि० के० सि० पि० लिमिटेड रामकृष्ण बिल्डिंगस,
 38, अन्ना सलाइ, मद्रास ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की छवधि या तत्सम्बन्धी ध्यवित्यों पर सूचना की तामील से 30 दिन की छवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबग्र किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त क्रब्दों झौर पदों का, जो उक्त झश्चि-नियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसची

विजयवाड़ा रिजिस्ट्री ग्रधिकारी से 15-12-75 पाक्षक भ्रन्त में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3621/75 में निगमित श्रनुसूची सम्पत्ति ।

> बिं० विं० सुब्बाराव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 18-5-76 मोहर :

भाग III---खण्ड 1

ं प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

झायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष(1) के झधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

```
ग्रर्जन रेंज, काकिनाडा
```

काकिनाडा, दिनांक 2 जुलाई 1976

संव्यारवएव सीव नव 343 -----यतः मुझे, बिव्यिव सुब्बाराय,

ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परूचात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मूल्य 25,000/- ३० से ग्रधिक है

भौर जिसकी सं० 12-25-202 है, जो कोरापेट गुन्टुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपायद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, गुन्टुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 27-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ब्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्सियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त ग्रधिनियम' या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: ग्रब, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के प्रनु-सरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा(1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात;---- (1) श्रीमति पूर्णम मीनाक्षी, प० वैंकटराम कृष्णना सार्यी मुसिलीपटनम् । (ग्रन्तरक)

(2) श्री डा० गनेसूनि परमधामय्य पि० पजय्य कोरापेट, गन्टूर । (ग्रम्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए

उम्त सम्पत्ति के म्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः--

कार्यवाहियां करता हं।

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पच्छीकरणः :— इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुन्टूर रिजिस्ट्री ग्रधिकारी से पाक्षिक ग्रन्त 30-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 5871/75 में निगमित ग्रनुसूची सम्पत्ति ।

> बि० वि० सुल्वाराग सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 2-7-76 मोहर : प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 फा 43) की धारा 269ष(1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 5 जुलाई 1976

सं० ग्रार० ए० सी० नं० 346 :---यत: मुझे, बि० वि० सुब्धाराव,

भायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से श्रधिक है

भौर जिसकी सं० 179 सी०/-बी० 2 है, जो गनपवरम विलेन में स्थित है (भ्रौर इसे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित र), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी ने कार्यालय, चिलकलू-रिपेट में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 10-12-1975 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिपल से ऐसे दृश्यमान प्रतिपत्ल का पन्द्रह प्रतिशत श्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; क्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत ग्रधिनियम, या धनकर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः श्रव, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269ग के ग्रनु-सरण में, में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 थ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्षातु:---

- (1) 1. सदिनेनि चौदरया
 - 2. नक्षपनेनि वेंकटरसनम
 - गोट्टिपति प्रसाद राव
 - 4. मुरकोंड केसवराव गनपवराम (ग्रन्तरक)
- (2) 1. श्री जि० वि० कस्तूरी नायडु कोयमबटूर
 - 2. श्रीमती सुगुण सरस्वती कोयमबटूर
 - कुमारी वेंकट लक्ष्मी कोयमबटूर
 - 4. ग्रार० लक्ष्मी श्रम्माल तिरूपुर
 - एम० विसाल श्री० तिरूपुर
 - के० सुकीर्त मनी तिरूपुर (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त संपत्ति के झर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---.

- (क), इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की शवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बक्ष किसी श्रम्य ध्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्वब्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो 'उक्त ग्रधिनियम के प्रध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस भष्टयाय में दिया गया है।

अमुसूची

चिलकलूर पेट रिजिस्ट्री श्रधिकारी से पाक्षिक झन्त 15-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज गं० 5788/75 में निगमित बनुसूची सम्पत्ति ।

> बि० वि० सुब्बाराव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 5-7-76ं मोहर :

[भाग III--खण्ड

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०---

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 8 जुलाई 1976

सं० ग्रार० ए० सी० नं० 347 :---यतः मुझे, बि० वि० सम्बर्धाराव,

भायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से प्रधिक है,

ग्नौर जिसकी सं० 312 ग्नौर 313 है, जो मल्लवरम ग्राम में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबढ़ प्रनुसूची में ग्नौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, काकि-नाडा, में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिये ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है ग्रौर श्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिये क्षय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त श्रधि-तियम के श्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी प्राय था किसी धन या ग्रन्थ श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर श्रधिनियम 1922 (1922 का 11), या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ श्रन्सरिली द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

भ्रतः, ग्रब उक्त भ्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त भ्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीम, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थातुः--- (1) 1. श्री विल्ला बेंकट कोंड्रय्या पिता : कोंडलराव
2. श्री विल्ला सुख्वाराथ पिता : कोंडलराव
3. श्रीमती विल्ला कोंडम्मा पति : वेंकट सुख्वाराथ
4. श्री विल्ला राम बाबु पिता : वेंकट सुख्वाराथ
5. श्री विल्ला नारयण राघ मां : कोंडम्मा
6. श्री विल्ला कोंडल राव पिता : वेंकट कोडय्या
7. श्री विल्ला कोंडल राव पिता : वेंकट कोडय्या
7. श्री विल्ला कोंडल राव पिता : वेंकट कोडय्या
8. श्री विल्ला कोंडल राव पिता : सुब्बाराव
9. श्री विल्ला नागेक्वर राव पिता : सुब्बाराव
10. श्री विल्ला ग्राग्तेवर राव पिता : सुब्बाराव
10. श्री विल्ला ग्राग्तेवराय पिता : सुब्बाराव
10. श्री विल्ला ग्राक्तिराय पिता : सुब्बाराव, सभी मल्लवरम ग्राम, काकिनाडा तालुक तर० गो० जिले
(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती चिंतलपूष्टि सूर्यवति पति : सत्तैया नीलपल्लि (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकागन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

काकिनाडा रजिरट्री श्रधिकारी से पाक्षिक ग्रन्त 31-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 661.9/75 में निगमित श्रनुसूची सम्पत्ति ।

> बि० वि० सुब्बाराव सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख: 8-7-76 मोहर: प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

भ्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 को 43) की धारा 269-घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 13 जुलाई 1976

सं० भ्रार० ए० सी० नं० 348 :---यतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव,

ध्रायकर घ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के घ्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से प्रधिक है

श्रोर जिसकी सं० 1-2-7 गांधीनगर है, जो श्रनकापल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रनकापल्ली में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 का (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 23-12-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत म्राधिक है श्रौर म्रन्तरक (म्रन्तरकों) श्रौर मन्तरिती (म्रन्तरितियों) के बीच ऐसे म्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त म्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूबिधा के लिए;

ध्रतः ध्रब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थातु :--- (1) 1. श्री सुरभि बाबुराव पिता : पापाराव ,
 2. श्रीनिवास पिता : बाबुराव
 3. उदय कुमार पिता बाबुराव, गांधी नगर ग्रनका-पल्ली

(ग्रन्तरक)

(2) श्री चल्लावेंकट सुब्बा रायुडु पिताः सुब्बारायुडु
 भीमलापुरम, नर्सपूर तालुक

(ग्रन्तरिती)

(3) श्रीमती ए० वि० सत्यवाणि गाँधीनगर , ग्रनकापल्ली
 (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीत्तर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य ध्यषित द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त णब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

श्रनकापल्ली रिजिस्ट्री श्रधिकारी से पाक्षिक श्रन्त 31-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 5160/75 में निगमति श्रनुसूची सम्पत्ति ।

> बि० वि० सुब्बाराव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीखः 13-7-76 मोहरः भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1976

सं० म्रार० ए० सी० नं० 350 :----यतः मुझे, बि० वि० सुम्बाराय,

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'जक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के भ्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-क्ष्पए से ग्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० ग्रार० एस० नं० 66/3 है, जो पेदपल-पुर में स्थित है (ग्नौर इससे सपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्नौर पूर्ण रूप से से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा, में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 29-12-1975

को धूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है श्रोर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रोर भन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्स अधिनियम, के अधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ध ग्रन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीम, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथात् :---

- (1) 1. मनयम सूर्यनारायण, पेनुगोंडा
 - 2. मनयम वेंकटस्वराराव पिता : जगन्नादम
 - 3. मनयम सत्यानारायण पेंनुगोंडा
 - 4. मनयम भास्करराव पेंनुगोंडा
 - 5. मनयम वेंकटस्वराराव पिताः हनुमंतराज्ञ
 - चदलावाडा राम कृष्ण ऐलूरु

(ग्रन्तरक)

- (2) 1. श्रीमती बोपन्ना राजेस्वरम्मा पेदपलपररु
 - 2. श्रीमती विजय लक्ष्मी पेदपलपररू
 - 3. श्रीमसी उमादेवी पेदपलपररू
 - श्रीमती वीरमाचनेनी कमला कुमारी पेदपलपररू
 - श्री दोनेपूडी रामचन्द्रराव पेदपलपररू
 - 6. श्री दोनेपूडी जगनमेहनराव पेदपलपररू
 - श्री दोनेपूडी नागेस्बराराव पेदपलपररू
 - 8. श्री दोनेपूडी सत्यनारायण पेदपलपररू
 - 9. श्री जिपरिनेनी नागेस्वरराव पेदपलपररू

(म्रन्तरिती)

(3) श्री राजा राजेस्वरी रेस मिल कनस्ट्रकन्शन कम्पनी, पेदापलापररु ।

(वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी म्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रायधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे ।
- स्थव्धीकरणः⊶–इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस ग्रब्याय में दिया गया है ।

अमुसूची

गुडिवाडा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक झन्त 31-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3930/75 में निगमित श्रनुसूची सम्पत्ति ।

> बि० वि० सुब्बाराव सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर प्रा**युक्**त (निरीक्षण) प्रर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख 💷 28-7-76

मोहरः

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकॉर

कार्यालय, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-II दिल्ली-1 4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली नई दिल्ली-1, दिनांक 2 मई 1976

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी० /एक्यु०/11/1188/76-77----ग्रतः, मुझे, एस० एन० एल० ग्रग्रवाल,

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त ग्रधिनियम कहा गया है) की धारा 269 घ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूत्य 25,000 रुपए से ग्रधिक है

श्रोर जिसक सं० सी-26 है, तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध झनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्टी-करण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख दिसम्बर 1975

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्थ, उसके दूश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीम कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय झायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुषिधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उन्त श्रधिनियम की धारा 269 ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त ब्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के ब्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ब्रथीत् :---- 1. श्रीमती सीतावन्ती, पत्नी श्री दर्शन लाल, निवासी सी-107, रघबीर नगर, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली 1 (ग्रन्तरक)

2. श्रीमती जनक रानी, पत्नी श्री मदन साल, निवासी ए-43, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली (2) श्री एम० सी० झौबराए, सुपुत्र श्री बिशन दास ग्रोबराए, निवासी बी-3/14, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-1 (श्रम्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी ध्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिमियम, के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ़ीहोल्ड प्लाट जिसका नं० 26, ब्लाक नं० 'सी' है ग्रीर क्षेत्रफल 167 वर्ग गज है, बाली नगर कालौनी, नई दिल्ली में है । यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :----

पूर्षः रोड़ पश्चिम सर्विस लेन उत्तरः प्लाटनं०सी-27 दक्षिणः प्लाटनं०सी-25।

> एस० एन० एल० ग्रग्नवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज-11, दिल्ली, नई दिल्ली–1

तारीख : 20 मई 1976 मोहर ; प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज -11 दिल्ली-1 4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 मई 1976

निर्देश सं० म्राई० ए० सी० /एक्यु ०/11/1189/76-77----ग्रतः, मुझे, एस० एन० एल० ग्रग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम श्रधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से श्रधिक है श्रोर जिसकी सं० एफ-9 है तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है (श्रोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख दिसम्बर 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरिप्त की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रीर श्रन्तरक (ग्रन्तरकों)ग्रीर श्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी म्राय की बाबत, उक्त म्राधि-नियम, के म्राधीन कर देने के म्रन्तरक के क्षायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या श्रन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धनकर ग्रधि-नियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

धतः श्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 269 ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त श्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों श्रथीत्:---- 1. श्री राम गुप्ता, सुपुन्न श्री डिप्ट्री मल, निवासी 142, बजार पैरा मल, मेरठ राजधानी, (यू० पी०) (ब्रन्तरक)

2 श्री ग्रोम प्रकाश तनेज़ा, सुपुख़ श्री भोला राम तनेजा, निवासी 4/37, डब्ल्यू० ई०ए०, करौल थाग, नई दिल्ली (ग्रन्सरिसी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करसा हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी झाक्षेप----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख के 45 विन की श्रवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।
 - (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंशवद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे !

स्पष्टीकरण—–इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक्त श्रधि≁ नियम के श्रध्याय 20 क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस भ्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक फ़ीहोल्ड प्लाट जिसका नं० 9, ब्लाक नं० 'एफ' है ग्रौर क्षेत्नफल 200 वर्ग गज है, बाली नगर, नई दिल्ली में है । यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्वः प्लाट नं०एफ-10 पश्चिमः प्लाट नं० एफ-8 उत्तरः रोड़ 30 फुट दक्षिणः लेन 15 फुट ।

> एस० एन० एल० अग्रयवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज 11, दिल्सी, नई दिल्ली-1

तारीख 20 मई 1976 मोहर ; प्ररूप भ्राई० टी० एन०एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्गं, नई दिल्ली।

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 जून 1976

ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पग्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी, को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है,

श्रौर जिसकी सं० प्लाट न० 25 (उत्तर) म्युनिसिपस नं० 5686 है तथा जो बस्ती हरफुल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्टीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख जनवरी 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित काजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के क्षीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिये; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

ध्रतः अब उक्त भ्रधिनियम की धारा 269-गके मनुसरण में, मैं, उक्त म्रधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, स्रर्थात्:--- श्री अग्रतर चन्द बतरा, सुपुन श्री भगवान दास (2) श्रीमती शीला रानी, पत्नी श्री ग्रतर चन्द बतरा (3) श्रशोक कुमार बतरा, सुपुन श्री श्रतर चन्द बतरा, निवासी 5, ईस्ट पार्क ब्यू, करौल बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती कमला रानी, पत्नी श्री जे० एल० सूरी, निवासी 12 (साउथ) बस्ती हरफुल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली । (ग्रन्तरिती)

3. मैं० एस० सी० बतरा एण्ड सण्स, 1050 पान मण्डी, सदर बाजार, दिल्ली (2) एस० एल० चड्दा, निवासी 5686, बस्ती हरफुल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली। (वह व्यक्ति जिसके भ्रधिभोग मं सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के क्रर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पब्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्वों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढ़ाई मंजिला पक्की बनी बिल्डिंग जिसमें बरसाती भी है, म्युनिसिपल नं० 5686, प्लाट नं० 25 (उत्तर), वार्ड नं० 14 है, बस्ती हरफुल सिंह , सदर बाजार, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :---

पूर्व : स्ट्रीट पश्चिम : रोड़ उत्तर : प्लाट/भाग ए, श्री गुरूं नानक सतसंग सभा के द्वारा श्रपनाई गई है (मालिक), बस्ती हरफूल सिंह । दक्षिण : प्लाट नं० 24 (दक्षिण) ।

> एस० एन० एल० ग्रग्नवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 18 जून 1976 मोहर :

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के भ्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14 फ, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1976

निर्देश सं० म्राई० ए० सी० /एक्यु०/ II / 1193/76-77/:----म्रतः मुझे, एस० एन० एन० श्रग्रवाल

मायकर म्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त म्राधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रू० से ग्राधिक है

थ्रौर जिसकी सं० ई०-39 है तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ़ अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से र्वाणत है), रजिस्टीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख दिसम्बर, 1975 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (ग्रन्तरकों) और ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में युविधा के सिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथति :--- (1) श्री हरभजन सिंह, सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी– सी०-21, बाली नगर, नई दिल्ली ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री राजीन्द्र सिंह तथा चरणजीत सिंह, सुपुत श्री कस्तूरी लाल दुगल, निवासी 13-ए/20, डब्ल्यू० ई०ए०, करौल बाग, नई दिल्ली। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के क्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्थ्धीकरणः :-----इसमें प्रयुक्त गब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 20--क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 244.5 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुन्ना है, जोकि तीन तरफ से खुला है, जिसका नं० ई-39 (ई०-39) है, बाली नगर, की फ़ीहोल्ड कालौनी, नई दिल्ली में है।यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है:---

```
पूर्व 30 फुंट की सड़क
पश्चिम प्लाट नं० 40
उत्तर 30 फुट की सड़क
दक्षिण लेन
```

एस० एन० एल० ग्रग्नवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18 जून, 1976 मोहर : ्रप्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ष (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांलय, सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

```
ग्रर्जन रेंज III दिल्ली - 1
```

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1976

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यु०/IIJ/एस० ग्रार०-III/ दिसम्बर/465(1)/75–76/1763 :---ग्रतः मुझे, एस० सी०--परीजा,

सहायक ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम', कहा गया है), को धारा 269ख, के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

और जिसकी सं० 18, फ्लैट नं० 15 है, तथा जो डब्ल्यू० ई० ए, करौल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 17-12-1975 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रहप्रतिशत से श्रधिक है श्रौर श्रन्तरकां) श्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के प्रघोन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी थ्राय या किसी धन या थ्रन्य थ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः श्रब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथति:---- (1) श्री ताराचन्द, चौपड़ा, सुपुत्न स्वर्गीय नानक चन्द चौपड़ा, निवासी 18/16, डब्लू० ई० ए०, करौल बाग, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री सुरिन्द्र कुमार चौपड़ा, सुपुत्न श्री तारा चन्द, चौपड़ा, निवासी 18/16, डब्ल्यू० ई० ए०, करौल बाग, नई दिल्ली ।

(भ्रन्तरिती)

(3) मै० चौपड़ा एन्टरप्राइसिस (2) श्री एन० के० चौपड़ा, (3) श्रीमती उषा किरन चौपड़ा, सभी निवासी 15/18, डब्ल्यू० ई० ए०, करौल आग, नई दिल्ली ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के श्रर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि,जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्थ व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो 'उक्त श्रधिनियम' के श्रध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान जिसका क्षेत्रफल 240 बर्गगज है, श्रौर जोकि फ्लैटनं० 15 पर, ब्लाक नं० 18, वैस्टर्न एक्स-टैक्शन एरिया, करौल बाग, नई दिल्ली में है, श्रौर खसरा नं० 785/787, म्युनिसिपल नं० 10019, वार्ड नं० 16 है सथा जोकि निम्न प्रकार से स्थित है :---

पूर्व : फ्लैट नं० 14 (मकान) पश्चिम : फ्लैट नं० 16 (मकान) उत्तर : गली दक्षिण : र्सविस रो**ड**

> एस० सी० परीजा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 27~7–1976 मोहर :

प्ररूप ग्राई∘ टी• एन० एस०-----

ग्रायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

सं० म्रार० ए० सी० 137/76-77:---यतः मुझे, के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से ग्रधिक है

श्रोर जिसकी सं० मलगी नं० श्रार०-15 पहलसता धर नं० 4-1-938 / ग्रार० 15 है, जो हैदराबाद में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय तिलक रोड हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 15-12-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिये प्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिपत्ल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिपत्ल के पन्द्रह प्रतिणत से ग्रधिक है ग्रौर अन्तरक (अन्तरकों) ग्रौर धन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिपत्ल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखत में घास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय कर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थातु :--- (1) श्री कैलाश चरन घर नं० 21-2-547 चारकमान हैदराबाद ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री बी० सुनंदरारामी रेडी निवासी धापल रोड हैदराबाद (2) श्रीमती पी० ईश्वर लक्ष्मी निवासी ग्राशोकनगर हैंदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्थोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि था तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ध्रन्य ध्यवित द्वारा, ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त णक्दों ग्रौर पदों को, जो उक्त श्रधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति : मलगी नं० ग्रार०-15 पहली सतापर घर नं० 4-1-938/ श्रार०-15 तिलक रोड हैंक्रराबाद ।

> के० एस० वेंकटरामन सक्षम प्रधिकार्र सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज, हैंदराबाल्

तारीख : 6-8-1976 मोहर : प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

ग्रायकर श्रविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार 🗠

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-1 कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 6 ग्रेगस्त 1976

निर्देण सं० टि० ग्रार० 233/सि०-231/कल०-I/75-76:---ग्रतः मुझे. स० क० चक्रवर्ती,

आयकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 269ख के श्रधीन सक्षम श्रधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से श्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० 165/1 है तथा जो बैठक खाना रोड कल० में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमैन्ट प्रेस नार्थ में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 4-12-76

को पूर्वोक्षत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्ययमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्ययमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिपात से अधिक है श्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे घन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्ष्त ग्रन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथिल नहीं किया गया है---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धनकर प्रधि-नियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रव उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 व की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थात् :--- (1) श्रीमति कृष्णा चटाजि

(2) 1. कलि कुमार कुनडु2. पारबती प्रसाद मण्डल

(श्रन्तरिती)

(ग्रन्तरक)

(3) 1. श्री सिवनाथ हालदार 2 श्री सूरज साहा श्रीमती राधिका देवी 3. श्री गया प्रसाद साहा 4. श्री जयदेव साहा 5. श्री राम-सरक राय 6. श्री परमा गोयाला 7. श्री त्नीभुवन माहातो 8. श्री बैंजनाथ स 9. श्री जनाव ग्रानयार उल्ला 10. श्री महावीर साहा 11. श्री जीव पुजन साहा 12 श्री सहदेव दास 13. श्री नाथा गोयाला 14. श्री राम साहा 15. मोहन लाल बनार्जिज 16. श्री हरिनाथ दुबे 16. श्री सुनील प्र० गुप्त 18. श्री राम लक्ष्मन गुप्त 19. श्री मुनेश्वर गोयाला 20. श्री रामेश्वर 21. श्री राम लक्ष्मन 22. श्री जयदेव खान 23. श्री नागिना गोयाला 24. श्री सखीचन्द स 25. श्री लालु पंडित 165/1, बैठक खाना रोड, कलकत्ता-91 (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्य-वाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की ग्रवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राज पत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त गम्धों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधि-नियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ध्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

165/1, बैठकखाना रोड कलकत्ता में अवस्थित लगभग 5 कट्टा जमिन पर एक तल्ला और दो तल्ला ईट का मकान ।

> सं० क'० चत्रवर्सी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1 54, रफी ग्रहमद किदवई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 6-8-1976 मोहर :

[भाग III---खण्ड 1

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निदेश सं० टि० घ्रार० 234/सि० 230/कल०-1/75-76:----घ्रतः मझे, स०क० चकबर्ती

भ्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त भ्रधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से भ्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० 19 है तथा जो कीक रो. कलकत्ता में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेन्ट प्रेस कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का का 16) के ग्रधीन, तारीख 5-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए ग्रन्सरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिग्नत से श्रधिक है ग्रौर झन्तरक (झन्सरकों) ग्रौर झन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त झन्तरण लिखिस में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्रायकी बाबस, उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायिरव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर ग्राधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्राधनियम, या धन कर ग्राधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः भव, उक्त प्रधिनियम की धारा 269 ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269 घ की उपघारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थात् :---- (1) श्री मणजक्षा बोस

(भ्रन्तरक)

(2) कमारी उर्मिला राय

(भ्रन्तरिती)

(3) 1. ग्रनिल कुमार बोस 2. सि० डोयाढसन, (3) सि० हि० रिगो, (4) मिस पि० डि० रिगो (5) हिरालाल चौधरी

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्राधिनियम के ग्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

19 क्रीक रोड कलकत्ता में ग्रब स्थित ग्रांसिक एक तल्ला और ग्रांसिक दो तल्ला निवास का मंजिल जो चार कठ्ठा 2 छटांक 37 वर्गफीट जमीन पर ग्रब स्थित है।

> स० क० चकवर्ती सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1 54, रफी श्रहमद किदवाई रोड,कलकत्ता-16

तारीख : 6-8-1976 मोहर : प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

म्नर्जन रेंज 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004 पूना-411004, दिनांक 25 जून 1976

ग्रायकर ग्रथिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से ग्रधिक है

भौर जिसकी सं० नं० 1420 बी० भौर 1452 भ्र० /2 है तथा जो सदाग्निव पेठ, पूना में स्थित है, (भ्रौर इससे उपाबड अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, हवेली-1 पूना में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख दिसम्बर, 1975

को पूर्वोवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और भन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ध्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त घ्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय-कर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: अब उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के झनुसरण में, मैं, उनत ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रर्थातु:----

(1) श्री जे० एम० जोशी श्री ग्र० जे० ओशी 1420, सदाशिव पेठ, पूना-30

(भ्रन्सरक)

(2) श्री प्रभु श्रीराम सहकारी गृहरचना संस्था प्रतिदिन 1420 सदाशिव पेठ, पूना-30

(ग्रन्तरिती)

(3) वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

1. श्रीकृष्णा निलकण्ठ पाटिल 2. श्री श्रीमान महादेव करंदीकर 3. सौ० मुधा लक्ष्मन काशीकर 4. श्रीमती यमुनाबाई नारायण जोशी 5. श्री रामचन्द्र भास्कर करेंमबेलकर 6. श्री विनायक नारयण कारौडिकर 7. श्री चन्द्रशेखर माधव पोतनिस 8. श्री मधुसुदन रामचन्द्र ठाकर 8. श्री जगदीश गंगाधर बापट 10. श्री सत्याबोध रंगराव हिंदूकेरूर 11. सौ० शुभदा श्रीधर वादम्खुरकर 12. श्री श्रीपाद लक्ष्मण भावे 13. श्री सुधीर विश्वनाथ गन्द्र 14. श्री विश्वनाथ दत्तात्नय देशपांडे 15. सौ० उषा व्यंकटेश हुपरी-कर 16. श्री माधव रामकृष्ण भुशरीफ 17. ग्रविनाश नारा-यण सोमण 19. श्री मोहन रामचन्द्र वैध श्रीमति ग्रनुराधा धनश्याम ने ने सभी रहने वाले 1420 बी, 1452/ग्र०/2 सदाशिव पे०, पूना-30

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी ध्ययितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त णब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फी होल्ड लैंड श्रौर इसके उपर मकान, लैंड क्षेत्रफल 3411 वर्ग फीट, सी० एम० ऋ० 1420-बी, श्रौर 1452श्र०/2, खजीना महाल लेन, सदाग्निव पेठ, पूना-30

(जैसे की रजिस्ट्रीक्वत विलेख क० 2365 दिसम्बर, 75 में सब रजिस्ट्रार हवेली-1 पूना के दफ्तर में लिखा है)

> व्ही० एस० गायनोंड सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना

तारीख : 25-6-1976 मोहर : प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०---

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज 90/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना दिनांक, 22 जुलाई 1976,

निर्देश सं० सी० ए० 5/ दिसम्बर, 75/श्रीरामपुर / 290/ 76-77 :-----यतः मुझे, व्ही० एस० गायनोंङ

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है),की धारा 269 ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/--रुपए से ग्रधिक है

भ्रौर जिसकी सं० सी० एस० क० 1975 है, तथा जो श्रीरामपुर में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद अनुसूची मे म्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रीरामपुर मे, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्बोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है झौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऎसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है झौर ग्रन्तरक (अन्तरकों) झौर श्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्सरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, 'उक्स ग्रधिनियम' के प्रधीन कर देने के ग्रन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्स ग्रधिनियम', या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना घाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए ।

ग्रतः ग्रब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित थ्यक्तियों, प्रार्थात :---

- 1. श्री कृष्ण लक्ष्मणराव सरोदे
 श्री मरलीधर लक्ष्मणराव सरोदे सभी र
 - श्री मुरलीधर लक्ष्मणराव सरोदे सभी रहने वाले श्रीरामपुर

(भ्रन्तरक)

(2) 1. श्री हीरा लाल फकीर चन्द चुडीवाल
2. श्री भागचन्द फकीर चन्द चुडीवाल
3. श्री मोती लाल फकीर चन्द चुडीवाल
4. श्री रमेश जनार्दन टेकावडे
5. श्री राम जनार्दन टेकावडे
6. श्री ऋनुराज बालासाहेब टकावडे ग्रज्ञान, पालन कर्ता श्रीमती उषाराजे बालासाहेब टेकावडे, सभी रहने वाले श्री रामपूर

(भ्रन्तरिती)

को[,] यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यवितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यवितयों में से किसी व्यवित द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी प्रान्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पद्धीकरणः :----इसमें प्रयुक्त घब्दों ग्रौर पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के श्रध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फी-होल्ड खुली जगह, सीटी सर्वे क० 1987 म्युनिसिपल वार्ड क० 7, श्रीरामपुर म्युनिसिपल कक्षा में, श्रीरामपुर, क्षेन्नफल 20 गूंठे (जैसे की रजिस्ट्रीक्रुत विलेख क० 1250 दिसम्बर, 1975 में सब रजिस्ट्रार श्रीरामपुर के दफ्तर में लिखा है) क्ही० एस० गायनोंड सक्षम प्राधिकारी सहायक घायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज पूना तारीख : 22-7-1976 मोहर : भाग 111--खण्ड 1]

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के ब्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, २०/६१ एरंडवना, कर्वे रोड, पूना ४११००४

पूना, दिनांक 9 ग्रगस्त, 1976

निर्देश सं० सी० ए० 5/कोल्हापुर / दिसम्बर, 75 /293/-76-77:–यतः मुझे, व्ही० एस० गायनोंडे

धायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के ग्रधीन सक्षम, प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० नं० ग्रफ० नं० 119 है तथा जो कोल्हा-पुर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय कोल्हापुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रघीन, 6-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है श्रीर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रीर अन्तरिती (ग्रन्त-रितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करना या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रर्थात् :---5---216GI/76

- (1) 1. श्री निलकंठ बालापा माणगांवे
 2. श्री शिवकुमार निलकंठ माणगांवे
 3. श्री ग्रशोक निलकंठ माणगांवे
 4. श्री दिलीप निलकंठ माणगांवे
 सभी रहने वाले सी० एम० क० 1141, सांडक्स एक्स्टेन्शन, कोल्हापुर
 (ग्रन्तरक)
 (2) श्री निलकंठ शंकर टकले, ब्लाक कं० 37, रूईकर
- (2) श्रा ानलकठ शकर टकल, ब्लाक ऋ० 37, रूइकर कालनी, ई० -वार्ड, कोल्हापुर (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ब्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ब्रवधि जो भी ब्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- **स्पष्टीकरणः**—–इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदो का, जो उक्त क्रधि-नियम, के ग्रध्याय 20-क मे यथा परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड मकान ब्लॉक क० 119, श्री शाह मार्केट यार्ड इ-वार्ड, कोल्हापुर ,

क्षेत्रफल 90'imes47'symp 3609 वर्गफीट = 374.37 वर्ग मीटर्स मकान-70'imes40' ग्रौर रोड 40'imes20'

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख ऋ० 3634 दिसम्बर, 75 में सब रजिस्ट्रार कोल्हापुर के दफ्तर में लिखा है)

> व्ही० एस० गायनोंडे सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

तारीख: 9-8-1976 मोहर:

[भाग]] --खण्ड 1

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 41004

पूना, दिनांक 9 ग्रगरत, 1976

निदेश सं० सी० ए० 5/कोल्हापुर/दिसम्बर, 75/294/-76-77:---यत: मुझे, व्ही० एय० गायनोंडें

श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (ज़िसे इसमें इसके पक्ष्चात् 'उनत श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के झधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्ष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/~ रुपये से ग्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० सी०टी० एस० 613/सी० है तथा जो कोल्हापुर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ड्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय कोल्हापुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, 24-22-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुष्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुष्यमान प्रतिपत्ल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (अन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्सरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निग्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें, भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्षत ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्सरिती क्वारा प्रकट नहीं किया गय। या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत:, श्रब उक्त भ्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातु:---- (1) 1. श्री वासुदेव गजानन सबनीस 2. श्री दोपेग्ढ़ वासुदेव सबनीस प्लाट क० 28-ई-वॉर्ड, प्रतिभानगर, कोल्हापुर

(ग्रन्तरक)

(2) श्री बाबूराम बलवन्त मुघले 613-सी०, गली क्र० 1, शाहुपुरी, कोल्हापुर

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्मवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के क्रर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप:

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीक्षर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से विसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त घब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

फी होल्ड प्रांपर्टी सी० टी० एस० क 613-सी० , गली क० 1 वॉर्ड-ई, शाहुपुरी, कोल्हापुर क्षेत्रफल — 542.6 वर्ग मीटर्स में से 285.30 वर्ग

मीटर्स मकान बांधा हुन्ना 1914-1915 में

मेन बिल्डिंग नकमजला ---1715 वर्गफीट मेन बिल्डिंग---पाहिठा मजला ---1715 वर्ग फीट इनर ---नकमजला ---376 धर्ग फीट

> व्ही० एस० गायनोंडे सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

तारीख : 9-8-1976 मोहर : प्ररूप ग्राई० दी० एन० एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-I, ग्रहमादाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 31 जुलाई, 76

निदेश सं० ए०सी० क्यू० - 2 3-I-949(469)/1-1/75-76-----यतः मुझे, जे० कथूरिया

ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के स्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

म्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 350-6, है, जो दाणीलोम्डा, ग्रहमदाबाद में स्थित है, (म्रौर इससे उपायद्ध श्रनुसूची में म्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, म्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के म्रधीन 29-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूक्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भ्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत श्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (अन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उवत श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रिधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) एसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त प्रधिनियम' या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: ग्रब उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा(1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात्:--- (1) 1 श्रीमती मणीबेन विधवाश्री गोरधनभाई शामलभाई

- श्री विषनुभाई गोरधनभाई,
- 3. जसुमतीबेन विषनुभाई,
- 4. विद्याबेन नवीनचन्द्र , दाणी लोम्डा, भ्रहमदाबाद (ग्रन्तरक)
- (2) ग्याम कबाड़ी मार्केट एसोशियेशन, की आरे से :--प्रमुख:---सेठ ग्यामदास करमचन्द निहारीका पार्क, बहाई सेन्टर, शाहपुर, ग्रहमदाबाद।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बधी व्यवितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत व्यवितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पारुटीकरणः---६समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त ग्राधिनियम के श्रध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 5082 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 350-6 है तथा जो दाणीलोम्डा, प्रहमदाबाद में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमवाबाद

तारीख : 31-7-76 मोहर :

भाग 111--खण्ड 🐴

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०------

ग्रायकर ब्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-व (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 31 जुलाई, 76

निदेण सं० ए० सी० क्यू -- 23-I-825 (485) /15-1/ 75-76 :--यतः मुझे, जे० कथूरिया

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम, कहा गया है),की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

ग्नौर जिसको सं० सर्वे नं० 117, 118, 119, प्लाट नं० 24, 25 (भाग), 49 से 56 तक है, जो सुभाष नगर, न्यू एरोडरोम रोड, भावनगर में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में म्रौरुपूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता म्रधिकारी के कार्यालय, भावनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन 29-12-75

को पूर्थोवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण कि यथापूर्योक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिगत से ग्रधिक है ग्रौर प्रन्तरक (अन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, 'उक्त ग्रधिनियम', के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी धन या म्रन्य म्रास्तियों, को जिन्हें भारतीय म्राय-कर म्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'ज्रक्त म्रधिनियम', या धन-कर म्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ म्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथति् :--- (1) श्रीमती मदाकिनी बेन भोगीलाल, भाडेवानी गली, भावनगर।

(ग्रन्तरक)

(2) संतोष पार्कं को० स्रोप० हार्ऊसिंग सोसायटी लि० मेहता गली, मोधी फली, भावनगर । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचनाजारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करसाहुं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाव में समाप्त होती हो, के भौंसर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो 'उक्त ग्रधिनियम', के घध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कृल क्षेत्रफल 4760 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 117, 118, 119, सब प्लाट नं० 24, 25 (भाग) तथा 49से 56तक है तथा जो सुभाष नगर, न्यू एरोडरोम रोड, भावनगर में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 31-7-76 मोहर : प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०-------

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269 घ(1) के म्रघीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-I श्रहमादाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 ग्रगस्त, 76

श्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्थात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),की धारा 269 ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रुपए से ग्रधिक है

भ्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 72-2 ए०, 72-1 (भाग) एफ० पी० नं० 213, 214, (भाग), सब प्लाट -7, टी० पी० एस० -8, है, जो ग्रसाखा, ग्रहमदाबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 15-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उखित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से ग्रधिक है श्रौर स्रन्तरक (स्रन्तरकों) श्रौर प्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे स्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ध्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त श्रधि-नियम, के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी घन या श्रन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27)के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः श्रव उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 घूकी उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रयति :--- (1) श्री विरेन्द्र बबाभाई, सरकारी गुदामों के पास, शाही बाग, ग्रहमदाबाद।

(ग्रन्तरक)

- (2) 1. भारतीबेन बलदेवभाई पटेल, 4-पारवती नगर,
 श्रसाखा, ग्रहमदाबाद ।
 - श्री रामभाई शिवरामदास पटेल, 6-पारवती नगर, ग्रसारवा, ग्रहमदाबाद।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 541 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 72-2-ए, 72-1 (भाग) एफ० पी० नं० 213, 214 (भाग) सब प्लाट नं० 7, टी०पी एस० नं० 8 है, तथा जो श्रसारवा, श्रहमदाबाद में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमवाबाद

प्ररूप आई०टी०एन० एत०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के क्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

भ्रहमदाबाद, दिनांक 6 श्रगस्त, 76

निदेश सं०ए०सी०क्यू० 2 3-I-1 1 1 3 (489) / 1-1/75-76 —–यतः मुझे, जे० कथूरिया

भ्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 फा 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 72-2-ए, 72-1 (भाग), एफ० पी० नं० 213, 214 (भाग) सब प्लाट-15 टी० पी० एस-8 है जो असारवा, अहमदांबाद में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, 30-12-75 को पूर्धोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृण्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विष्ठवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूण्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृण्यमान प्रतिफल का पन्छह प्रतिगत ग्रधिक है ग्रीर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) और श्रन्तरिती (ग्रन्तरतियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देण्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत 'उक्त ग्रधिनियम' के प्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऎसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त भ्रधिनियम', या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः ग्रव उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, 'उक्त म्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात्:--- (1) श्री विरेन्द्र बंबाभाई सरकारी गुदामों के पास, शाहीबाग, ग्रहमदाबाद ।

(ग्रन्तरक)

 (2) 1. श्री रवीन्द्र भाई पुरुषोत्तम दास व्यास, 3, रंग सुजलम सोसायटी श्रंकुर रोड, नारायणपुरा, श्रहसदाबाद।
 2. मनोरमाबेन नटवर लाल, गुरजर वी पोल, प्रांतीज डिस्ट्रिक्ट, साबरकांठा

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तासील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः⊸–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त स्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 553 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 72-2-ए, 72-1 (भाग) एफ० पी० नं० 213, 214 (भाग) सब प्लाट नं० 15, टी० पी० एस० नं० 8 है तथा जो म्रसारवा, म्रहमदाबाद में स्थित है।

> जै० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

7507

प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस० ' · · · · · '

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 6 श्रगस्त 1976

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उनत अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के स्रधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 /- रुपए से अधिक है

ग्नौर जिसकी सं० सर्वे नं० 154-ए, 154-बी, है, जो नरोडा, ग्रहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, 2-12-75

को पूर्वोवत सम्पत्ति के उचित बजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रति-फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथ पूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूर्रय, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे द्र्य्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बावत, उक्त श्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या अन्य भ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रव उनत ग्रधिनियम की धारा 269 ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त श्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रर्थात् :--- (1) श्री मगनलाल रछोडलाल पटेल, 2-बी, मस्कती मार्केट, ग्रहमदाबाद ।

(ध्रन्तरक)

(2) मैंसर्स शक्ति क्रिक्स वर्क्स (फर्म) न्या 'जी' नार्ड के पास, कुबेर नगर, ग्रहमदाबाद।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रजैन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः---६समें प्रयुक्त शब्दों श्रोर पदों का, जो उक्त अधिनियम के ग्रध्याय 20 क में परि-भाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 5542 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 154-ए, 154 बी०, है तथा जो नरोडा, ग्रहमदाबाद में स्थित है तथा जिसकी बिक्री 2-12-1975 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 19367 द्वारा की गयी है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर आयुक्त निरीक्षण श्रर्जन रेंज-I ग्रहमदाबाद

भारत का राजपन्न, ग्रगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)

[भाग III---खण्ड 1

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०

ग्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक स्रायकर म्रायुक्स (निरीक्षण)

ग्नर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 6 श्रगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू०- 23-I- 11 (15 (491) / 1-1/75-76: — यतः मुझे, जे० कथूरिया,

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रुपए से ग्रधिक है

प्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 154-ए, 154-बी, है, जो नरोडा, श्रहमदाबाद में स्थित है, (श्रौर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में और पूर्ण रूप से र्वाणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रथीन, 3-12-75

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्टयमान प्रतिफल के लिए ग्रान्तरित की गई है श्रौर मुझी यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है और झन्तरक (श्रन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ध्रम्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त ग्रधिनियम, के श्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दाथित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन था ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्राधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्राधिनियम, या धन-कर ग्राधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

धतः ग्रब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-गं के श्रनुसरण में, मैं उक्त धधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अघीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भर्थात् :---- (1) श्री मगनलाल रंछोड लाल पटेल, 2-बी, मस्कली मार्केट, ग्रहमदावाद

(ग्रन्तरक)

(2) मैसर्स शक्ति क्रिक्स वर्क्स (फर्म) न्या ''जी'' वार्ड के पास, कुबेरेनगर, श्रहमदावाद।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के रापजत में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या सरसंबंधी व्यविषयों पर सूचना की सामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीषर पूर्वोक्स व्यवितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पध्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्धों झौर पक्षों का, जो उक्स अधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही प्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 9921 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 154-ए, 154-बी, है तथा जो नरोडा, ग्रहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका बिक्री 3-12-1975 वाले बिक्री दस्सावेज नं० 19400 द्वारा की गयी है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीखः 6-8-76 मोहरः प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

मायकर ग्रधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-I, अहमदावाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 श्रगस्त, 76

आयकर श्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पण्चात 'उवत श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्थास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से ग्रधिक है

झौर जिसकी सं० सर्वे नं० 324, 325, 326 प्लाट बी०, टी० पी० एस०-26 है, जो वासण, ग्रहमदाबाद में स्थित है, (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधितियम, 1961 (1908 का 16) के श्रधीन 10-1 2-75 को पूर्वीक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए घन्तरित की गई है, ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरको) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाक्त, उक्स ग्रघिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, याधन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

भ्रत: ग्रब, उंक्त श्रधिनियम की धारा 269 ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात् :---6---216GI/76 (1) डा० कणुभाई मणीलाल शाह, म्युनिसिपल सर्वन्टस सोसायटी, कांकरीया रोड, ग्रहमदाबाद । (ग्रन्सरक)
 (2) ग्रनुपमा को० ग्रोप० हाऊसिंग सोसायटी की ओर से :---

> प्रमुख :----श्री प्रकाण रसीलाल णाह, 5, गंगाधर सोसायष्टी, रामबाग, म्रहमदाबाद । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उनत सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की ऋवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि, जो भी मवधि बाद समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा संकेंगे ।

स्पर्थ्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं भर्ष होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं. 324, 325, 326, संब प्लाट नं० बी० टी० पी० एस०, नं० 26 है तथा जो वाराण प्रहमदाबाद में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

तारीखं : 6-8-76 म्रोहर ; प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०——

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के म्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

अहमदाबास, दिनांक 6 ग्रगस्त, 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1117(493)/1-1/-75-76:----यतः मुझे, जे० कथुरिया

श्रायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्चात् 'उक्त ग्राधिनियम', कहा गया है),की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/~ रुपए से ग्राधिक है

ग्रीर जिसकी सं० सर्वें नं० 324, 325, 326, एफ० पी० नं० 166, टी० पी० एस० नं० 26 है, जो वासण' ग्रहमदाबाद में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ध्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, 10-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रोर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तषिक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रिधिनियम के ग्रिधीन कर देने के प्रम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्सियों को जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्राधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्राधनियम या धन-कर ग्राधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती ट्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अक्षः, अब, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के झनु-सरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :=== (1) श्री भालचन्द्र शानालाल मोदी, श्रीनाथ कालोनी, भैरवनाथ रोड, ग्रहमदाबाद ।

(ग्रन्तरक)

(2) ग्रनुपमा को० ग्रोप० हाऊसिंग सोसायटी, की श्रोर से :

प्रमुख :--- श्री हसमुखलाल रतीलाल रामबॉग, ग्रहमदाबाद ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी म्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ढारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्क स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त घब्दों झौर पदों को, जो 'उक्त अधिनियम', के झध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस झध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 923 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 324, 325, 326, फायनल प्लाट नं० 166, टी०पी० एस०नं० 26, हैतथा जो वासण ग्रहमदाबाद में स्थित है तथा जिसकी बिक्री निम्नलिखित दो बिक्री दस्तावेजों द्वारा की गयी है :----

सं०नं० क्षेत्रफल	सब प्लाट नं०	रजिस्ट्री नं० बिक्री तथा तारीख कीमत
1. 612 वर्ग गज	3 तथा 4	19958 50 36,780/
		10-12-77
2. 610 ₁₁	2	19960 হ 025,869-60
		10-12-76
		जॆ० कथूरिया
		सक्षम प्राधिकारी
	सहायक	ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)
		ग्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद
		•

तारीख : 6-8-76 मोद्दर ; प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०----

भ्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज-I, प्रहमदाबाध

म्रहमदाबाद, दिनांक 6 म्रगस्त 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू० - 1 1 1 8 (494) /1-1/75-76:----यतः मुझे, जे० कथ्र्रिया

धायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्ष्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/---रुपए से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 311, एफ० पी० नं० 13, सब प्लाट नं० 28, टी०पी० एस० नं० 6, है, जो ठक्कर प्रभुदास, कालेज रोड, पालडी, ग्रहमदाक्षाद में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 23-12-75

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशस से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और भन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी झाय की बाबत, 'उक्त ग्रधिनियम' के ग्रधीन कर देने के ग्रन्सरक के दायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय था किसी धन या श्रन्य ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त धधिनियम', या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ष की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) कुमारी केटकीवेन सुपुत्री श्री रामयन्द्र दयाणंकर पंडया, बोक्स नं० 188, राकी माऊंट उसर केरोलीना ।

(ग्रम्तरक)

(2) श्रीमती ग्रटाका एम० पूनावाला तथा ग्रन्थ, मारफ्त जी० ए० लतीफ एण्ड सन्स, रेवड़ी बाजार, ग्रहमदाबाद। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए ' कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी म्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होसी हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपझ में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदा किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्**पष्टीकरणः**—–इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो 'उक्त ग्रधिनियम', के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है ।

अमुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 311, एफ०पी०नं० 13, सबप्लाट नं० 28, टी०पी० एस० नं० 6, है तथा जो ठक्कर प्रभुदास कालेज रोड, पालड़ी, ब्रहमदाबाद में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, प्रहमदाबाद

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०——

ग्रांयकर ग्रांधनियम, 1961 (1961 का 43) की धार्रा 269-घ (1) के ब्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 6 ग्रगस्त 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1 -1119 (495) /10-1/-75-76 :----यतः मुझे, जे० कथूरिया

म्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थ्रावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 /- रुपए से प्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 10, प्लान नं० 6, जामपुरी एस्टेट है, जो बड़ी बन्दर रोड, जामनगर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्री-कर्सा ग्रधिकारी के कार्यालय, जामलगर में भारसीय रजिस्ट्री-करण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, 16-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूथ्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विख्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुक्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुख्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (फ) ग्रन्तरण से हुई किसी झाम की बाबत, उक्त झांधनियम, के ग्राधीन कर देने के झस्तरक के दायित्व में कमी करते या उससे बचते में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर श्रधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रव, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के भनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीम, निम्नलिखिस व्यक्तियों, श्रर्थातु :---- 1ेंश्री नर्मदाबेन बालाणंकर णुक्ला,
 2. श्री किणोर चन्द्र बालाणंकर शुक्ला,

 अी रमेश चन्द्र बालाशंकर शुक्ला, अस्पताल रोड, जामनगर।

(ग्रन्तरक)

- (2) श्री हाजी ब्रोसमन हाजी ब्रजीज,
 - (2) श्री हाजी हारुन हाजी श्रजीज, श्रनाज मंडी, जामनगर।

(भ्रन्तरिती)

को गह सूचना जारी करके भूर्थोक्स सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्य-वाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी माक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की ब्राबधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति, ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित मैं किए जा सकेंगे।
- स्पर्ख्वीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में पारिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अन् सूची

खुली अमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 9600 वर्गफुट है तथा जिसका प्लाट नं० 10, प्लाट नं० 6, जामपुरी एस्टेट है तथा जो बेडी बंदर रोड, जामनगर में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ध्रायकर ध्रायुक्त (निरीक्षण) ध्रर्जन रेंज-], ग्रहमदाबाद

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के म्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 6 भ्रगस्त, 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू०-23-I-1120 (496) /10-1/ 75-76 :----यतः मुझे, जे० कथरिया

स्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्राधिनियम' कहा गया है); को धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से ग्राधिक है

श्रोर जिसकी सं० सिटी सर्वे नं० 6, मेन पार्ट, वार्ड-1, है, जो बेड़ी गेट के बाहर, शरु सेक्शन रोड जामनगर, में स्थित है (श्रोर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, जामनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 12-12-75 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृग्यमान प्रतिफल के लिये ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तिमों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्राधनियम, या धन-कर ग्राधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना काहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

मतः ग्रम उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घक्षी उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, ग्रधीत्:---

- (1) मैसर्स इण्डियन कन्सट्रक्शन कं०, टाऊन हाल के सामने, जमजोधपुर वाला बिल्डिंग, जामनगर, की श्रोर से भागीदार :-- 1. श्री नाराणभाई कचराभाई पटेल,
 - 2. श्री विनोद राय नारायणभाई पटेल, ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री सुज्जन को० ओप० हाऊसिंग सोसायटी, श्रपना बाजार के सामने, जमजोधपुर वाला बिल्डिंग, जांमनगर ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिये कार्यवाहियां करताहूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रायधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रावधि, जो भी ग्रावधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त, व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 21000 वर्गफुट है तथा जिसका सिटी सर्वे नं० 6, मेन पार्ट वार्ड-1 है तथा जो बेड़ी गेट के बाहर, शरु सेक्शन रोड, जामनगर में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज-I, ग्रहमदाबाक्ष

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०---

भायकर प्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ(1) के प्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

म्रहमदाबाद, दिनांक 6 ग्रगस्त, 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-J-1121 (497) /16-6/ 75-76 :----यतः मुझे, जे० कथूरिया

ग्रायकर झधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 540 है, जो कलावाड़ रोड, राजकोट में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ध्रधिकारी के कार्यालय, राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 30-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है श्रौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबस उक्स ग्रधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य झास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ झन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः, ग्रब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269ग के झनु-सरण में, मैं, उक्षत ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातू:--- (1) श्री भोगीलाल गिरधर लाल कोटक, पंच नाथ
 प्लाट, गेरी नं०-1, राजकोट।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री मगनलाल मेपाभाई पटेल, चौधरी हाई स्कूल के पास, राजकोट।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपक्षि के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के म्रार्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ध्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ख्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त सब्धों झौर पदों का, जो उक्त झधिनियम के झध्याय 20 क में परि-भाषित हैं, वही झर्थ होगा, जो उस झ्रध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1 एकड़ है तथा जिसका सर्वे नं० 450 है तथा जो कलावाङ रोड पर, राजकोट में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर मायुक्त (निरीक्षण); धर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

प्ररूप माई० टी० एन० एस०--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का. 43) की धारा 269-घ(1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज - 1, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1 /912 (500) /1-1/-75-76:---यतः मुझो, जे० कथुरिया

धायकर ध्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चास् 'उक्त ध्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रू० से ध्रधिक है

प्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 323 (भाग) हिस्सा नं० 36 (भाग) एफ० पी० नं० 252 (भाग) टी० पी० एस० मं० 24, है, जो खोखरी, महमवाबाद में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसुची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 12-12-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देग्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त श्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त ग्रधिनियम' या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रत: श्रव उक्त प्रधिनियम, की धारा 269ग के ग्रनुसरण में, मैं 'उक्त ग्रधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथौतु:---

- (1) मैसर्स श्री जी० कारपोरेशन (फर्म) की फोर से मैनेजिंग भागीदार :---श्री नरेन्द्र मोहनलाल, तलाटी, 3-जीवन प्राण सोसायटी, भैरवनाथ रोड, ग्रहमदाबाद। (ग्रन्तरक)
- (2) पाथे (मणीनगर) को० ग्रोप० हाऊसिंग सोसायटी लि० (ग्रहमवाबाद) की ग्रोर से :-- प्रमुख श्री मगनलाल गांडालाल मिस्त्री, सेक्रेटरी : रवीन्द्र एस० पटेल, मेम्बर : हरषदराय रंछोड़जी डेसाई (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति वे अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की श्रवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- ह्वष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त गव्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1815 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 323 (भाग), हिस्सा नं० 36 (भाग) फाथनल प्लाट नं० 252 (भाग), टी० पी० एस० नं० 24 है, तथा जो खोखरा, ग्रहमदाबाद, ग्रहमदाबाद में स्थित है।

> जे० कथृरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1, ग्रहमदाबाद

प्ररूप ग्राई० टी एन० एस० -----

ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के श्रधीन सूचना

भारते सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-831 (501) /1-1/ 75-76:----यतः मुझे, जे० कथूरिया

भ्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से प्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० प्लाट नं० 2,3 तथा 4 है, जो माजेवाडी गेट के बाहर, जूनागढ़ में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्या-लय जुनागढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1961 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 30-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित आजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पत्वह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)के क्षीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन था ग्रन्थ ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः श्रव, उक्त प्रधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त प्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों श्रर्थात् :--

- (1) सर्व श्री
 1 पटेल मगनलाल छगनलाल
 2. उषाबेन रसीकलाल,
 3. मंजूला गौरी कॉजीभाई
 4. णांतीलाल जीवाभाई,
 5. पटेल विठ्ठलदास जीवाभाई
 6. पटेल गोपाल दास गांडालाल
 7. पटेल मगन लाल लालजी भाई
 8. जमकूबेन लालजीभाई,
 - 9. कांजीभाई गोपालभाई
 - 10. पटैल विट्ठलदास बावनजी,
 - 11. पटेल दामजी मोहन जूनागढ़।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री पटेल धीरज लाल मांजीभाई मारफत : मैसर्स ललित एण्ड कं०, जूनागढ़ । (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के ध्रर्जन के लिए कार्य वाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी म्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रंवधि बाद में समाप्त होसी हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिद्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवढ किसी ग्रन्थ व्यक्ति ढारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ख्यीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्र**ौर** पक्षों का, जो 'उक्त श्रधिनियम' के श्रध्याय 20 क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

ग्रीचल सम्पत्ति जो 2828-62-77 वर्गगज भूमि सहित है तथा जिसका प्लाट नं० 2,3, तथा 4 है तथा जो माजेवाड़ी गेटे के बाहर , जुनागढ़ में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज I, ग्रहमदाबाद

तारीखाः 6-8-1976 मोहरः प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०---

थ्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, अहमदावाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 6 श्रगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1122 (502)/ 1-1/75-76:----यतः मुझे, जे० कथूरिया

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० सी० टी० एस० नं० 4304, 4305 तथा 4306 है, जो पांच कुवां , मिघां वाड, कालूपुर वार्ड नं०1, ग्रहमदमबाद में स्थित है, (ग्रौर इससेसे उपाबद्ध प्रमुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 22-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है श्रौर अन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर अन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऎसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की वाबत उक्त ग्रधिनियम क ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त ग्रधिनियम' याधन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: ग्रब उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात्ः---7--216 GI/76

- (1) मैसर्स केस्वाणी द्रदर्स, की ओर से भागोदारः--1. श्री एल० दास भगवानदास केस्वाणी,
 2. श्री गीपीचन्द भगवान दास केस्वाणी,
 3. श्री पूरणचन्द भगवान दास केस्वाणी,
 4. श्री वासुदेव परसराम केस्वाणी,
 5. श्री पोकरदास द्वारकादास केस्वाणी, कटलरी मर्चेन्टस, केस्वाणी बिल्डिंग, मिर्धा बाड़, पांच कुवां, ग्रहमदाबाद।
- (2) श्री तोलाराम लडिकराम श्रोरवाणी, 7, सिंद मोडल सोसायटी पुराना वाड़ज बस स्टैंड के पास ग्रहमदाबाद। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबज्ज किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्**पध्टीकरण**ः—-इसमें प्रयुक्त **शब्दों और पदों, का, जो उक्त** श्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कमरा जिसका खानगी, नं० 6 है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 16-22 वर्गमीटर है तथा जो ''परसराम चैम्बर्स'' के नाम से प्रख्यात बिल्डिंग में स्थित है तथा जिसका सीं० टी० एस०नं० 4304, 4305, तथा 4306 है तथा जो कालूपुर वार्ड नं०1, पांच कुवां, मिर्घा वाड़, ग्रहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) प्रर्जन रेंज-I, प्रहमदाबाद तारीख : 6-8-1976 मोहर : प्ररूप म्राई० टी० एन० एस० ' ' ' '

म्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1123(503) /1-1/ 75-76:----यतः मुझे, जे०कथ्र्रिया

ध्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्भास् 'उक्त ग्रधिनियम', कहा गया है) की धारा 269 ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से प्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० सी०टी० एस०न० 4304, 4305, तथा 4306, है, जो पांच कुवां, मिर्घा वाड़, कालूपुर वार्ड-नं० 1 श्रहमदाबाद में स्थित है. (श्रौर इससे उपाबख प्रनुसूचो में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिक री के कर्या-लय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, 17-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिषत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त श्रधिनियम के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/ या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी घन या श्रन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः, श्रब उक्त श्रधिनियम, की धारा 269 ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की घारा 269 घ की उपघारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातुः---

- (1) पैसर्स केस्वाणी ब्रदर्स, की ग्रोर से, भागोदार :--1. श्री एल० दास भगवानदास केस्वाणी
 2. श्री गोपीचन्द भगवानदास केस्वाणी
 3. श्री पूरणचन्द भगवानदास केस्वाणी
 4. श्री वासूदेव परसराम केस्वाणी,
 5. श्री पोरकदास ढ्वारका दास केस्वाणी ,
 कटलरी मरर्थंन्टस, केस्वाणी, बिल्डिंग, मिर्घा वाड, पांचकुवा, ग्राडमदाबाद ।
 (भ्रन्तर*)
- (2) श्री चेलाराम ए० लालवाणी, 11 हिल पार्क को० ग्रो० हाअसिंग सोसायटी, क्रांकरीया, ग्रहमदाबाटः । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

अन्सूची

एक कमरा, जिसका , खानगी नं० 7 है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 14.7 वर्गमीटर है तथा जो "परसराम चैम्बर्स" के नाम से प्रख्यात बिल्डिंग में स्थित है तथा जिसका सी० टी० एस० नं० 4304, 4305, तथा 4306 है तथा जो कालूपुर वार्ड नं०-I, पांच कुवां, मिर्घा वाड़, प्रहमदाबाद में स्थित है।

> जे० कथूरिया सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीखः 6-8-76 मोहरः प्ररूप म्राई० टी० एन० एस ०----

श्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-I, मदास

मद्रास, दिनांक 5 श्रगस्त 1976

निदेश सं० 80/दिसम्बर/75-76 :----यतः मुझे, जी० रामानाथन,

ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के भ्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० 354; 96/1, ग्रौर 96/2, कावेरीपट्टी है, जो कोनेरीपट्टी में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधि-कारी के कार्यालय, एडप्पाडी (पन्न सं० 1545/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, दिसम्बर, 1975 को

पूर्षीवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृण्यभान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे थह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृण्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के श्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रोर/ या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ श्रन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रत: ग्रब उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269ग के त्रनु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थातु:-~ (1) श्री एम० वी० दुरैसामि रेडीयार श्रौर ग्रादि(श्रन्तरक)

(2) श्री कन्दप्प गऊन्छर ग्रौर ग्रादि। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हं ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की म्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की म्रवधि जो भी म्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ढारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पक्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त गब्दों भ्रोर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिल्ला, कावेरीपट्टी गांव सर्वे सं० 354, श्रौंर 96/1 में 6.35 एकड़ खेती की भूमि श्रौर एस० सं० 96/2 में 75 सैन्ट खती की भूमि (कोनेरीपट्टी गांव)।

> जी० रामानाथन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख: 5-8-1976 मोहर:

[भाग III—खण्ड 1

7520 मारत का राजपत, अगस्त 28	5, 1976 (MIR44 6, 1898) [MIN [11 008 1
प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०	(1) श्री रामस्वामी । (भ्रन्तरक)
श्रायकर घ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अर्धान सूचना भारत सरकार	(2) श्री के० एस० पलनियप्तन । (ग्रन्तरिती)
कार्यालय, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज-I, मद्रास	को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।
मदास, दिनांक 5 ग्रगस्त 1976	उक्त संपत्ति के श्रर्जन के संबंध में कोई भी धाक्षेप :—
निदेश सं० 81 /दिसम्बर/75-76 :—-यतः मुझे, जी० रामानाथन, श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है	(क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तासील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोवत व्यवितयों में से किसी व्यक्ति बारा ;
श्रौर जिसकी सं० 47/1, श्रौर 47/2, है, जो कोनेरीपट्टी गांव में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, ईडप्पाडी (पत्न सं० 1571/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1808 (1908 का 16) के श्रधीन, दिसम्बर, 1975 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान	(ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विषयास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान पतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर अन्तरिती (ग्रन्तरि- तियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:	स्पद्धीकरणःइसमें प्रयुक्त शब्दों धौर पदों का, जो उक्त ग्राधिनियम, के श्रध्याय 20क में परि- भाषित, है वही श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।
(क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की वाबत, उक्त ग्रधि- नियम, के अधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;	अनुसूची
श्रौर/या (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों	सेलम जिल्ला कोनेरीपट्टी गांव सर्वे सं० 47/2 म्रौर 47/1 में र्165½ एकड़ खेती की भूमि ।
को जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्राधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;	जी० रामाताथन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्स (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, मद्रास
ध्रतः ग्रब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :	तारीख : 5-8-1976 मोहर :

भाग III--खण्ड 1]

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस० -------

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 5 श्रगस्त, 1976

निदेश सं० 82/दिसम्बर/75-76 :—यत:, मुझ, जी० रामानाथन

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वास् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

ग्रोर जिसकी सं० 47/1 ग्रोर 47/2 है, जो कोनेरीपट्टी गांव में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, इप्पाडी (पत्न सं० 1572/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, 16 दिसम्बर, 1975 को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पद्धह प्रतिशत ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्सरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त श्रधिनियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्नौर/ या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः ध्रक्ष, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के मनु-सरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातुः--- (1) श्री वेंकटाचलम

(ग्रतरक)

(2) श्री के० एस० पलनियप्पन

(म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हैं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यवितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पब्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिला, कोनेरीपट्टी गांव सखे सं० 47/2 श्रौर 47/1 में 1.652 एकड खती की भूमि ।

> जी० रामानाथन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1, मद्रास

भारेत का राजपत्न, ग्रगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)

भाग III---खण्ड 1

प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०-----

म्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजेन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 ग्रगस्त, 1976

निर्देश सं० 106/दिसम्बर/75-76 :----यतः, मुझे, जी० रामानाथन

ग्नायकर ग्राधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्राधिनियम', कहा गया है),की धारा 269-ख के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्राधिक है

श्रौर जिसकी सं० 2/65 है, जो बाड़वे, मद्रास में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ़ श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, मद्रास (पत्न सं० 935/ 75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 31-12-1975

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिपत्ल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्राधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-रितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की क्षावत, उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्थ आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधि-नियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातु:--- (1) श्री पी० वीररागवलु चेट्टीयार

(म्रन्तरक)

(2) श्री जी० कृष्णन

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के श्रध्याय 20क में परि-भाषित, हैं, वही झर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-1, ब्राडवे डोट सं० 2/65 (आ्रार० एस० 5449) में 1716 स्कुयर फीट की भूमि (मकान से साथ) ।

> जी० रामानाथन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, मद्रास

मांग्रू IIIखण्ड 1] भारत का राजपत्न, प्रगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)		
प्ररूप ग्राई० टी ० एस०	(1) श्री एम०पी० लोकया (ग्रन्तरक)	
म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना	(2) श्री एम० शिवशण्मुगम (ग्रन्तरिती)	
भारत सरकार	को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। ′	
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) प्रजैन रेंज-I, मद्रास	उवत संपत्ति के श्रर्जन के संबंध मे कोई भी श्राक्षेप :	
मद्रास, दिनांक 7 श्रगस्त 1976 निदेश सं० 63 /डीईसी०/75-76 :यतः मुझे, जी० रामानाथन	(क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यवित्यों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;	
झायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अर्धान सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्र्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है	(ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबढ़ किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी वे पास किखित में किए जा सकोंगे।	
यौर जिसकी सं० 358 है, जो पूनमत्ली है रोड मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबढ़ अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास (पत्न सं० 3411/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16 दिसम्बर, 197 5 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूरय से वम वेः दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) आरे अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण	स्पष्टीकरणःइसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पवों का, जो रूक्त ऋधि- नियम के श्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वहीं क्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है। अमुसूखी	
लिखित में यारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है :	બનુસૂથા	
(क) भ्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधि- नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या (ख) ऐसी विसी ग्राय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों	मद्रास 29, पूनमल्ली है रोड डोस सं० 358 (ग्रार० एस० सं० 70/10 वी०) में 2 ग्राउंड और 1200 स्कुयर फीट की की खाली भूमि ।	
(ख) एसा पिसा आप या पिसा घन या अन्य आस्तया को, जिन्हें भारतीय श्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन- कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27)	जी० रामानाथन सभाग प्रकारनी	

के प्रयोजनार्थं श्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया

गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में

ग्रतः श्रब उक्त श्रधिनियम की घारा 269-ग के ग्रनु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा

(1) के अर्धान निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :---

सुविधा के लिए;

जी० रामानाथन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, मद्रास

प्ररूप म्राई० टी० एन०एस०-----

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961का 43)की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कांनपुर, दिनांक 13 जुलाई 1976

निदेश सं० म्रर्जन/1002 ए०/ मथुरा/ 75-76 1846 :---ग्रतः मुझे, विजय भार्गवा

ग्नायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है तथा जो श्रनुसूची के श्रनुसार स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रींकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मथुरा, में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 6-12-75 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृण्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है और मुझे यह विण्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिम्नत से ग्रधिक है, और ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) और ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्थ आस्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: श्रव, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथति् :--- (1) श्री अजय शंकर पुत्र श्री रमा शंकर जी निवासी 415 चुना कंकर शहर मथुरा।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री सुधड़ सिंह पुत्र श्री कन्ही सिंह निवासी बन्धा तहसील सादाबाद जिला मथुरा । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप——

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाग्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

श्रचल सम्पत्ति नम्बर, 33क्षेत्रफल 1668 वर्गफुट बाकै कृष्णापुरी मथुरा जो कि 38,000 रु० मूल्य में हस्तप्रन्तरित किया गया है ।

> थिजय भार्गवा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 13-7-1976 मोहर : प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अर्धान सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्स (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनाक 4 ग्रगस्त 1976

निदेश नं० ग्रर्जन /982 ए० /75-76 /946 :—--ग्रत: मुझे, विजय भार्गवा

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्ष्यास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

ष्ठौर जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है, तथा जो ग्रनुचची के श्रनुसार स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908का 16) के ग्रधीन, तारीख 3-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रसिफल के लिए अन्तरिस की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रसिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रसिशत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-रिसियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की याबत उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः म्नब, उक्त म्रधिनियम की धारा 269-ग के भ्रनुसरण में, मैं, उक्त म्रधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के म्रधीन निम्नसिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----8---216 GI/76 (1) डा० डी० पी० अग्रवाल पुत्र श्री राम गोपाल निवासी गोपाल वाटिका पी० एन० शर्मा रोड, मेरठ, शहर ।

(अन्तरक)

(2) डा०एस० म्रार० भार्गवा पुत्र स्व० श्री जानकी रमन भार्गवा निवासी 9, विजय नगर मेरठ, शहर ।

(भ्रन्तरिकी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्थवाहियां णुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबग्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पाध्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

जनुसूची

ग्रचल सम्पत्ति नं० 977, 978, ए. 979/1 ग्रौर 980 क्षेत्रफल 981 वर्गगज स्थित पी० एल० शर्मा रोड, गोपाल वाटिका, मेरठ शहर, 1,00,000/- रु० मूल्य में हस्तप्रन्तरित की गई है।

> विजय भार्गवा सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्स (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपूर, दिनांक 4 अगस्त, 76

निदेश नं० म्रर्जन/1033-ए०/कानपुर/75-76/947ः— ग्रसः मुझे, विजय भार्गवा

म्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्षत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रुपये से अधिक श्रोर जिसकी सं० श्रनुसूची के श्रनुसार है, तथा जो अनुसूची के श्रनुसार स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है प्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (प्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रघि-नियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसे किसी म्राय या किसी घन या श्रन्थ म्रास्तियों को जिन्हें भाररीय ग्रायकर म्रघिनियम, 1922 (1922 का 11) था उक्त म्रघिनियम, या धनकर म्रघिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ म्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

ग्रतः ग्रब, उक्स श्रधिनियम की धारा 269 ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रर्थातु:-- (1) श्री सुभाष चन्द मकर (वर्मा) पुन्न श्री सोसहन लाल भार्फत वर्मा फुट वीयर चौक, कानपुर

(ग्रन्तरक)

(2) श्री सन्त निरनकारी मंडल (रजिस्टर्ड) हैड ग्राफिस देहली-9 दारा सरदार ग्राया सिंह संत निरंनकारी मंडल व्लाक उप प्लाट नं० 7 गोविंदनगर कानपुर। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन केलिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रावधि या तत्सम्बन्धी व्यवितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन के ग्रावधि, जो भी ग्रावधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिप्तबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पर्ख्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, उक्त मधि-नियम के श्रध्याय 20 क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ध्रचल सम्पत्ति उप प्लाट नम्बर 8का प्लाट नं० 3ब्लाक "के" क्षेत्रफल 1000 वर्गगज स्थित ब्लाक "के" गोविंद नगर कानपुर, 64,393.24 रु० मूल्य में हस्तप्रन्तरित किया गया है।

> विजय भार्गवा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज,कानपुर

तारीखः 4-8-1976 मोहरः प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अघिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कायलिय, सहायक आयंकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, कानपूर

कानपुर, दिनांक 5 ग्रगस्त 76

निदेशं नं० ग्रर्जन /॑50 ए०/कानपुर/७6-७७/959ः—→ म्रतः मुझे, विजय भार्गव,

ध्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के ध्रधीम सक्षम प्रााधिकारी को यह विध्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- रु० से ध्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है तथा जो ग्रनुसूची के ग्रनुसार स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिननियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 4-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूक्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विक्ष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृक्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूक्ष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-रितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देक्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-मियम, के श्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर∤या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या आप्य आस्तियों को जिन्हें भारसीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः श्रभ उक्त श्रधिनियम की धारा 269ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269व की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत्:--- (1) मैंसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, जुही, कानपूर ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री सत्य नरायण (2) श्री भगवती प्रसाद पुत्रगण श्री रघुनाथ प्रसाद, निवासी ग्राम डा० घाटमपुर जिला कानपुर ।

(भ्रान्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कोर्यवाहियां करेता हूं।

उक्त संपत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (फ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

अनुसूची

श्रचल सम्पत्ति प्लाट नवम्बर, 19 क्षेत्रफल 866.66 वर्गगज स्थित 133/60 श्रानन्वपुरी कालौनी, जूही, कानपुर 77999.40 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है ।

> विजय भार्गव सक्षम म्रधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज, कानपुर

प्ररूप ग्राई० टी० एन० ------

भ्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कॉर्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

े कामपुर, दिनॉक 5 ग्रगस्त 1976

निदेश नं० भ्रर्जन /1035 ए०/कानपुर/75व76 /960:—— भ्रतः मुझे, विजय भार्गभ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचाल् 'उन्स ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 खं के क्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है

भौर जिसकी सं० अमुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के ब्रनुसार स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और श्रन्तरक (अन्तरकों) और ग्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाधत, उक्त ग्रधिनिथम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे धर्भने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धम या श्रन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धनकर श्रधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

क्रात्त: श्रव, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 ग के ग्रनु-सरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 घ के उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातु:---- (1) श्री भगवती प्रसाद तिवारी (2) राज कुमार तिवारी पुलगण स्व०पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी (3) श्रीमती गुलाब बाई बेवा स्व०बलभद्र प्रसाद तिवारी साकिनान 4/281 पारवती बागला रोड कानपुर।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री मोहन लाल बाबाम पुख श्री जानकी प्रसाद बाथम निवासी गुमटी मं० 9 शोरा गोंदाम कानपुर शहर ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचमाजारी करके पूर्घोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्थवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के फ्रॉजन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की घ्रवैधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होसी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पब्टीकरणः —–इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधि-नियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ग्रचल सम्पत्ति प्लाट नं० 4 रक्षबा 200 वर्गगज वार्क मौजा श्रकबरपुर परगना व जिला कानपुर 11,600 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया गया है ।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी, सहस्यक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, कानपूर

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

ग्रीयकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के म्रधीन सूचना भारत सरकार कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

क्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 ग्रगस्त 1978

निवेश नं० प्रजेन /1139/ ग्रागरा/ 75-76 /965 :----भ्रतः मुझे, विजय भार्गव

भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के भ्रधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से म्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा, में, रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1975

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए प्रान्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है भौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर ग्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त धीध-नियम, के ग्रंधीन कर देने के ग्रन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर श्रधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धनकर अधि-नियम 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

ग्रतः भ्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित श्र्यक्तियों ग्रथति :---- (1) श्रीमेसी हफीजा बेगम पत्नी स्व० ग्रब्दुल ग्रखलाक नि० 6/7 गालिब पुरा कला चौराहा नालबन्द, श्रागरा ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री विनीत खेड़ा नावालिग पुत्र श्री रामप्रकाण जी खेड़ा (2) श्रीमती इन्द्रा खेड़ा पत्नी रामप्रकाण खेड़ा निवासी चौराहा नालबन्द, ग्रागरा

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां कप्ता हूं।

उपत सम्पत्ति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षप---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पक्ष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्वों ग्रौर पर्धो का, उक्त ग्रधि-नियम के ग्रध्याय 20क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

श्रचल सम्पत्ति नं० 6/5-6 जिसकी माप 5114 वर्गगज है जो गलिबपुरा कला श्रागरा में स्थित है इसका हस्तान्तरण 43000/- में किया गया है।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

भाग III--खण्डा

प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०-----

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 ग्रगस्त 1976

निदेश नं० ग्रर्जन /1135/ ग्रागरा/ 75-76/966ः----ग्रतः मुझे, विजय भार्गेष

म्रायकर म्राधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त म्राधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के म्राधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से म्राधिक है

श्रौर जिसको सं० श्रनुसूची के श्रनुसार है तथा जो श्रनुसूची के ग्रनुसार स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रागरा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 22/12/75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) भौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीम कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने बा उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/ या
- (ख) ऐसी किसी झाय या किसी धम या ग्रन्थ ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः श्रव, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के झनु÷ सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात्:--- (1) श्रीमती हफीजा बेगम पत्नी स्व० अखलाक साहिब नि० 6/7,गालिब पुरा कला नाई मण्डी, आगरा (अन्तरक)

(2) श्रीमती इन्द्रा खेड़ा पत्नी श्री राम प्रकाश जी खेड़ा निवासी 6/5*6 नालबम्द चौराहा, ग्रागरा । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेपः---

- (फ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रावधि था तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी ग्रावधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की सारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक्त द्राधि-नियम के ग्रध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही झर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

श्रचल सम्पत्ति नं० 6/5-6 जिसका क्षेत्रफल 256 वर्गगज है जो गालिब पुरा कला, भ्रागरा में स्थित है। इसका हस्तान्तरण 43,000/- में किया गया है।

> विजय भार्गव संक्षम प्राधिकारी संहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपूर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

म्नर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निर्देश सं० म्रर्जन/1103/हापुड़/75-76---म्रतः मुझे विजयभार्गेय,

मायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त म्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के म्रधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-- रु० से म्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है तथा जो ग्रनुसूची के ग्रनुसार में स्थित है (ग्रौर इससे उपाक्षद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय हापुड़, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 22/12/1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है घौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त ग्रधिनियम', या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त म्रधिनियम की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, उक्त म्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा(1) के म्रधीन निम्नलिखित व्यवितयों, म्रर्थात्:---- श्री डलू उफें डल्लू पुन्न हीरा निवासी कस्बा हापुड़ मोहल्ला मोरपुरा जि० मेरठ
 (श्रन्तारक)

2. श्री नवज्योति सह गृहनिर्माण समिप स्थित कस्बा हापुड जि० मेरठ द्वारा श्री क्रुष्ण कुमार गर्ग पुत्र श्री चमन लाल नि० जवाहर गंज हाल विवैक कालोनी श्रीनगर हापुड़ मेरठ प्रधान व राम कुमार शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद नि० 156 जवाहर गंज हापुड़ जि० मेरठ सचिव (ग्रन्तरिसी)

को यह सूचना जारी के पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तरसम्बंधी व्यक्तियों पर सूधना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्वों म्रौर पदों का, जो उक्स म्रधिनियम के म्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही म्रर्थ होगा, जो उर्स प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजय भागँव, सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज कानपुर

[भाग III---खण्ड 1

प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०———

आयकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 श्रगस्त 1976

निर्देश एफ० सं० म्रर्जन/1077/कानपुर/75-76/962----ग्रतः मुझे विजय भार्गेव,

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के म्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से म्रधिक है

झौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (घ्रौर इससे उपावत अनूसूची में घ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 31-12-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) प्रौर (प्रन्तरिती) (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफला निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी झाय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/ या
- (ख) ऐसी किसी झाय या किसी धन या श्रन्य झास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर ध्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती क्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थातुः--- श्री भगवत प्रसाद तिवारी निवासी 4/281 पार्वती बागला रोड कानपुर (ग्रन्तरक)

 श्री बद्री सिंह निवासी 76/544 कुली बाजार कानपुर। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितयड किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पध्वीकरणः---इसमें प्रयुवत शब्दों झौर पदों का, जो उक्त श्रधि-नियम, के श्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही झर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

ग्रचल सम्पत्ति प्लाट नं० 39 ग्रौर 40 मौजा बैरी श्रकबर पुर पर० व जिला कानपुर में स्थित जिसकी माप 400 वर्ग गज है इसका हस्तान्तरण 18,000/- में हुआ है ।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 6-8-1976 मोहर: प्ररूप माई० टी० एन० एस०---

मायकर मधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के प्रधीन सूथना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, कानपूर

कानपूर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० अर्जन/1072/कानपुर/75-76/968----अतः विजय भार्गव

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से ग्रधिक है

भौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा अनुसूची के अनुसार में स्थित है, (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता ब्रधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 20-12-1975 ।

को पूर्वोक्त संपर्शि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृम्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर मन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त मधि-नियम के ग्राधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या घन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर ग्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

 श्री भागवत प्रसाद तिवारी व राजकुमार तिवारी पुलगण पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी व श्रीमती गुलाब बाई बेवा पं० बलभद्ग प्रसाद तिवारी सं० 4/281 पारवती बागलारोड, कानपुर । (ग्रन्तारक)

2. श्री भगवान दास नाबालिग पुत्र श्री छेदी लाख रफाकत छैदी लाल व श्री सती प्रसाद नाबालिग पुत्र श्री मोती लाल सा० गुटैया बाजार कानपुर (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के फर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

अमुसूची

अचला सम्पति प्लाट नं० 45, रकवा 270 वर्ग गज वाकै मौजा बैरी ग्रकबरपुर परगना व जिला कानपुर 12,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है ।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीखः : 6-8-1976 । मोहरः

भाग III---खण्ड 1

प्ररूप माई० टी० एन० एस०---

भ्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निर्वेश सं० म्रर्जन /1070/कानपुर/75-76/969---म्रसः मुझे विजय भार्गव

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उवत ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

धोर जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है तथा जो ग्रनुसूची के श्रनुसार में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्सा ग्रधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 20-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार म्ल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और यह कि धन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उवत ग्रन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या ग्रन्य झास्तियों, को जिन्हें भारतीय थ्राय-कर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्रत ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः घ्रव, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रमुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-घ के उपधारा (1) के अधिन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :--- 1. श्री भागवत प्रसाद तिवारी (2) राजकुमार तिवारी पुलगण पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी (3) श्रीमती गुलाब बाई वेवा पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी सा० 4/281 पारवती बागल रोड, कानपुर (ग्रन्तरक)

 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री रामक्रुष्ण कटियार सा० 53/7 विजयनगर कानपुर (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रावधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रावधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रान्थ व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जासकेंगे ।
- स्वष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही भ्रर्थ होगा जो उस भ्रध्याय में दिया गया है।

अम<u>ु</u>सूची

श्रवल सम्पति प्लाट नम्बर 46 रकबा 200 वर्ग गज वाके धैरी धकबरपुर परगना व जिला कानपुर 12,000रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है ।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 6-8-1976। मोहर : प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०-----

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

प्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), को धारा 269ख के ग्रधीन सक्षम ग्रधिकारी को, यह घिश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित्त बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है ग्रौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबच अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप के वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 31-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूग्य-मान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूग्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूण्य-मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिगत से ग्रधिक है ग्रौर प्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देग्य से उक्त ग्रन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्सरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रीधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रीधनियम, या धन-कर ग्रीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रतः मब, उक्त म्राधिनियम की धारा 269ग के म्रनुसरण में, मैं, उक्त म्राधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, म्रार्थातु:---

 1. श्री (1) चिमन लाल भाटिया (1) रोणन लाल भाटिया (3) मनोहर लाल भाटिया (4) गुरूबकस लाल बल्द श्री सावनमल भाटिया पाटनर्स मैसर्स भाटिया सेफ वकर्स 47, फकटरी एरिया फजलगंज, कानपुर ।

2. मै० मलिक ट्रेडर्स रजिस्टर्ड पार्टनर शिपफर्म 111-ए महात्मा गांधी रोड बाम्बे द्वारा श्रो तिलक राज सहगल बल्द श्री जीत राम सहगल 7/183 जे० स्वरूप नगर कानपुर रजिस्टर्ड पार्टनर फर्म मै० मलिक ट्रेडर्स। (मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्स सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की ग्रवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीक्षर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त गब्दों श्रौर ुपदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रघ्याय में दिया गया है।

भनुसूचो

अचल सम्पति प्लाट नं० 36-37 ब्लाक टी स्कीम नम्बर 1 फैक्टरी एरिया फजलगंज कानपुर रकवा 10188 वर्ग गज वाकै 123/383 फर्क्टरी एरिया फजलगंज कानपुर जो 2,40,900 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

> विजय भागंव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रज, कानपुर

तारीखः: 6-8-1976। मोहरः:

[भाग 111---खण्ड 1

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०────

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० म्रर्जन/1071/कानपुर/75-76/971---म्रतः मुझे, विजय भार्गेय,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उच्चित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

ग्नौर जिसकी स० ग्रनुसूची के श्रनुसार है तथा जो ग्रनुसूची के ग्रनुसार में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्नौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन तरीख 20-12-1975

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूग्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूग्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूग्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगात से भाधिक है ग्रौर अन्तरक (अन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देग्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त मधि-नियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय भाधकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनि:म, या धन-कर ग्राधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: ग्रब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथति :---

 1. श्री भागवत प्रसाद तिवारी (2) राजकुमार तिवारी पुलगण पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी (3) श्रीमती गुलब बाई बेवा पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी सा० 4/281-पारवती बागला रोड कानपुर ।

 2. श्री छेदी लाल व छाजी लाल पुल्लगण श्री राम नरायन

सा० गुटैया बाजार कानपुर । _____ (ग्रन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगें।
- स्पब्दीकरणः -----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भ्रवल सम्पति प्लाट नम्बर 44 रकवा 193 वर्गगज ध्रौर 1 बर्ग फीट वाकै मौजा बैरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर 11,586- 67 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपूर

तारीख : 6-8-1976 । मोहर । प्ररूप माई० टी० एन० एस०----

म्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के म्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 श्रगस्त 1976

निर्देश सं० फा० नं० ग्रर्जन /130/कानपुर/76-77/963—– अत: मुझे, विजय भार्गव,

भायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् उक्त ग्रधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित धाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है

मोर जिसकी सं० म्रनुसूची के म्रनुसार है तथा जो म्रनुसूची के भ्रमुसार में स्थित है (म्रौर इससे उपाबढ़ म्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से धणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता म्रधिकारी के कार्यालय, कानपुर में रजिस्ट्रीकरण म्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन, तारीख 9-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है श्रीर धन्तरक (अन्तरकों) ग्रीर श्रन्सरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे झन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) धन्तरण से हुई किसी माय की क्षावत उक्त ध्रघिनियम, के ध्रधीन कर देने के ध्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ध्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या प्रन्य धारिसयें को, जिन्हें भारतीय भाय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत:, ग्रम्ब उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थास:---- श्री हाजीग्रब्दुल हफीज पुंत्र मौहम्मद रमजानी नि० 76/384, कुली बजार कानपुर।
 (ग्रन्तरक)

2. श्री मुसम्मी रियासत हुसैन पुत्न शेख मुहम्मद होसल निवासी 93/59,नई सड़क कानपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूधना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।)

अनुसूची

श्रंचल सम्पत्ति नं० 94/90 जिसकी माप 122.2 वर्गगज है जो नई सड़क कानपुर में स्थित है। इसका हस्तान्तरण 70,000/-में किया गया है।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपूर

प्ररूप माई० टी० एन० एस०-----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 ग्रगस्त 1976

निदेश सं० ग्रर्जन/1140/श्रागरा/75*76/964---म्रत: मझे, विजय भार्गव,

झायकर ग्राधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त झाधनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के झाधीन सक्षम, प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से झाधिक है

प्रौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ़ अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रागरा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 26-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्न्नह प्रतिपत से श्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) और ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्राधिनियम, के ग्राधीन कर देने के ग्रान्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बखने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या फ्रन्य श्रास्तियों, को जिम्हें भारतीय ग्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त श्रधिनियम, या धन-कर ग्राधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-सरण में, मैं उक्स अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :--- श्री ग्यान चन्द वर्मा पुत्र स्व० श्री ग्रासा सिंह जी निवासी छोटी ग्रथाई नाई की मण्डी ग्रागरा।
 (ग्रन्तरक)

2. श्री सीता राम श्री राधेण्याम पुत्र श्री राम प्रसाद यादव
 3-श्रीमती माया देवी पत्नी श्री सीताराम 4-श्रीमती चमेली देवी
 पत्नी श्री राधेण्याम सब नि० पन्जा मदरसा बेलन गंज, ग्रागरा।
 (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ष्त सम्पत्ति के ध्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितक क किसी ग्रन्थ ध्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।
- स्पष्टीकरणः—-इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त ग्रधिनियम', के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थहोगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्रयल सम्पत्ति नं० 14/18 जिसकी माप 313 वर्ग गज है जो अथाई खुर्द नाई की मण्डी ग्रागरा में स्थित है इसका हस्तान्तरण 47,000 रु०/- में किया गया है।

> विजय भागंव सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 7=8-1976। मोहर :

7539

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

भ्रायकर प्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रजेन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 ग्रगस्त 1976

निर्वेश सं० एफ० क्रर्जन/1124/इड्की/75-76/967—-अत: मुंझे विजय भार्गव,

म्रायकर म्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से ग्रधिक है,

श्रोर जिसकी सं०ग्रनुसूची के श्रनुसार है तथा जो ग्रनुसूची के भनुसार में स्थित है श्रोर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्सा श्रधिकारी के कार्यालय रुड़की में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 26-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्थ, से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य, उसके दृयश्मान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है श्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर ग्रन्तरिति (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त भवि-नियम के श्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व, में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय था किसी धन या श्रम्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जामा चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः झब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के भनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातुः---- श्री जयपाल (2) श्री राजाराम पुत्रगण श्री लक्खी राम निवासी ग्राम सैयद पुरा पर० भंगलोर तह० रुड़की, सहारनपुर । (ग्रन्तरक)

2. श्री सुरेन्द्र पाल त्यागी पुत्न श्री हुकुम सिंह (2) श्री मनोज कुमार (नाबालिग) पुत्न श्री बिशम्भर पिता खुद निवासी ग्राम तन्सीपुर पर० भगवानपुर तह० रुष्ड़की जिला सहारनपुर । (भ्रम्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीत्तर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यफ्ति द्वारा, क्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जासकेंगे ।
- स्पच्धीकरणः ––इसमें प्रयुक्त शब्दों धौर पक्षें का, जो उक्त ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं प्रर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्रजल सम्पत्ति खसरा नं० 42/2 माप 9 बीघा, 4 बिस्वा जो ग्राम सैयदपुरा पर० भंगलौर तह० रुड़की जिला सहारनपुर में स्थित है। जिसका हस्तान्तरण 28,500/- में हुग्रा है।

> विजेय भार्गव सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपूर

[भाग III--खणेड 1

प्रारूप आई० टी० एन० एस०----

मायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्पालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 म्रगस्त 1976

निर्देश सं० एफ०नं० धर्जन/949ए०/75-76/972—– ग्रतः मुझे, विजय भार्गेव,

मायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्क्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की घारा 269 ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्ष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/---रू० से प्रधिक है

भ्रोर जिसकी सं० सूची के श्रनुसार है तथा जो सूची के श्रनुसार में स्थित है (श्रोर इससे उपावड़ अनुसूची में श्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्री-करण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 6-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है, श्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी म्राय की बावत, उक्त ग्रधिनियम; के भ्रधीन कर देने के म्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी थ्राय या किसी धन या अन्य क्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ध्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रव उक्त श्रधिनियम की धारा 269 ग के मनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात्:--- श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री क्रुष्ण लाल गुप्ता निवासी बम्बई। (ग्रन्तरक)

2. श्री बौलत राम पुस्न श्री दोपन दास निवासी 111/93 अशोक नगर, कानपुर। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी म्राक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की ग्रावधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबग्ध किसी ग्रान्य व्यक्ति द्वारा, ग्राधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के ग्राट्याय 20 क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस श्राध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 1679 जिसका क्षेत्रफल 4.4 बीघा जो कि ग्राम वैरी घकनरपुर, जिला कानपुर है । जिसका हस्तांतरण 65000/- रु० में हुष्रा है ।

> विजय भार्गव सक्षम भ्रधिकारी सहायक स्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपूर

तारीख 9-8-1976। मोहरः प्रारूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई 1976

निर्वेश सं० 95-श्रार० (ए०)/ग्रर्जन—-ग्रतः मुझे, ग्रमर सिंह बिसेन

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रधिनियम', कहा गया है), की धारा 269र्ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विण्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

प्रौर जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो कि मोहल्ला बाजार वाके चाँदपुर निकट (जामा मस्जिद) बिजनौर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय चांदपुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 का (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 20-12-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम के दृश्यमान प्रसिफल के लिए मन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्मान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर /या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय घायकर घ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त घ्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्री सुरेन्द्र कुमार जैन एवं ग्रन्य विकेतागण। (ग्रन्तरक)

2. श्री रहमत उल्ला एवं अन्य केता केतागण (अन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः—

- (क) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बधी व्यतितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी म्रन्य व्यक्ति द्वारा, म्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में जिये जा सकेंगे।
- **स्पथ्टीकरण---**इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसू**ची**

एक फ्रीहोल्ड प्लाट जो कि वार्क चादपुर मो० बाजार निकट (जामा मस्जिद) बिजनौर में स्थित है। जिसके पूरब को मकान कस्सावन पश्चिम सड़क सरकारी उत्तर को मकान वाजविन दक्षिण ग्राराजी चन्डी परसाद है।

> म्रमर सिंह जिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रजन रेंज, लखनऊ

तारीखः : 14-7-1976 । मोहर :

[माग III---खण्ड 1

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०------

मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961का 43) की धारा 269 घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

ग्रर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनाँक 14 जुलाई 1976

निर्देश सं० 95-म्रार० (बी०)/म्रर्जन—-म्रेतः मुझे,म्रमर सिंह विसेन

ग्राययत्र ग्राधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),की धारा 269 ख के मर्घान सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का वारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से ग्राधिक है

ग्रौर जिसकी सं० प्लाट है तथा जो कि चांदपुर मौ० वाजार (निकट जामा मस्जिद) बिजनौर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध मनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता प्रधिकारी के कार्यालय चांदपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 20-12-1975

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूक्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृक्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से क्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं वियागया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के श्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी कसी भाय या निसी धन या भ्रन्य भ्रास्तियों, को जिन्हें भारतीय भ्राय-कर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त मधिनियम की धारा 269 ग के मनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की घारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, मर्थात् :--- 1. कीर्ति प्रकाश एवं ग्रन्य विकेतागण (ग्रन्तरक)

2. श्री रहमत उल्ला एवं ग्रन्य कैतागण । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ध्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधिया तत्सम्बन्धी ध्यविक्षयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोदत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखिस में किए जासकोंगे ।
- स्पध्दीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक्त झधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही झर्थ होगा जो उस घध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लाट जो कि चांदपुर मौ० बाजार निकट जामा-मस्जिद बिजनौर में स्थित है। जिसके पूर्व में मकान कसवान पश्चिम को मकान लल्लू बाद को सड़क सरकारी, उत्तर को श्राराजी चन्डी प्रसाद दक्षिण को रास्ता बदलू जामा मस्जिद है।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-7-1976 मोहर :

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस० ------

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के मर्धान सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक क्रायकर क्रायुक्त (निर्रक्षण) क्रार्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई 1976

निर्देश सं० 95--म्रार० (सी०)/म्रर्जन---यतः मुझ म्रमर सिंह बिसेन

द्यायकर ब्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है वि स्थाधर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है

म्रौर जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो कि चांदपुर (मै० क्षाजार निकट जामामस्जिद जो कि राजावली के नाम से मशहूर है । जिला बिजनौर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ़ा प्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चांद पुर में रजिस्टीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) कें अधीन, तारीख 20-12-1975

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से वम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिमत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई विसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कर्मा करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी विसी झाय या विसी धन या भ्रन्थ झास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर झाधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के झिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथतिु:---

 श्री चन्डी प्रसाद जैन 	(ग्रन्तरक)
---	------------

श्री रहमत उल्ला एवं ग्रन्थ केता गण (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः-

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की क्षारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीत्तर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबढ़ विसी ग्रन्थ व्यक्ति ढ़ारा, क्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे।

स्पक्टीकरण—–इसमें प्रयुक्त शब्दों भ्रौर पदों का, जो उक्त श्रधि-नियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषिक हैं, इही ग्रर्थ होगा, जो उस इ.ध्याय में दिया गया है।

अन् सूची

एक फी होल्ड प्लाट जो कि चांदपुर मौ० बाजार निकट जामा मस्जिद जो राजावली के नाम से मशहूर है। जिसके पूर्व का मकान कस्वान पच्छिम को सड़क सरकारी उत्तर को ग्राराजी सुरेन्द्र कुमार वगैरह दक्षिण को ग्राराजी कीर्ति प्रकाश है।

> भ्रमर सिंह विसेन, सक्षम प्राधिकारी, सहायक प्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण), म्र्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 1 -- 7-1976 । मोहर : ेभारत को राजपन्न, अगस्त 28, 1976 (भाव्रपद 6, 1898)

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०―――

ग्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के म्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्स (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई 1976

निदेश सं० 53-पी०/ग्रर्जन—ग्रतः मुझे प्रमर सिंह विसेन भ्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से ग्रधिक है ग्रौर

श्रौर जिसझ संख्या प्लाट एवं भवन है सथा जो कि 13 स्टेय रोड ईलाहाबाद में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में झौर पूर्ण रूप से वॉणत है), रजिस्टीकरर्त्ता, श्रधिकारी के कार्यालय ईलाहाबाद में रजिस्टीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 3-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई हैं और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है श्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमीकरने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रम्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त श्रधिनियम' या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रंतरिति ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए छिपाने में में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के ब्रनुसरण में, मैं, 'उक्त ग्रधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातुः—— श्रीमती प्यारी फिलप्स (म्रन्तरक)

2. श्री लेफ्टीनेंट कर्नल पूरन सिंह थापा एवं ग्रन्य (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब**रा** किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः——इसमें प्रयुक्त शब्थों श्रौर पदों का, जो उक्त झधिनियम के झध्याय 20-क में परिभाषित है, वही झर्थ होगा, जो उस झध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट एवं भवन जो कि 13, स्ट्रेय रोड, इलाहाबाद में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 1.01 एकड़ है। एवं जिसका मजिलों के मुताबिक क्षेत्रफल 11.88.8 वर्ग गज है।

> श्रमर सिंह बिसेन, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 18-7-1976। मोहर : प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई 1976

लिद श सं० 23- सी०/ग्रर्जन---ग्रतः मुझे ग्रमर सिंह बिसेन ग्रायकर ग्राधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'ज्वत ग्राधिनियम', वहा गया है) की धारा 269-ख के ग्राधन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूक्ष्य 25,000/- रुपये से ग्राधिक है ग्रार जिसकी संख्या एक तीन है मंजिला मकान नं० 165 तथा जो कि मो० खुशहाल पर्वत, मह्नामा मालवीय नगर ईलाहबाद में स्थित है (ग्रार इससे उपापद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्त्ता ग्राधकारी के कार्यालय ईलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, तारीख 12-12-1975 । को पूर्वोवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के

दुश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिपत्ल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रीर ग्रन्तरक (श्रन्तरकों) ग्रीर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उभत ग्रन्तरण कि लिए तय पाया गया प्रतिफल से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्सरण से हुई किसी श्राय की बाबस उक्त झधि-नियम, के ग्राधीन कर देने के ग्रान्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अखने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी धन या मन्य म्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर म्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स म्रधिनियम, या धनकर म्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्भ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रसः भ्रव, उक्त भ्रधिनियम, की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रथात्:---- श्री जगन्नाथ प्रसाद (अन्तरक)

2. श्रीमती चम्पा देवी राय (ग्रन्तरिती)

3. श्री जगन्नाथ प्रसाद (वह व्यक्ति, जिसके ग्राधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्स सम्पत्ति के म्रर्जम के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिद्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी ग्रन्थ व्यक्ति ढ़ारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पर्ख्टीकरण—–इसमें प्रयुक्त सब्धों झीर पदों का, जो उक्त प्रधितियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रंघ होगा, जो उस भ्रध्याय में दिया गया है ।

अमुसूची

एक तीन मंजिला मकान नं० 165 सहित जमीन, वहार दिवारी, क्षेत्र फल 30½×30½ जो कि मुहुल्ला खुशहाल पर्वत, महामना मालवीय नगर इलाहाबाद में स्थित है ।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सह्रायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 19व7-1976 मोहर :

1

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०-----

माबकर ध्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रोंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई 1976

निर्देशक सं० 24-एल०/श्रर्जन--ग्रतः मुझे ग्रमर सिंह बिसेन श्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त ग्रधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह बिल्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है

प्रौर जिसकी संख्या एक किता एक मजिल्ला मकान लखनऊ में 288/ 35 है तथा जो कि श्रार्य नगर लखनऊ में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध ब्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्त्ता ग्रधि-कारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 12-12-1975।

को पूर्धोक्स सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथिस नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्राधिनियम के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर म्रक्षिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रघिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

झत: ध्रव उक्त मधिनियम, की धारा 269ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त प्रधिनियम, की धारा 269-थ की उपघारा(1) के ग्रधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, मर्थातु:--- 1. श्री प्रकाश चन्द्र सक्सेना (ग्रन्तरक)

2. श्री लोकेश कुमार दिवेवी (ग्रन्तरिती)

3. बिकता (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, ही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अन<u>ु</u>सूची

एक किंता मकान पुख्ता एक मंजिला नम्बरी 288/35 वाके आर्यनगर लखनऊ में स्थित है जिसका क्षत्न फल 1975 स्यूकेयर फोट है।

भ्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकरी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेज, लखनऊ सारीख : 19-7-1976 मोहर : प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०---

श्रीयकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक झायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

सखनऊ, दिनांक 19 जुसाई 1976

निर्देश सं० 96 ग्रार० ग्रर्जन— ग्रतः मुझे श्रमर्थुसिंह बिसेन मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित धाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

और जिसकी संख्या मकान नं० 12 है तथा जो कि मोहल्ला कालाडाडा इलाहाबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है). रजिस्ट्रीकर्त्ता प्रधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 2-12-1975 को

पूर्वोवस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रसिफल के लिए मन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रसिशत म्रधिक है और म्रन्तरक (मन्तरकों) भौर मन्तरिसी (मन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त म्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्रन्सरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्स ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के श्रन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः, अब, उक्त म्रधिनियम, की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, उक्त म्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा(1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातु:--- 1. श्रीमती कमला देवी (ग्रन्तरक)

श्रीमती राधिका देबी एवं ग्रन्य (ग्रन्तरिती)

 श्रीमती कमला देवी (वह व्यक्ति, जिसके ग्राधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यथाहियां करता हं.।

उनत सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तार्र.ख से 45 दिन की श्रवधि या तत्संबंधी ध्यवितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाग्त होसी हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी ध्यवित द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उदत स्थ.वर सम्पत्ति में हितवद्ध विसी ग्राग्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में विये जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः :----इसमें प्रयुक्त पब्धों और पक्षों का, जो उक्स ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाधित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दो मंजिला मकान नं० 12, क्षेत्रफल 255'× 10' जो कि मोहल्ला काला डाडा, इलाहाबद में स्थित है।

> ग्रमर सिंह विसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 19-7-1976 मोहर : प्ररूप भाई० टी० एन० एस०-

मायकर प्रधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई 1976

निर्देश सं० 54-पी०/ग्रर्जन----ग्रतः मुझ ग्रमर सिंह विसेन ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- स्पये से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी संख्या मकान नं० 488 Ka/68 है तथा जो कि निराला नगर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्सा ग्रधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 24-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिये ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से मधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रम्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) म्रन्तरण से हुई किसी म्राय की बाबत, उक्त मधिनियम के ग्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में, कमी करने या उससे खचने में सुविधा के लिये; भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या मन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या धनकर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया ेना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

इत: झब, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के झनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रर्थात्:---

- 1. श्री जसवन्त सिंह (म्रन्तरक)
- 2. श्री प्रभात कुमार प्रमानिक (ग्रन्तरिती)
- अी बिक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।
- मही (यह व्यक्ति, जिसके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी श्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ढारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवड किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।

स्पद्धीकरण—–इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक़्त झधिनियम के झ्राव्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही झर्थ होगा, जो उस झध्याय में दिया गया है।

अन**ुसूची**

एक पक्का दो मंजिला मकान नं० 488 Ka 68, क्षेत्रफल 3,200 वर्गफीट जो कि निरालानगर, लखनऊ में स्थित है।

> धमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 20-7-1976 मोहर : भाग]]]--खण्ड 1]

प्ररूप माई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर श्रधिनियम 1961 (1961 मा 43) की धारा 269थ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 23 जुलाई 1976

निर्देश सं० 34-जे/ग्रर्जन---ग्रतः मुझ ग्रमर सिंह विसेन आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे ६समें इसके पक्षचात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269.ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

झौर जिसकी संख्या बंगला नं०1 है तथा जो कि० मं०1 घटल रोड पुलिस स्टबन सदर कैन्ट लखनऊ में स्थित है (झौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में झौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ब्रधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्कट्रीरण ब्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के झधीन, तारीख 15/16-12-1975।

को पूर्वोवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिपःल के लिए मन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है, कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ध्रधिक है धौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर भ्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त घन्तरण लिखत में वारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी झाय की बाबत उक्त झधि-नियम, के झधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; झौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या ग्रन्थ श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर झधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, याधन-कर श्रधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ सन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ध्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :---11--216 जी०आई/76 1. सरदार ग्यान सिंह बजाज (भ्रन्तरक)

2. सरदार जेसवंत सिंह सरना एवं श्रन्य (श्रन्तरिती)

 अत्यार ग्यान सिंह बजाज (वह व्यक्ति, जिसके भ्रधि-भोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोवत सम्पत्ति के श्रर्जनके लिये कार्यवाहियां करसा हूं।

उवत सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्राधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पक्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त गब्दों ग्रौर पर्धों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के ग्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसची

एक बंगला सहित कर्मचारियों के घर, अस्त बल क्षेत्रफल 7,712 वर्ग गज जो कि नम्बर 1 घ्रटल रोड पुलिस स्टेशन सदर कैन्ट, लखनऊ में स्थित है ।

> श्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 23-**7-**1976 मोहर : प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई 1976

निर्देण सं० 35-J/प्रजेन--ग्रतः मुझे ग्रमर सिंह बिसेन ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उषत ग्रधिनियम' कहा गया है)की धारा 269 ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से ग्रधिक ग्रौर जिसकी सं० 537/-25 536/-18, 652/19-23, 656/ 645 है तथा जोकि ग्राम दसेलिया है तहसील व परगना खैरावाद जिला सीतापुर में स्थित (ग्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय सीतापुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 24-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिपल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) भौर धन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीज ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निग्नलिखित उद्देश्य से उयत ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के श्रधीन कर देने के श्रान्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसे किसी झाय या किसी धन या ग्रन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर भधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त प्रधिनियम, या धनकर भधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ढोरा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था टिपाने में सुविधा के लिए।

अतः भव उक्त अधिनियम को धारा 269ग के अनु-सरण में, मैं उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :---

- 1. शम्पा देबी एवं श्रन्य (श्रन्तरक)
- 2. श्री जगीर सिंह एवं ग्रन्थ (ग्रंतरिती)
- अीमति गम्पा देवी एवं ग्रन्थ (वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जेन के लिए कार्यवाहियाँ करता हैं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेय---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी झन्य व्यक्ति द्वारा द्यधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पर्ध्टीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, उक्त ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जिसकी नाप 537 536 652 656Ka ----, -----

-25 -18 19-23 6.45

जो कि ग्राम दसैलिया, परगना व तहसील खैराबाद, जिला सीतापुर में स्थित है ।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 24-7-1976 मोहर :

(ग्रन्तरक)

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०----

ग्नायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई 1976

निर्देश सं० 9-I-(A)/ग्रर्जन---ग्रतः मुझे ग्रमर सिंह बिसेन ग्रायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्राधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्राधिक है

ग्नौर जिसकी सं० डी 53/92-93 है तथा जो कमच्छा, वाराणसी में स्थित है ग्रौर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 18-12-75

को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रति-फल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर यह कि ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबस उक्स ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या मन्य भास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः ग्रब, उक्त भ्रधिनियम की धारा 269ग के मनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थात् :---- सम्पत्ति सेवा संस्थान (रजि० पार्टनशिप फर्म) एव ग्रन्य (ग्रन्तरिती)

1. डा० धर्म प्रताप

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीत्तर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्व्धीकरणः :----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्कत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस श्राध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

ध्लाट नं० डी० 53/92−93, जिसका क्षेत्रफल लगभग–– 15, 7, 97, वर्ग फीट है मय चाहारवीवारी जो कि कमच्छा, बाराणसी में स्थित है ।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 29-7-1976 मोहर :

प्ररूप ग्राई०टी०एन०एस०-----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ,

लखनऊ, दिनांक 9 जुलाई 1976

निर्देश सं० 9-ग्राई० (सी)/ग्रर्जन--ग्रतः मुझे श्रमर सिंह बिसेन

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से ग्रधिक है

म्रोर जिसकी सं० डी 53/92-93 है तथा जो कमच्छा वाराणसी में स्थित है (ग्रोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, तारीख 18-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुष्यमान प्रति-फल के लिए झन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है झौर भ्रन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे म्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त झन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त भ्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या ग्रन्थ श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ झन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

ग्रत: ग्रथ, उक्त श्रधिनियम की धारा 269 ग के घनुसरण में, मैं ,उक्त श्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथॉत् :---- 1. भीमति शकुन्तला साह व ग्रन्य (ग्रन्तरक)

 श्री सम्पत्ति सेवा संस्थान (रजि० पार्टनरशिप फर्म), एवं अन्य
 (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी म्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्धोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिद्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शक्ष्वों श्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिमियम के प्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० डी० 53/92−83 जिसका क्षेत्रफल लगभग⊸ 15797 वर्गफीट है मय चाहारदीवारी जो कि कमच्छा, वाराणसी में स्थित है।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 29-7-1976 मोहर : प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ध(1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज लखनऊ

सखनऊ, दिनांक 29 जुलाई 1976

निर्वेश सं० 36-जे/एसीक्यू — अतः मुझे अमर सिंह बिसेन भायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से ग्रधिक है

भ्रोर जिसकी सं० 262 और 108 है तथा जो चक रघुनाथपुर नैनी इलाहाबाद में स्थित है (श्रोर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 16-12-1975 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भ्राय के बाबत उक्त भ्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी थ्राय या किसी धन या श्रन्य थ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय थ्रायकर ध्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः भ्रम्न उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रमु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :---

1.	कुमारी प्रबोध बाला	(भ्रन्तरक)

2. श्री जगदीश चन्द्र (ग्रंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त संपत्ति के म्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की म्रवधि या तत्संबंधी व्यवितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की म्रवधि, जो भी म्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उवत स्थावर संपत्ति में हितबख किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पक्ष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का जो उक्त ग्राधिनियम के ग्राध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रार्थ होगा, जो उस ग्राध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

एक किता दो मंजिला मकान जिसका नम्बर 262 स्रीर 108 है जो कि चक रघुनाथ पुर-नैनी जिला इलाहाबाद में स्थित है ।

> म्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजॅन रेंज लखनऊ

सारीख: 29 जुलाई 1976 मोह्र: प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०-----

मायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के म्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्षालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रोंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई 1976

निर्देश सं० 53-के ग्रर्जन---ग्रतः मुझे श्रमर सिंह बिसेन भायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चास् 'उक्त श्राधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विण्यास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से भाधिक है

प्रौर जिसकी सं० प्लाट गं० 5 है तथा जो मलधीहया वाराणसी में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, तारीख 19-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार सूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है भौर अन्तरक (अन्तरकों) भौर भन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखिस में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्स म्रधि-नियम, के ग्रधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी माग या किसी धन या अन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय मायकर म्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धनकर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

झत: ग्रम उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ममु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नसिखित व्यक्तियों, ग्रथति :---

1. श्री बाला दीन राम जायसवाल व ग्रन्थ	(ग्रन्तरक)
	(

श्रीमतो कमला देवी जायसवाल (ग्रंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के बारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति बारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ध्वीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं ग्रर्थ होगा जो, उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 5 जिसका रकवा 2222 वर्ग फीट है । जो कि मु० मलदहिया शहर वाराणसी में स्थित है ।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज लखनऊ

तारीख: 29-7-76 मोहर : प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के म्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

म्नर्जन क्षेत्र लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 अगस्त 1976

निदेश सं० 67 बी/ए सी क्यू---ग्रतः मुझे ग्रमर सिंह बिसेन ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है,

ग्रौर जिसकी संख्या 9 ग्र व ग्रन्य है तथा जो ग्राम मुहम्मदी में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय बदायुं में रजिस्ट्रीकरण ग्रधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 19-12-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिये प्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरित (भ्रन्तरतों) ग्रौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त ग्रन्तरण लिखित मे वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त घाध-तियम, के घर्धान कर देने के घन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या ग्रन्स आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रत: भ्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के स्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, संर्थात्:---

1. श्रीमती सुमिता कुंवर	(भ्रन्तरक)
2. श्री बैंकुंठ नाथ	(म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि,जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तार्र.ख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पख्टीकरणः⊶–इसमें प्रयुक्त णब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनु सू**ची**

कृषि भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 13 बीघा 2 बिस्वा 19 बिस्वा-न्सी है जो कि ग्राम मुहम्मदी जि० बदायें में स्थित है ।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 5 ग्रगस्त, 1976 मोहर :

भाग III--खण्ड 1

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०----

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 ग्रगस्त 1976

श्रीर जिसकी संख्या एक मकान है तथा जो कि ग्राम बलरामपुर प० व तह० बलरामपुर जिला गोंडा में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध स्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है),रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय गोंडा में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रधीन, तारीख 24-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूण्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विण्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिग्रत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) स्रोर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम के अधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर /या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी घन या ग्रन्थ आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये:

ग्रस:, ग्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:---

1. 3	श्रीमती जानकी देवी ((म्रन्तरक))
------	----------------------	------------	---

2. श्रीमती कुसुम देवी (ग्रन्तरिती)

खरीददार (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. खरीददार (वह व्यक्ति, जिसके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यहसूचनाजारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करसा हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रयधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से विसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के श्रध्याय 20-कमें परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

अनु सूची

एक मंजिला मकान नाप 6110 वर्ग फिट जो कि ग्राम तह० व प० बलरामपुर जिला गोंडा में स्थित है ।

> भ्रमर सिंह विसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रजन रेंज लखनऊ

्तारीख : 5--8-76 मोहर : ्रहरूप म्राई०टी० एन० एस०—

श्रायकर म्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्वर्जन क्षेत्र लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 श्रगस्त 1976

निर्देश सं० 55-कें/एसीक्यू — -- ग्रतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्षत अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से ग्रधिक है

ग्नीर जिसकी सं० एक मकान है तथा जो ग्राम, प० व० तह० बलराम-पुर जिला गोंडा में स्थित है (ग्नीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में झौर पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गोंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्राग्तरण से हुई किसी ग्राय की वाबत उक्त ग्रधि-नियम के श्राधीन कर देने के ग्राग्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी घन या ग्रन्य ग्रास्तियों को जिन्हें, भारतीय ग्रायकर ग्रघिनियम, 1922 (1922 का 11) या उवत श्रघिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

ग्रतः ग्रब उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात्:— 12---216 G1/76

1. श्रीमती जानकी देवी	(ग्रन्तरक)
2. श्री कैलाग सिंह	(ग्रंतरिती)
 खरीदादार के (वह व्यक्ति, 	जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति

है) ।

 खरीददार के (वह ध्यक्ति, जिसके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जनता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोवत सम्पत्ति के श्चर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी श्रवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्षत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान नाप 5330 वर्ग फिट जो कि ग्राम, परगना व तहसील बलरामपुर जिला गोंडा में स्थित है ।

> श्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 5 ग्रगस्त, 1976 मोहर : प्ररूप ग्राई० टीं० एन० एस०⊸⊸∽

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आधुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निर्देश सं० 56-के/ग्रर्जन----श्रतः, मुझे श्रमर सिंह बिसेन श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' वहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से श्रधिक है श्रौर जिसकी सं० प्लाट, 733वर्ग गज है तथा जो कि मो० खुरशीद जिला रामपुर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्योलय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 23-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत से शक्षिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त श्रधिनियम, के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, याछिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, श्रव उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत:---

1	9 TTTTTT	मुभताज	T	्य गरिव	(अन्तरक)	٤.
. I	2010	H H CI 1/8	C 0/5 H	G 11 H 1		
		- F - C - C - M - M	1/0.1	M (1) (1)	- 24 C 1 C 10 J	
		ų.	- Ç		· /	

श्री करीम बख्श उर्फ भुरा
 (ग्रन्तरिती)

 अीमति मुमताज दुल्हन बेगम (वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्संदंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अम् सूची

एक प्लाट नाप 733 वर्ग गज जो कि मो० खुरशोड विला जिसा रामपूर में स्थित है :

> श्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीखः 6-8-76 मोहरः भाग III--खण्ड 1

प्ररूप आई ० टी	० एन० ए	सं०
----------------	---------	-----

भ्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ष (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निर्देश सं० 18- न/ग्रर्जन—---अतः मुझे अमर सिंह बिसेन ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनिंयम' कहा गया है) की धारा 269 घ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से ग्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० प्लाट 1154 है वर्ग गज है तथा जो कि मो० खुरगीद विल्पा रामपुर में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबख अनुसूची में ग्नौर पूर्ण रेखप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन तारीख 23-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृक्यमान प्रतिफल के लिए ग्रान्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विक्ष्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिक्षत से श्रधिक है श्रौर श्रान्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे झन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी ध्राय की बाबत उक्त झधि-नियम, के ग्रधीन कर देने के झन्तरक के दायित्व में कमी_. करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ध्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी धाय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उक्त श्रधिनियम की धारा 269--ग के श्रनु-सरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269--घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात्:---

1.	मुमताज	दुल्हन	बेगम		(ग्रन्तरक)
----	--------	--------	------	--	------------

श्रीमति नन्द कुमारी एवं अन्य (अन्तरिती)

3. श्रीमति मुमताज दुल्हन बेगम (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त संपत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूधना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी ग्रन्थ शक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

अनु सूची

एक प्लाट नाप 1154 है वर्ग गज जो कि मो० खुरशीद विल्प जिला रामपुर में स्थित है ।

> श्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 6-8-76 मोहर: भारत का राजेपझ, अगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)

माग III-खण्ड 1

्रप्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०—

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 6 ग्रगस्त 1976

निर्देश सं० 9-0/ग्रर्जन-ग्रितः मुझे जिमर सिंह बिसेन धायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उवत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के भ्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विग्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-- रुपए से ग्रधिक है भ्रौर जिसकी सं० प्लाट $1163rac{1}{2}$ वर्ग गज है तथा जो कि मो० कम्पाउन्ड खुरशीद विल्प रामपुर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध <mark>ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी</mark> के कार्यालय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 23-12-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) भौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाक्षत, उक्त अधिनियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी घाय या किसी धन या ग्रन्य थास्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

ध्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :----

 श्रीमति मुमताज दुल्हन बेगम 	(ग्रन्तरक)
--	------------

श्री भ्रोम प्रकाश एवं ग्रन्थ (ग्रन्तरिती)

3. विक्रैता (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्वर्जन के लिए_. कार्यवाहियां करता हं ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जासकेंगे।
- स्पर्ध्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो 'उक्त ग्रधिनियम', के ग्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जिसका नाप 1163ई वर्ग गज जो कि मोहल्ला कम्पाउन्ड खुरशीद विल्प, रामपुर में स्थित है ।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 6-8-1976 मोहर : प्रारूप ग्राई० टी० एन० एस०-—

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 11 श्रगस्त, 1976

निदश सं० म्राई० ए० सी०/एक्यू०/ 1/एस० म्रार०-JHI/ 1038/ दिसम्बर-1 (1 2)/75–76/–~म्रत: मुझे चं० वि० गुप्ते

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-भ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

ग्रौर जिसकी स० 25/156-156-ए है तथा जो लाजपत नगर न्यू डब्ल स्टोरी, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ अनुसूची में पूर्ण से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908(1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 9-12-1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए झन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिषत से श्रधिक है और अन्तरक (ग्रन्सरकों) श्रौर अन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देग्य से उक्त झन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की काबत उक्त अधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या श्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः, श्रब उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के धाभीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थातु :--- श्री सुन्दर दास मोतिआनी, सुपुत्र श्री झाभल, निवासी डी-44, अमर कालोनी, नई दिल्ली 1 इनके अटारनी श्री मदन लाल के द्वारा, सुपुत्र श्री मोहम लाल, निवासी के-II / 101, लाजगत नगर,नई दिल्लो ।

 श्री मुरली धर उपाध्याय, सुपुत्र स्वर्गीय श्री कामक्षा प्रसाद उपाध्याय, निवासी -सी-16, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली 1 (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्नर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी ध्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के म्राघ्याय 20क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस म्राध्याय में दिया गया है।

अनु सूची

जायदाद जिसका नं० 25/156-156 ए है, न्यू डबल स्टोरी, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली में स्थित है ।

> चं० वि० गुप्ते सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख: 11-8-76 मोहर: प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज 1, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1976

निर्देण सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-/111 श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- २० से मधिक है मौर जिसकी सं० सी-1 है तथा जो स्वामी नगर, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ ग्रनसूची में पूर्व रुप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 1908 (1908का 16) के ग्रधीन, तारीख ग्रधिनियम, 30-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिग्नत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) झौर अन्तरिती (म्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्स ग्रिधिनियम, के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर /या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या भन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थात्:--- श्री मति राधा कुमारी, पत्नी श्री ग्रार० दयाल, निवासी-सी-25, स्वामी नगर, नई दिल्ली।
 (ग्रन्तरक)

2. श्री भगवान राय णर्मा, सुपुत्न श्री लाघु राम शर्मा, निवासी सी-III, स्वामी नगर, नई दिल्ली। (ग्रन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के क्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त घब्दों भ्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के ग्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड निवासी प्लाट की भूमि जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है, ग्रधूरे बने हुए ढांचे के साथ है, जिसका नं० सी 1, स्वामी नगर कालोनी, चिराग दिल्ली गांव के पास नई दिल्ली, दिल्ली राज्य, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:---

पूर्व : 15' चौड़ी सर्विस रोड पश्चिम : 36' चौड़ी रोड उत्तर : प्लाट नं० सी-2 दक्षिण : प्लाट नं० बी-1

> र्ष० वि० गुप्ते सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख: 12-8-76 मोहर: प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०-----

श्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269ष (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 जुलाई, 1976

निदेश नं० धर्जन /1137/ ग्रागरा/75-76/691 :----धतः मुझे, विजय भार्गव,

ग्रायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्ष्यास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से ग्राधिक है

थौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से र्वाणत है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, श्रागरा में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 31-12-1975

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी झाथ की बाबत उक्त झधि-नियम, के झधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; झौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्थ झास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धनकर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिंग् श', किपएने में सुविधा के लिए;

अतः ग्रव उक्त अधिनियम की धारा 269--ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269--घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातु :---- (1) श्रीमती सुशीला गौड़ पत्नी केदार नाथ गौड़ निवासी नगला ढाकरान निकट सुभाष पार्क, सिविल लाइन्स ग्रागरा।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती सुरेश गुलाटी पत्नी कृष्ण गोपाल गुलाटी निवासी हींग की मण्डी श्रागरा । (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के म्रर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती है; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त घब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के प्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया था।

अनु सूची

ग्रचल सम्पत्ति नं० 3/18 का भाग इसका क्षेत्र फल 619 वर्गगज है जो महात्मा गांधी मार्ग (सुभाष पार्क) स्रागरा में स्थित है इसका हस्तान्तरण 35,000में किया गया है।

> विजय भार्गव सक्षम प्राधिकारी, सहायक भायकर म्रायुक्त (निरीक्षण), म्रजन रेंज, कानपूर

तारीखः 9-7-76 मोहरः

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 9th July 1976

No. A.32014/2/76-Admn-I.—In partial modification of this Office Notification of even number dated 24th April, 1976, the President has been pleased to allow Shri K. Sundaram, Permanent Personal Assistant (Grade-C of CSSS) Cadre of Union Public Service Commission to officiate as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) on purely temporary and *ad hoc* basis for a period with effect from 2-5-1976 to 30-6-1976 (after one day's break on 1-5-1976 following the previous spell of officiation as Senior Personal Assistant from 1-4-1976 to 30-4-1976), against the post of Senior Personal Assistant sanctioned for Additional Secretary & Controller of Examinations as personal to him.

> P. N. MUKHERJEE Under Secretary Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINIS-TRATIVE REFORMS

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 29th July 1976

No. A-19034/1/76-Ad.V.—Consequent on change of designation of the post of Dy. Central Intelligence Officer, Central Finger Print Burcau, Calcutta to that of Dy. Supdt. of Police (FP) with effect from 19th June, 1976, Shri Y. S. Dikshitulu, Deputy Central Intelligence Officer, Central Finger Print Bureau is appointed as Dy. S.P. (FP) with effect from 19th June, 1976.

> G. L. AGARWAL Administrative Officer (E) C.B.I.

New Delhi, the 30th July 1976

No. A.35018/6/75-AD.I.—Dcputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri I. U. Pathan, an officer of Gujarat State Police on deputation as Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment, Division of the Central Bureau of Investigation, Ahmedabad Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 10-4-1976 until further orders.

V. P. PANDEY Administrative Officer (A) C.B.I.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 30th July 1976

No. 1/3/76-Adm.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri U. S. Joshi (I.R.S.), Deputy Secretary, Central Vigilance Commissioner, as Director in the Commission, in an officiating capacity, with effect from the afternoon of 27th July, 1976, until further orders.

C. NARAYANASWAMY Deputy Secretary for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 29th July 1976

No. O-II-881/69-Estt.—Consequent on his attaining the age of superannuation Shri Sant Ram has relinquished charge of the post of JAD (A/Cs) CPAU, Directorate General CRPF New Delhi on the afternoon of 30th June 1976.

The 30th July 1976

No. O-II-147/76-Estt.—The President is pleased to appoint on re-employment Shri P. N. Mehra (Retd.) as Asstt. Commandant in the C.R.P.F. until further orders.

Shri Mehra took over charge of the post of Asstt. Commandant in the Directorate General CRPF New Delhi on the forenoon of 16-7-1976.

The 31st July 1976

No. O.II-1032/75-Estt.—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. (Mrs) Jyotsnamai Nayak, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on an *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 4th July, 1976.

The 2nd August 1976

No. O-II-1033/75-Estt.—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Shyama Raina, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on *ad hoc* basis for a period of 3 months only w.e.f. the forenoon of 8th June, 1976.

No. O-II-1040/76-Estt. (CRPF).—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. M. Sreenivasa Reddy, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on an *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 16th July, 1976.

No. O-II-1038/75-Estt. (CRPF).—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Usha Jain, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on an *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 21st July, 1976.

No. O-II-1048/75-Estt. (CRPF).—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. Choudhury Kshirod Chandra Das, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F., on *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 19th May, 1976.

> A. K. BANDYOPADHYAY Assistant Director (Adm)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

New Delhi-110011, the 30th July 1976

No. 12/5/74-RG(Ad.1).—In continuation of this office notification No. 12/5/74-Ad.I dated 11 February, 1976, the President is pleased to extend the *ad hoc* appointment of Smt. Krishna Chaudhuri as Linguist, in the office of the Assistant Registrar General (Languages), for a further period of one year with effect from 12 July 1976 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

The 3rd August 1976

No. 25/101/72-RG(Ad.1) —Shri D. M. Sinha relinquished charge of the office of *ex-officio* Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow, on the forenoon of 30th July, 1976.

> BADRI NATH Deputy Registrar General, India & *ex-officio* Deputy Secretary

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPART-MENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL BIHAR

Ranchi-834002, the 30th July 1976

No. OE-I-Audo-2113.—The Accountant General has been pleased to promote Shri Nagendra Kishore Mandal, a substantive Section Officer of his office to officiate until further orders as an Accounts Officer in that office with effect from 13-7-1976 (F.N.).

No. OE-I-Audo-2116.—The Accountant General has been pleased to promote Sri Pramatha Nath Roy, a substantive Section Officer of this office to officiate until further orders as an Accounts Officer in that office with effect from 15-7-1976 (F.N.).

> B. P. SINHA Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 2nd August 1976

No. 40011(2)/76/AN-A-(1) The undermentioned Accounts Officers will be transferred to the pension establishment with from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation.

Serial Name with Roster Number Number						Grade	Date from which transferred to pension establish- ment	Organisation	
1	2					3	4	5	
	Sarvashri								
1.	K. Lakshminarayana (P/25)	n	•	•	•	Permanent Accounts Officer.	31-1-77	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.	
2,	P. Mitra (P/116)	•	·	•	·	Permanent Accounts Officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.	
3.	Amares Sen . (P/173)	•	•	•	•	Permanent Accounts officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun.	
4.	Bansi Lal Anand . (P/403)	•	•	•	•	Permanent Accounts Officer	311-77	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun.	
5.	V.K. Muthuswamy (P/598)	•	•	•		Permanent Accounts officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.	
6,	A.K. Chatterice, . (P/640)	•	•	•	•	Permanent Accounts Officer	31-1-77	Cntroller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.	
7.	M.L. Dhar, . (P/392)	•			•	Officiating Accounts Officer	31~1-77	Controller of Defence Acounts (Factories) Calcutta.	

(2) "The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of Shri V. Gopalan, Officiating Account Officer (0/45) in the organisation of Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona on 15-7-76

Shri V. Gopalan has accordingly been struck off the strength of the department with effect from 16-7-1976 (FN).

(3) Having given notice of voluntary retirement from service under the provision of Article 459 (i) Civil Service Regulations, Volume I, Shri H.D. Sharma, Permanent Accounts Officer P/445 serving in the organisation Defence Accounts, Western Command, Mcerut will be transferred to the pension establishment with effect from the forenoon of 19th October.

Shri H. D. Sharma has been granted earned leave from 21-6-76 to 18-10-76 and Half Pay leave from 19-10-76 to 22-10-76 beyond the date of voluntary retirement.

S.V. SUBRAMANIAN Dy. Controller General of Defence Accounts (AN)

13-216G1/76

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III-SEC. 1

MINISTRY OF COMMERCE OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS IMPORT & EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd August 1976

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1141/76-Admn(G)/5051.—The President is pleased to appoint Shri T. M. Rajagopal, a permanent Stenographer of Grade II of the CSSS working in the Ministry of Commerce to officiate as Senior Personal Assistant (Grade-I) of the CSSS in this office with effect from the forenoon of 15th July, 1976 until further orders.

No. 6/773/65-Admn(G)/5062.—On attaining the age of superannuation Shri V. R. Pillai, relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in the Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Ernakulam on the afternoon of the 30th June, 1976.

No. 6/533/58-Admn(G)/5072.—The President is pleased to allow Shri A. Ramachandran, an officer officiating in the Selection Grade of the CSS and Deputy Chief Controller of Imports and Exports to continue as Joint Chief Controller of Imports and Exports in this office in an officiating capacity for a period of 60 days with effect from 21-5-76 (forenoon).

> A. S. GILL Chief Controller of Imports & Exports

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 27th July 1976

No. A-1/1(1052).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Saxena, Senior Economic Investigator in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi to officiate on *ad hoc* basis as Machine Tabulation Officer in the same Directorate General, New Delhi with effect from the forenoon of the 15th July, 1976.

The 28th July 1976

No. A-1/1(1032).—The President has been pleased to accept the resignation tendered by Shri Jamil Ahmed, a temporary Assistant Director (Grade I) (Training Reserve) in this Directorate General with effect from the afternoon of 13th July, 1976.

2. On acceptance of his resignation Shri Jamil Ahmed relinquished charge of the post of Assistant Director (Grade I) (Training Reserve) in this Directorate General on the afternoon of 13th July, 1976 to enable him to report for training at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration Mussoorie on his selection for Central Services, Class I/Indian Police Service on the basis of the results of the Combined Competition Examination, 1975.

> **K.** L. KOHLI Deputy Director (Administration)

MINISTRY OF STEEL AND MINES (DEPARTMENT OF MINES) GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta, the 29th July 1976

No. 40/59/C/19A.—The *ad hoc* appointment of Shri S. N. Roy to the post of Assistant Administrative Officer in the Geological Survey of India is regularised with effect from the forenoon of 1-6-1976, until further orders.

Shri S. N. Roy was holding *ad hoc* appointment in the post of Assistant Administrative Officer with effect from 10-12-1973.

No. 2222(AKDG)/19A.—Shri Anup Kumar Das Gupta, Senior Technical Assistant (Geology), Geological Survey of India is appointed as an Assistant Geologist in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740— 35—810—EB—35—880—40—1000— EB —40 — 1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 21st June, 1976, until further orders.

No. 2222(PRR)/19A.—Shri P. Ramkista Reddy is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/per month in the scale of pay of Rs. 650--30-740-35-810-EB -35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 16th June, 1976, until further orders.

> V. K. S. VARADAN Director General

SURVEY OF INDIA

Dehra Dun, the 31st July 1976

No. E1-5117/724-SOS.—Shri Pushkar Singh is appointed to officiate as Assistant Stores Officer, Survey of India in the General Central Service Group 'B', against a temporary post in the revised scale of pay of Rs. 550—25—750—EB—30—900/with effect from the forenoon of 12th July, 1976 until further orders.

> K. L. KHOSLA Maj Gen Surveyor General of India

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-11, the 21st July 1976

No. 14/2/75-M.—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, Dr. (Mrs.) D. Mitra, Director (Monuments) hereby direct that no fee shall be charged for entry into Taj Mahal, Agra (U.P.) on 24th July 1976 from 4.00 p.m. to 12.00 p.m. (Midnight) 25th July, 1976 from

7566

2.00 p.m. to 5.00 a.m. (25/26th Night) 26th July, 1976 from 7.00 a.m. to 4.00 a.m. (26th/27th Night).

MRS. D. MITRA Director (Monuments) for Director General

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

No. F. 70-2/74-Estt./13589.—On the recommendation of the DPC, the following Senior Zoological Assistants, Zoological Survey of India are appointed to officiate as Assistant Zoologist, in the same department in temporary capacity from the dates noted against them, until further orders :—

1. Shri A. S. Mahabal-16-7-1976.

- 2. Shri Ajoy Kr. Mandal-14-7-1976.
- 3. Shri Rezaur Rahman-14-7-1976.

DR. S. KHERA Joint Director-in-Charge, Zoological Survey of India

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 29th July 1976

No. 10/13/76-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to promote and appoint Shri S. L. Mangla from Senior Engineering Assistant to the Cadre of Assistant Engineer at HPT, All India Radio, Rajkot in an officiating capacity with effect from 12-7-1976 (FN).

No. 10/36/76-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to promote and appoint Shri K. C. Sarkar from Senior Engineering Assistant to the Cadre of Assistant Engineer at All India Radio, Visakhapatnam in an *ad hoc* capacity with effect from 9-7-1976 (F.N.).

The 31st July 1976

No. 10/5/76-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to promote and appoint Shri S. S. L. Gupta from Senior Engineering Assistant to the Cadre of Assistant Engineer at HPT, Jodhpur in an officiating capacity with effect from 7-7-1976 (FN).

> HARJIT SINGH Deputy Director of Administration for Director General

New Delhi, the 30th July 1976

No. 6(109)/63-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri V. Y. Lohakare, Transmission Executive, All India Radio, Nagpur as Programme Executive, All India Radio, Nagpur in a temporary capacity with effect from the 3rd July, 1976 and until further orders. No. 6(111)/63-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. V. Iyer, Transmission Executive, All India Radio, Madras as Programme Executive, All India Radio, Madras in a temporary capacity with effect from the 7th July, 1976 and until further orders.

> P. K. SINHA Deputy Director of Administration for Director General

DIRECTORATE GENERAL : DOORDARSHAN

New Delhi, the 21st July 1976

No. A-19012/37/76-SII.—The Director General, Doordarshan hereby appoints Shri G. C. Garg, SEA as Asstt. Engineer at Doordarshan Kendra, Lucknow with effect from 29-6-1976 in an officiating capacity, until further orders.

> R. K. KHATTAR Dy. Director of Administration for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 30th July 1976

No. A.32012/4/76(SJ)-Admn.1.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri M. M. Sangoi to the post of Senior Occupational Therapist in the Safdarjang Hospital, New Delhi, with effect from the forenoon of the 30th June, 1976, in a temporary capacity, and until further orders.

No. A. 11013/2/76(HQ)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri A. K. Shrivastav to the post of Technical Officer in the Director General of Health Services with effect from the forenoon of 25th June, 1976 on an *ad hoc* basis and until further orders.

No. A. 32012/2/76(SJ)-Admn.1.—The Director, General of Health Services is pleased to appoint Shri Khub Chand, Accountant, Safdarjang Hospital, New Delhi to the post of Assistant Administrative Officer in the same Hospital, with effect from the forenoon of the 28th June, 1976, in a temporary capacity and until further orders.

No. A. 32012/2/76(SJ)-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Jaswant Ram, Confidential Assistant, Safdarjang Hospital, New Delhi to the post of Assistant Administrative Officer in the same Hospital, with effect from the forenoon of the 28th June, 1976, on an *ad hoc* basis, and until further orders.

No. A. 12022/1/76-(CSSS)/Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Choudhury, a Grade II Stenographer belonging to the Cadre of the Ministry of Health and Family Planning, to the post of Senior Personal Assistant (Grade 1 of the Central Secretariat Stenographers' Service) in the Directorate General of Health Services for a period of three months with effect from the forenoon of 15th July 1976. No. A.22013/2/76-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri P. L. Joshi, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the C.S.S. for a period of 23 days from the forenoon of the 9th July, 1976 to the afternoon of 31st July, 1976.

The President is also pleased to appoint Shri P. L. Joshi as Deputy Director Administration in the Directorate General of Health Services for the above period.

The 2nd August 1976

No. 9-21/75-Admn.I.—The President is pleased to appoint Kumari Hashmath Huque to the post of Senior Lecturer (Continuing Education) at the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 17th July, 1976 and until further orders.

On her appointment to the post of Senior Lecturer (Continuing Education), Kumari Hashmath Huque relinquished charge of the post of Senior Tutor at the same College on the forenoon of the 17th July, 1976.

The 3rd August 1976

No. 26-18/70-Admn.I.—While proceeding on earned leave for the period from the 17th March, 1976 to 31st March, 1976, Dr. Krishna Mohan, relinquished charge of the post of Assistant Director (Non-medical Veterinarian) in the Kala-Azar Unit, National Institute of Communicable Diseases, Patna, on the afternoon of 15th March, 1976 (16th March being closed holiday).

On the expiry of the earned leave, Dr. Krishna Mohan reverted to his parent Department *i.e.* Department of Agriculture, Animal Husbandry and Cooperation (Animal Husbandry), Government of Bihar, Patna, with effect from the 1st April, 1976.

> S. P. JINDAL Deputy Director Administration

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 27th July 1976

No. A. 32013/9/75-ES.—The President is pleased to appoint Shri K. Himmat Singh, Aircraft Inspector in the Inspection Office, Bombay as Senior Aircraft Inspector in the same office on an *ad hoc* basis from the 7th May, 1976 to 20th May, 1976 and on regular basis with effect from 21st May, 1976 and until further orders.

The 30th July 1976

No. A. 32013/3/75-EC.—In this Department Notification of even number dated the 22nd June, 1976, Serial No. 2 may be substituted as under :—

S. No., Name and Station of posting

2. Shri V. K. Varma, Regional Director, Bombay Region, Bombay Airport, Bombay-57.

No. A. 32013/8/76-EC.—The President is pleased to appoint Shri H. N. Iyer, Senior Communication Officer attached to the office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport, Madras to the grade of Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Madras on *ad hoc* basis with effect from the 18th April, 1976 until further orders.

> H. L. KOHLI Deputy Director of Administration

New Delhi, the 23rd July 1976

No. A. 19014/169/72-EH.—The President is pleased to appoint Dr. P. C. Mathur, an officer of the Indian Statistical Service, Grade IV to the post of Statistical Officer in this Office from 1st July, 1976 (forenoon), until further orders.

> T. S. SRINIVASAN Assistant Director of Administration

FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES

Dehra Dun, the 29th July 1976

No. 16/115/67-Ests-I.—On the expiry of three months notice given to him under F.R. 56(J), Shri Madan Mohan Singh, Assistant Mensuration Officer, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, retired from service with effect from the afternoon of 30-6-1976.

H. B. JOSHI Registrar, Forest Rescarch Institute & Colleges

COLLECTORATE OF CENTCAL EXCISE AND CUSTOMS Patna, the 30th July 1976

C. No. II(7)5-ET/75/6814—In pursuance of Government of India, Department of Revenue and Banking New Delhi's order No. 87/76 dated 10-6-76 issued under letter No. A. 22012/19/76-Ad. II dated 10-6-76 and this office Estt. order No. 180/76 dated 16-6-76 appointing three Superintendents of Central Excise/Customs Group 'B' of this Collectorate, to officiate as Assistant Collector of Central Excise/Customs (Jr. scale)/Superintendent Central Excise/Customs Group 'A' in the scale of pay of Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300/- the following officers have a ssumed charge as Assistant Collector of Central Excise at this respective places and with effect from dates and hour indicated against each.

Sl. Name								Place of posting	Date of assumption
No.									of charge.
1, Sri S.B. Saran	•	•	•	•		•	•	Assistant Collector (L/R) (Vig-cum-Welf) C. Ex. Hqrs. office, Patna.	18-6-76 (F.N.)
2. Sri S.S. Verma			•	-	•	•	•	. Asstt. Collector, C. Ex., Dhanbad	30-6-76 (F.N.)
3. Sri S.P. Gupta		•	•	•	•	•	•	Asstt. Collector (Tech.) C. Ex. Hqrš.Office, Patna.	18-6-76 (F.N.)

7568

Madurai-2, the 31st July 1976

No. 1/76.-The following Inspectors of Central Excise (S.G.) Madurai Collectorate are appointed to officiate until further orders as Superintendent Group B in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. They have assumed charges as suprintendent on the date noted against each :---

Sl. No.	. Name of the O	fico	r					Place of p	osting	Date of assumption
1	2		_					 3		4
	S/Shri							 		
1. A.	J. Rathnaswamy							Supdt.	Dindigul MOR.	11-2-76
2. S.	Thamburaj .			,				Do	Dindigul PG.	21-6-76
	Samson David							Do,	Custom House, Nagapattinam	. 23-6-76
4. C.	Ascervatham				•		,	Do,	Palani MOR.	25-6-76
5. A.)	D. Prakashchandrai	1						Do.	Dindigul I.G.	30-6-76
6. V.A	A.M. Sheik Moham	ed						Do.	Ramanathapuram Division	30-6-76
7. S.N	A. Khader Hussian							Do.	Tirunelvelly Division.	24-7-76

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT PORT OF NEW TUTICORIN

Tuticorin-628004, the 28th May 1976

No. A. 22013/(1)/76/Admn/D 1408.—The Chief Engineer & Administrator/Port of New Tuticorin is pleased to appoint Shri M. Muniandi, Junior Engineer (Mechanical) in the Port of New Tuticorin on promotion, as Assistant Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- w.e.f. 19-5-1976 (FN) until further orders.

> D. I. PAUL Chief Engineer & Administrator

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF

New Delhi, the 31st July 1976

No. 27-C/M(2)/74-EC11—The following officers of Central Public Works Department on attaining the age of superannuation have retired from service on 31-7-76 (A.N.)

S.No.	Name				Present Designation
1,	2				3
· (S/Shri)					
1: Swami	Dial	•	•	•	Chief Engineer (Food), CPWD, New Delhi.
2. V. Nar	ayanan	•		•	Chief Engineer (Valuation), Income-tax Department, New Delhi.
3. R.S. M	lathur		•	•	Superintending Engineer (Inquiries), C.O., C.P.W.D. New Delhi.
4. Nirma	l Singh	·	•	•	Surveyor of Works, Office of the S.S.W (Delhi Admn.) New Delhi.
5, D.K.	Jain				Executive Engineer, on depu- tation to Delhi Develop- ment Authority, New Delhi.
6. B.G. I	Palsikar		·		Executive Engincer (Valua- tion), Income-tax Depart- ment, Bombay.

P. S. PARWANI Dy. Director of Admn. for Engineer-in-Cheif.

M. S. SUBRAMANYAM Collector

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st July 1976

No. 74/RE/161/1.—It is notified for information of the Public that in connection with the introduction of 25 kV AC electric traction over the section Food Grain Siding at Manmad of the Central Railway, height gauges have been erected at all the level crossings with a clear height of 4.67 m above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact or dangerous proximity to live traction wires. Public are hereby notified to observe the height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that the loads carried in Road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstances.

The dangers of a load of excessive height are as follows :

- (i) Danger to the height gauge and consequent obstruction to the road as well as the Railway line.
- (ii) Danger to the materials or equipment carried or the vehicle itself.
- (iii) Danger of fire and risk of life due to contact with or dangerous proximity to the live conductors.

B. MOHANTY Secretary, Railway Board

RESEARCH DESIGNS & STANDARDS ORGANI-SATION

Lucknow-11, the 29th July 1976

No. APC/196.—Shri H. R. Singh, Assistant was promoted as Section Officer/Estt. IV, Rescarch Designs and Standards Organisation, Lucknow from 17-5-1976 to 9-7-1976.

> G. N. BHATTACHARYA Director General

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 1st May 1976

No. 12.—Shri P. N. Sud officiating Additional Chief Engineer (Planning) of this Railway retired finally from service on 30-4-1976 (AN).

The 29th July 1976

No. 16,—Shri D. P. Nag, Class II Officer of Stores Department, Northern Railway has finally retired from service w.e.f. 31-5-1976 (AN).

> S. C. MISRA General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Sambalpur Friends Cement Enterprises Private Ltd.

Orissa, the 28th July 1976

No. A-552/76-1370(2) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Sambalpur Friends Cement Enterprises Private Ltd., unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. N. G. Crushing & Manure Mills Private Ltd.

Orissa, the 28th July 1976

No. A-183/76-1371(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. N. G. Crushing & Manure Mills Private Ltd., unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

> C. R. DAS Registrar of Companies, Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the Cotton Traders Private Limited, Gwalior

Gwalior, the 29th July 1976

No. 383/LIQN/2119.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act, 1956 that The Cotton Traders Private Limited, Gwalior (In Liquidation) has been ordered to be wound up by an order dated 28th June, 1976 passed by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh Bench at Gwalior and the Official Liquidator Indore has been appointed as Liquidator of the Company.

> S. P. TAYAL Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Saraswathi Motor Transport Company Ltd.

Madras, the 30th July 1976

No. DN/2754/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560(5) of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saraswathi Motor Transport Company Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Salem Sri Kannika Parameswari Bank, Limited

Madras, the 30th July 1976

No. DN/2793/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-secton (3) of Section 56(5) of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Salem Sri Kannika Parameswari Bank Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

> P. BHASKER RAO Asst. Registrar of Companies, Tamil Nadu, Madras

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX New Delhi V, the 25th May 1976

ORDER

No. JUR-DLI/V/75-76/5200—In modification of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the Income-tax officers mentioned in column 2 of the schedule appended hereto shall perform their functions in respect of the persons of classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases specified in column 3 of the said Schedule other than persons or classes of persons, incomes or classes of incomes and cases or classes of cases which have been or may hereafter be assigned under Sub-Section (1) of Section 124 or Section 127 of the said Act to any other income-tax Officer.

This notification shall have effect from the 1-6-76.

			SCHEDULE	
S. No.	Designation Officer	of the Income-tax	Jurisdiction	Area
1	2		3	4
1. Inco Delh		Distt11(16), New	(a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column	60, 61, 62, 63, 64, 65 & 66 (Viz. Timar Pur, Sohan Ganj, Aryapura Roshanara

PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

1 2	3	4
	No. 4 of this Schedule or residing lin any such area, whose name commen- ces with alphabets C.D, K.L., U & V.	Corp. Delhi.
	(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	
2. Income-tax Officer, Distt. II (12), New Delhi.	(a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose name commences with alphabets A, B & F.	Do.
	(b) All persons being priners of firms falling in Item (a) above.	
3. Income-tax Officer, Distt. II (13), New Delhi.	 (a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in Column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose name commences with alphabets M, N & O. 	The area comprised in Wards No 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 and 66 (Viz. Timar pur, Sohan Ganj, Aryapura, Roshanara Ext. and Vijay Nagar) of the Municipal Corp. Delhi.
	(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	
4. Income-tax Officer Distt II (14), New Delhi.	(a) Every person carrying on a business or profession having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose names commences with alphabets E, P, Q, R, W, X, Y & Z.	Do.
	(b) All persons being partners of falling in item (a) above.	
 Income-tax Officer Distt. II (15), New Delhi 	(a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose name commences with alphabets S & T.	Do.
	(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	

ORDER

No. JUR/DLI-Range-V-A/74-75/5066.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the following Incometax circle shall be created in Distt. II w.e.f. 1-6-1976.

(i) Dstt. II(16), New Delhi.

The 5th June 1976 INCOME-TAX

No. JUR-DLI/V/76-77/10117.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi, hereby directs that the following Income-tax Circle created under Notification No. JUR-DLI/V/75-76/18863 dated 31-10-1975, shall stand abolished w.e.f. 4-6-1976.

1. Distt. IV(8) (Addl.), New Delhi.

No. JUR-DLI/V/76-77/10240—In supersession of all previous orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961(43 [of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf the Commissioner of Income-tax, Delhi-V New Delhi hereby directs that the Income-tax Officers mentioned in col. III of the Schedule appended hereto shall perform their functions in respect of persons or classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases specified in col. III of the said Schedule other than persons or classes

of persons, incomes or classes of incomes and cases or classes of cases which have been or may hereafter be assigned under sub-section (1) of section 127 of the said Act by the Central Board of Direct Taxes by the Commissioner of Incometax to any Income-tax officers :

_

SCH	EDULE	
-----	-------	--

·	SCHEDULE	
. No. Designation of the I.T.O.	Jurisdiction	Area
L 11	111	IV
 Income-tax Officer, Doctors' Circle -I, New Delhi. 	(a) All cases of persons carrying on business of profession as medical practitioners of alopath i.e. Homeo- pathic, Unani Ayurvedic or any other system of medicines Radio- logists and pathologists, falling in the jurisdiction of doctors circle, New Delhi where the last assessed re- turned income is upto Rs. 20,000/- as on 1-6-76.	As mentioned in col. III.
	(b) All persons being partners of the firms fall ing in item (a) above.	Do.
	 (c) All new assesses falling in item (a) & (b) above. 	Do.
2. Income-tax Officer Doctors' Circle-II, New Delhi.	(a) All Cases of persons carrying on business or profession as Medical practitioners of Alopathic, Homeopathic, Unani Ayurvedic or any other system of medicine, Radiologists and pathologists falling in the jurisdiction of Doctors Circle New Delhi where the last assessed/returned income exceeds Rs. 20,000/- as on 1-6-76.	As mentioned in col. III,
	(b) All persons being partners of firms falling in items (a) above.	Do.
,	(c) All new assessees falling in item (a) & (b) above.	Do.
	(d) Cases already assigned u/s 127 of I.T. Act by the CIT.	
(3) Income-tax Officer Distt. IV (1) New Delhi.	 (a) Every persons carrying on a business or profession or having the principal place of his business or profession in any of the areas specified in col. IV of this Schedule or residing in any such area whose names commence with any one of the alphabets from A to I (both inclusive) where the last assessed/returned income exceeds Rs. 50,000/- as on 1-6-76. 	The area comprised in Municipal ward Nos 8, 17, 18, 19, 20, 21, & 22 viz. Darya Ganj, Matia Mahal Chatta Lal Miar Lal Darwaza, Suiwalan, Kuchapati Ram & Kalan Masjid.
	(b) All persons being partners of the firms falling in item (a) above.	Do.
1	(c) All new assessees falling in item (a) & (b) above.	Do.
	(d) All cases assigned u/s 127 of the I.T. Act, 1961.	
(4) Income-tax Officer Distt. IV(6), Addl. New Delhi.	 (a) Every persons carrying on business or profession or having the principal place his business or profession in any of the areas specified in col. IV of this Schedule or residing in any such area whose name commences with any of the alphabets from A to I (both inclusive), where the last assessed/returned income is upto Rs. 50,000/- as on 1-6-76 	The area comprised in Municipal ward Nos 8, 17, 18, 19, 20, 21 & 22 viz. Darya Ganj Matia Mahal, Chatta Lal Mian Lal Dar- waza, suiwalan, Kuchapati Ram & Kalan Masjid.
	(b) All persons being partners of the firms falling in item (a) above.	Do.
	(c) All new assessees falling in item	Do.

This Notification shall take effect from 4-6-76.

.

S. D. MANCHANDA Commissioner of Income-tax, Delhi V, New Delhi. PART III-SEC. 1]

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA yes

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 9th July 1976

Rcf. F. No. Acq/1137/Agra/75-76/691.—Whereas, I, Vijay Bhargava,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 31-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the suid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons numely :---

14—216GI/76

- Smt. Sushila Gaur w/o Sri Kcdar Nath Gaur, r/o Nagla Dakhran near Subhash Park Civil Lines, Agra.
 (Transferor)
- (2) Smt. Suresh Gulati w/o Sri Krishan Gopal Gulati r/o Heeng Ki Mandi, Agra.
 (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Immovable property (Part) No. 318, Vacant Plot, measuring 619 sq. yds. situated at Mahatma Gandhi Marg (Subhash Park), transferred for an apparent consideration for Rs. 35,000 [...

> VIJAY BHARGAVA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Dated : 9-7-1976, Seal : THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III-Sec. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 8th July 1976

Ref F. No. Acq/1138/Agra/76-77/692.—Whereas, I. Vijay Bhargaya,

being the Competent Authority under Section 2698

of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under

the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 31-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealthtax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Smt. Sushila Gaur w/o Sri Kedar Nath r/o 3/18, Nagla Dakhran near Subhash Park, Civil Lines, Agra.

(Transferor)

 (2) Smt. Urmila Gulati w/o Sri Subhash Chand Gulati r/o Heeng Mandi, Agra.
 (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 3/18, measuring 621 sq. yds. situated at Subhash Park Mahatma Gandhi Marg, Agra, transferred for an apparent consideration for Rs. 25,000/-.

> VIJAY BHARGAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Dated : 8-7-76. Seal :

7574

PART III—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 30th July 1976

Ref. F. No. Acq/829/Kanpur/75-76/874.—Whereas, I, Vijay Bhargava,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereInafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fai_{I} market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Kanpur on 22-11-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Rajnish Kumar Arora s/o Sri Om Prakash r/o 122/50, Kabari Market, Kanpur. 2. Sri Atam Jeet Singh s/o S. Nanak, r/o Bamba Road Gumti No. 5, Kanpur. 3. Sri Shachi Bhushan Ghosh s/o Sri, Abhinash Chand Ghosh r/o J. K. Colony, Kanpur. (Transferor)

(2) Shri Abdul Kalam s/o Late Sri Hazi Abdul Rajak r/o 90/171, Iftikharabad, Kanpur.

(Transferee)

7575

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Khasra No. 266 and 264 measuring 11 bishwa situated Wazipur alias Jajmau, Kanpur transferred for an apparent consideration for Rs. 11,000/-.

VIJAY BHARGAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Dated : 30-7-1976 Scal : FORM ITNS _____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 30th July 1976

Ref. F. No. 822/Kanpur/Acq/75-76/873.—Whereas, I, Vijay Bhargava,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kaupur on 20-11-75

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partices has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajnish Kumar Arora s/o Sri Om Prakash Arora r/o 122/50, Kabari Market, Kanpur. 2. Sri Atam Jeet Singh s/o S. Nanak Singh r/o Bamba Road Gumti No. 5, Kanpur, 3. Sri Shachi Bhushan Ghosh s/o Sri Abhinash Chand Ghosh r/o J. K. Colony, Kanpur.

(Transferor)

(2) Mst Naushba Khatoon w/o Sri Imtiaz Ahmed r/o 42/36-A, Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur, 2. Sri Shoyab Ahmed s/o Sri Mukhtar Ahmed r/o 41/35, Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may by made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Khasra No. 265 C measuring one bigha situated at Wazidpur alias Jajmau, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 22,000/-.

VIJAY BHARGAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kanpur.

Dated : 30-7-1976. Seal :

7576

7577

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 18th May 1976

Ref. No. Acq. File No. 335 J. No. KR. 179/.--Whereas, I, B. V. Subbarao,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 27-10-18 situated at Ratnayya Street, Buckinghampeta, Vijayawada,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 15-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely:—

(1) Glaxo Laboratorics (India) Ltd., Annie Beasant Road, Worli, Bombay. (Transferor)

(2) The K. C. P. Ltd., Ramakrishna Buildings, 38 Anna Salai, Madras. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document No. 3621/75 of the SRO, Vijayawada registered during the fortnight ended on 15-12-75.

B. V. SUBBA RAO, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 18-5-76. Seal :

[PART III—SEC. 1

FORM ITNS____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada-533004, the 2nd July 1976

Ref. No. Acq-l'ile No. 343/12-75.—Whereas, I, B. V. Subba Rao

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 12-25-202 situated at Kothapeta, Guntur

(and more fully described in

the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 27-12-75

for an apparent consideration which is less

than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-- (1) Smt. Puranam Menakshamma, W/o P. V. Ramakrishna Sastry, Godugupeta, Masulipatnam.

(Transferor)

(2) Dr. Ganesuni Paran Dhamaiah, S/o Pitchaiah, Kothapeta, GUNTUR.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 5871/ 75 registered before the Sub-Registrar Guntur during the fortnight ending on 31-12-1975.

> B. V. SUBBA RAO, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 2-7-1976. Seal : FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 5th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 346 J. No. 300/75-76.—Whereas, I, B. V. Subbarao,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Door No. 179/C-B2 situated at Ganapavaram village (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering

Officer at Chilakaluripeta on 10-12-75

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--- Sadineni Chowdaraiah, S/o Ragavaiah, 2. Nanna paneni Venkataratnam, S/o Nagaiah, 3. Gottipati Prasadarao, S/o Chandraiath, 4. Murakonda Kesavarao, S/o Rangaiah C/o Sri Dhanalaxmi Cotton Industries, Ganapavaram.

(Transferor)

(2) I. G. V. Kasturi Swami Naidu, S/o G. V. Swami Naidu, Coimbatore-2.
2. Smt. Suguna Saraswathi, W/o B. Selvaraj, Coimbatore-2.
3. Miss K. Venka-talakshmi, D/o G. V. Kasturiswami Coimbatone-2.
4. R. Lakshmi Ammal, W/o Rangaswami Naidu, Tirupur.
5. M. Visalakshi, Mounaswami, Tirupur.
K. Sukirthamani, W/o Krishnaswamy, Tirupur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 5788/ 75 registered before the Sub-Registrar, Chilakaluripeta during the fortnight ended 31-12-1975.

> B. V. SUBBA RAO, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-fax, Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 5-7-1976. Seal : FORM ITNS--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 8th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 347 ME. No. 14/76.—Whereas, I, B. V. Subbarao,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. R. S. Nos. 312 & 313 situated at Mailavaram village Kakinada Taluk

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 18-12-1975

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the

consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :— S/Shri

 Villa Venkata Kondayya, S/o Kendalarao. 2. Villa Subbarao, S/o Kondalarao. 3. Smt. Villa Kondamma, W/o Late Venkata Subbarao. 4. Villa Narayanarao, Being minor by guatdian mother Smt. Kondamma. 5. Villa Rambabu, S/o Late Venkata Subbarao. 6. Villa Kondalarao, Being minor by guardain father Venkata Kondayya. 7. Villa Srcenivasarao, Being minor by Guardian father Venkata Kondayya, 8. Villa Kondalarao, Being minor by guardian father Subbarao, 9. Villa Nageswararao, Being minor by Guardian father Subbarao. 10. Villa Annajirao, Being minor by Guardian father Subbarao.

Mallavara Village, Kakinada Taluk, E.G. Dt.

(Transferor)

(2) Chintalapudi Suryavathi. W/o Sri Satteyya, NEELA-PALLI, Kakinada Taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 6619/ 75 of the Sub1Registrar, Kakinada registered during the fortnight ended 31-12-1975.

> B. V. SUBBA RAO, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 8-7-1976, Scal ; FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 13th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 348 J. No. 106/75-76.—Whereas, I, B. V. Subbarao

being the Competent Authority under

Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961 (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Door No. 1-2-7 situated at Gandhinagaram, Anakapally (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anakapally on 23-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

15-216GI/76

 I. Surabhi Baburao, S/o Paparao 2. Mr. Sreenivas
 Mr. Udayakumar Gandhinagar, Anakapalli. Being minor guardian father S. Baburao,

(Transferor)

(2) Shri Challa Venkata Subbarayudu, S/o Subbarayudu, BHEEMALAPURAM, Narasapuram Taluk, W.G. District.

(Transferce)

(3) Shri A. V. Satyavani, Door No. 1-2-7, Gandhinagar, Anakapalli.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 5160/ 75 of the Sub-Registerar, Anakapalli registered during the fortnight ended on 31-12-1975.

> B. V. SUBBA RAO, Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income.tax, Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 13-7-1976, Seal : THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

3

PART III-SEC. 1

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 350.—Whereas, I, B. V. Subbarao,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. R.S. No. 66/3, situated at Padapalaparru Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gudivada on 29-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) 1. Mynam Satyanaraoana, S/o Hanumantharao Penugonda, 2. Mynam Jagannadham, S/o Hanumantharao Penugonda, 3. Mynam Venkateswararao, S/o Jagannadham Penugonda, 4. Mynam Satyanarayana, S/o Jagannadham Penugonda, 5. Mynam Bhaskararao, S/o Jagannadham Penugonda, 6. Chadalavada Ramakrishna, S/o Krishnamurthy Sluru, 7. Mynam Venkateswararao, S/o Hanumantharao, Penugonda. (Transferor)
- (2) 1. Boppana Rajeswaramma, W/o Jogeswararao, 2. Boppana Vijayalakshmi, W/o Rameswamy, 3. Boppana Umadevi, W/o Haribabu, 4. Veeramachaneni Kamalakumari, W/o Adisesharao, 5. Donepudi Ramachandrarao, S/o Audinarayana, 6. Donepudi Jaganmihanarao, S/o Audinarayana, 7. Donepudi Nageswararao S/o Audinarayana, 8. Donepudi Satyanarayana, S/o Ramachandrarao, 9. Tiperineni Nugeswararao, S/o Venkata Subbaiah.

(Transferee)

(3) M/s Sri Rajarajeswari Rice Mill Construction Co., PEDDAPALAPARRU.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3930/75 registered before the Sub-Registrar, Gudivada during the fortnight ended 31-12-1975.

B. V. SUBBA RAO, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 28-7-1976.

Scal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi-110001, the 20th May 1976

Ref. No. JAC/Acq.II/1188/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. C-26 situated at Bali Nagar, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering

officer at Delhi in December, 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- 'a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:— Smt. Sitawanti w/o Sh. Darshan Lal r/o C-107, Raghbir Nagar, Tagore Garden, New Delhi. (Transferor)

(2) 1. Smt. Janak Rasi w/o Sh. Madan Lal r/o A-43, Rajouri Garden, New Delhi. 2. Sh. M. C. Oberoi, s/o Sh. Bishan Dass Oberoi, r/o B-3/14, Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing Plot No. 26 in Block C^e measuring 167 sq. yds. situated in the colony known as Bali Nagar, New Delhi and bounded as under :---

North : Plot No. C-27, East : Road. South : Plot No. C-25. West : Service Lane.

> S. N. L. AGARWALA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Dclhi.

Dated : 20-5-1976. Seal : FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-11000!.

New Delhi-110001, the 20th May 1976

Ref. No. IAC/Acq-II/1189/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA.

being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing 225.

No. F-9 situated at Bali Nagar, New Delhi,

(and more fully described in

the schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on December, 1975 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 'said Act I hereby initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :-- Shri Shri Ram Gupta s/o Sh. Deputy Mal r/o 142 Bazar Perra Mal, Meerut City (U.P.).

(Transferor)

 (2) Shri Om Parkash Taneja s/o Shri Bhola Ram Taneja r/o 4/37 W.E.A. Karol Bagh, New Delhi. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing Plot No. 9 in Block F measuring 200 sq. yds. situated in the colony known as Bali Nagar, New Delhi and bounded as under :---

North : Road 30 ft. South : Lane 15 ft. East : Plot No. F-10. West : Plot No. F-8.

> S. N. L. AGARWALA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Dated : 20-5-1976. Seal : FORM ITNS____

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DEI.HJ-110001,

New Delhi, the 18th June 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1194/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Plot No. 25 (north) M. No. 5686 situated at Busti Harphool Singh, Sardar Bazar, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in January, 1976,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- Shri Attar Chand Batra s/o Shri Bhagwan Dass
 Smt. Sheela Rani w/o Sh. Attar Chand Batra 3.
 Sh. Ashok Kumar Batra s/o Sh. Attar Chand Batra r/o 5, East Park View Karol Bagh New Delhi.
 (Transferor)
- (2) Smt. Kamla Rani w/o Sh. J. L. Suri r/o 12 (South) Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi. (Transferee)
- (3) M/s. A. C. Batra & Sons, 1050 Pan Mandi, Sadar Bazar, Delhi-2 S. L. Chadha, R/o 5686 Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi. (Person(s) in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

21 storyed pucca built building alongwith Barsati bearing Municipal No. 5686, Plot No. 25 (North) Ward XIV, Başti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi alongwith land underneath bounded as under :---

North : Plot/portion A, owned and possessed by Shri Guru Nanak Satsang Sabha, Basti Harphool Singh.

South: Plot No. 25 (North).

East : Street.

West : Road.

S. N. L. AGARWALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, New Delhi.

Dated : 18-6-1976. Seal :

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 18th June 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1193/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

E-39 situated at Bali Nagar, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908)

in the office of the Registering Officer at

Delhi in December, 1975,

7586

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property a_s aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) Shri Harbhajan Singh s/o Shri Prem Singh r/o C-21, Ball Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Rajinder Singh & Sh. Charanjit Singh sons of Shri Kasturi Lal Duggal r/o 13-A/20 W.E.A, Karol Bagh, New Delhi.

(Transferce)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storyed house constructed on a 3 side open corner plot of land measuring 244.5 sq. yds. bcaring No. E-39 in a free-hold colony known as Bali Nagar, New Delhi and bounded as under :---

North : Road 30 ft. East : Road 30 ft. South : Lane. West : Plot No. 40.

> S. N. L. AGARWALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Dated : 18-6-1976. Seal :

7587

FORM ITNS -----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 27th July 1976

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 18. Plot No. 15, W.E.A. situated at Karol Bagh, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registra-

tion Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at New Delhi on 17-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the

fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. In respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- (1) Shri Tara Chand Chopra s/o Late Shri Nanak Chand Chopra, r/o 18/16, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.
 (Transferor)
- (2) Shri Surinder Kumar Chopra s/o Shri Tara Chand Chopra r/o 18-16, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi. (Transferce)
- (3) M/s. Chopra Enterpries (ii) Shri N. K. Chopra and (iii) Smt. Usha Kiran Chopra all r/o 15-18, W.E. A. Karol Bagh, New Delhi.
 (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house 2½ storeyed built on plot No. 15, in Block No. 18, situated in Western Extension Area, Karol Bagh, New Delhi, vide Khasra No. 785/787, measuring 240 sq. yds. bearing Municipal Number 10019, Ward No. XVI, and bounded as under :

North : Gali.

South : Service Road.

East : Plot No. 14 (House built).

West : Plot No. 16 (House built).

S. C. PARIJA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Dated : 27-7-1976. Seal ·

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 6th August 1976

Ref. No. RAC. No. 137/76-77.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/and bearing

No. Shop No. R-15 on 1st floor situated at M. No. 4-1-938/ R-15 Tilak Road, Hyderabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 15-12-1975,

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-- (1) Shri Kailashcharan, R/o 21-2-547 at Charkaman, Hyderabad.

(Transferor)

(2) 1. Shri V. Sunder Rami Reddy, R/o Chapal Road, Hyderabad. 2. Smt. P. Eshwarlaxmi, R/o Ashoknagar, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said proporty may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Shop No. R-15 on 1st Floor, of House M. No. 4-1-938/R-15 at Tilak Road, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Hyderabad.

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 6th August 1976

Ref. No. TR-233/C-231/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No. 165/1, situated at Baitakkhana Road, Calcutta,

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908)

in the office of the Registering Officer at

5 Govt. Place North, Calcutta, on 5-12-76.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

16-216GI/76

(1) Smt. Krishna Chatterjee.

(Transferor)

(2) 1. Koli Kumar Kundu 2. Parbati Prasad Mondal. Re. 165/1 Bajtakkhana Road, Calcutta.

(Transferee)

(3) 1. Sri Sib Nath Haldar, 2. Suraj Sham Smt. Radhika Debi. 3. Sri Gaya Prasad Shaw. 4. Sri Joydeb hika Debi. 3. Sri Gaya Prasad Shaw. 4. Sri Joydeb Saha. 5. Sri Ram Sarak Roy. 6. Sri Parma Goala. 7. Sri Tribhuban Mahato. 8. Sri Baij Nath Shaw. 9. Janab Anwarullah. 10. Sri Mahabir Shaw. 11. Sri Sib Pujan Shaw. 12. Sri Sahadeb Das. 13. Sri Natha Goala. 14. Sri Ram Shaw. 15. Sri Mohonlal Banerjee. 16. Sri Harinath Dubay. 17. Sri Sunil Pr. Gupta. 18. Sri Ram Lakhan Gupta. 19. Sri Muneswar Goala. 20. Sri Rameshwar. 21. Sri Nagina Goala. 24. Sri Sakhi Chand Shaw. 25. Sri Lalu Pandit. (Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The _terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the staid Act shall have the same meaning rs given in that Chapter,

THE SCHEDULE

One sotreyed building and partly one and party 2 storeyed brick built structure together with land containing 5 cottahs more or less at 165/1, Baitakkhana Road, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Calcutta-16.

Dated : 6-8-75-Sea* FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 6th August 1976

Ref. No. TR-234/C-230/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 19, situated at Creek Row, Calcutta,

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Calcutta, on 5-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:— (1) Shri Monojaksha Bose. Shri Urmila Roy.

(Transferor)

(2) 7. Sri Anil Kumar Bose, 2. Mr. C. Watson, 3. Mr. C. P. D. D'Reege, 4. Miss P. D'Reege, 5. Sri Hiralal Chowdhury.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Partly two storeyed and partly one storeyed brick-built dwelling house containing land measuring 4 cottah 2 chittack 37 sq. ft. more or less at 19, Creek Row, Calcutta.

> S. K. CHAKRAVARTY, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Calcutta-16,

Dated : 6-8-76, Seul :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 25th June 1976

Ref. No. CA/5/December/75/Haveli-I (Poona) 287/76-77.---Whereas, I, V. S. GAITONDE.

being the Competent Authority under Section 269B,

of the Income-tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter

referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. 1420-B and 1452-A/2 situated at Sadashiv Peth, Poona,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Haveli-I (Poona) on 26-12-1975,

for an apparent consideration

namely :---

which is less than the fair market value

of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act to the following persons,

(1) Shri J. M. Joshi. 2. Shri A. J. Joshi, 1420, Sadashiv Peth, Poona-30.

(Transferor)

(2) Shri Prabhushreeram Sahakari Griha Rachana Sanstha Marayadit, 1420, Sadashiv Peth, Poona-30.

(Transferee) (Enclosure to Notice No. C.A.5/Dec'75/Haveli-I (Poona)/ 287/76-77 dated 25-6-76) 287/76-77 dated 25-6-76). S. No. & Name of the Purchaser

(3) 1. Shri Krishna Nilkanth Patil. 2. Shriman Mahadeo Karandikar. 3. Shri Sau. Sudha Laxman Kashikar. 4. Shri Yamunabai Narayan Joshi. 5. Shri Ramchandra Bhaskar Karambelkar. 6. Shri Vinayak Narayan Karasdikar, 7. Shri Chandrashekar Madhav Potnis. 8. Shri Madhusudan Ramchandra Thakar. 9. Shri Jagdish Gangadhar Bapat. 10. Shri Satyaboth Rangrao Hirekerur. 11. Shri Shripad Laxman Bhave. 12. Shri Sau, Shubhada Shridhar Wamburkar, 13. Shri Sudhir Vishwanath Gadre. 14. Shri Vishwanath Dattatraya Deshpande. 15. Shri Sau. Usha Vyankatesh Huprikar. 16. Shri Madhav Ramkrishana Musrif. 17. Shri Avinash Narayan Soman. 18. Shri Mohan Ramchandra Vaidya, 19. Mrs. Anuradha Ghanshyam Nene.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold Land, with a building constructed thereon having land area of 3411 square feet, at C.S. No. 1420-B, and 1452- $\Lambda/2$, Khajina Mahal Lane, Sadashiv Peth, Poona-30.

(Property as mentioned in the Sale-deed registered under No. 2365 of December 1975, of the Registering Authority, Haveli-Poona).

V. S. GAITONDE,

Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Poona.

Dated : 25-6-1976. Seal :

All at 1420-B, 1452/A/2 Sadashiv Peth Poona-30. (Persons in occupation of the property).

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III-SEC.]

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 22nd July 1976

Ref. No. CA/5/Deccmber/75/Shrirampur/290/76-77.---Whereas, I, V. S. GAITONDE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. C.S. No. 1987, situated at Shrirampur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of of 1908 in the office of the Registering

officer at Shrirampur on 18-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— (1). (1) Shri Krishna Laxmanrao Sarode,
 (2) Shri Murlidhar Laxmanrao Sarode, All at Shrirampur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Hiralal Fakirchand Chudiwal, 2. Shri Bhagchand Fakirchand Chudiwal, 3. Shri Motilal Fakirchand Chudiwal. 4. Shri Ramesh Janardan Tekawade.
5. Shri Ram Janardan Tekawade, 6. Shri Ruturaj Balasaheb Tekawade, Minor, by Guardian Smt. Usharaje Balasaheb Tekawade, All at Shrirampur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold open plot at City Survey No. 1987, Municipal Ward, No. 7, within the limit of Shrirampur Muncipality. Arca : 20 gunthas.

(Property as montioned in the Register Deed No. 1250 of December 1975, of the Registering Authority Shrirampur).

V. S. GAITONDE, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Poona.

Dated : 22-7-1976. Seal :

PART III—Sec. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) 7593

FORM ITNS--

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 9th August 1976

Ref. No. CA/5/Kolhapur/December/75/293/76-77.— Whereas, I, V. S. GAITONDE.

being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market

value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Block No. 119, situated at Kolhapur,

(and more fully described in the Schedule annexed

hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kolhapur on 6-12-1975,

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

 I. Shri Nilkanth Balapa Mangaonve. 2. Shri Shivkumar Nilkanth Mangaonve. 3. Shri Ashok Nilkanth Mangaonve. 4. Shri Dilip Nilkanth Mangaonve. C.S. No. 1141, Saiex Extension, Kolhapur.

(Transferor)

(2) Shri Nilkanth Shankar Takale. Block No. 37, Ruikar Colony, E. Ward, Kolhapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold, House Property at Block No. 119, Shree Shahu Market Yard, E Ward, Kolhapur.

Area : 90ft. x 47ft. 3609 sq. feet. i.e. 374.37 sq. metrs.

Bunglow : 70 ft. x 40 ft. and Shed 40 ft. x 20 ft.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3634 of December 1975 of the Registering Authority Kolhapur).

V. S. GAITONDE, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Poona.

Dated : 9-8-1976. Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 9th August 1976

Ref. No. CA/5/Kolhapur/December'75/294/of 76-77 .---Whereas, J, V. S. GAITONDE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. C.T.S. No. 613/C situated at Kolhapur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering

officer at Kolhapur on 24-12-1975,

for an apparent consideration which is less than

the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration und that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealthtax Act. 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) 1. Shri Vasudeo Gajanan Sabnis. Plot No. 28, E Ward, Pratibhanagar, Kolhapur. Shri Deependra Vasudeo Sabnis, Plot No. 28, E
- Shri Deependra Vasudeo Sabni Ward, Pratibhanagar, Kolhapur. (2)

(Transferor)

(2) Shri Baburao Balwant Mudhale, 613-C, 1st Lane, E-Ward, Shahupuri, Kolhapur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold House Property at C.T.S. No. 613-C, 1st Lane, Ward E, Shahupuri, Kolhapur.

Out of total Area. 542.6 sq. mtrs.-285.30 sq. mtrs.

Building built in 1914-1915,

Main Building, Ground floor 1715 sq. ft.

Main Building, First floor 1715 sq. ft.

Other Ground floor 376 sq. ft.

(Property as mentioned in Registered Deed No. 3702 of December 1975 of the Registering Authority Kolhapur).

> V. S. GAITONDE, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Poona.

Dated : 9-8-1976. Seal:

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 31st July 1976

Ref. No. Acq. 23-I-949(469)/1-1/75-76.---Whereas, I. J. KATHURIA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Survey No. 350-6 situated at Danilimda, Ahmedabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registration Officer

officer at Ahmedabad on 29-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;--- Smb. Maniben w/o of Shri Gordhanbhai Shamalbhai, 2. Shri Vishnubhai Gordhanbhai. 3. Smt. Jasumatiben Vishnubhai, 4. Smt. Vidyaben Navinchandra, Danilimda, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shyam Kabadi Market. Association through President, Sheth Shyamdas Karamchand, Niharika Park, Bahai Centre, Shahpur, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 5082 sq. yards bearing S. No. 350-6, and situated at Danilimda, Ahmedabad.

J. KATHURIA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dated : 31-7-76, Seal : THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III---Sec. 1

FORM ITNS------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 31st July 1976

Ref. No. Acq. 23-I-875(485)/5-1/75-76.—Whereas, I, J. Kathuria,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. S. No. 117, 118, & 119 (Part plots) Plot No. 24, 25 & 49 to 56 situated at Subhash Nagar, Near Aerodome Road, Bhavnagar,

and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bhavnagar on 29-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the tansfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1857);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

Dated : 31-7-76, Seal :

(1) Shri Mandakiniben Bhogilal, Bhadevani Street, Bhavnagar.

(Transferor)

(2) Santoshpark Co-op. Housing Society Ltd., Mehta Street, Modi Fali, Bhavnagar.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property shall be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 4760 sq. yards bearing S. No. 117, 118 & 119, Part Plot No. 24, 25 and 49 to 56, situated at Subhashnagar, Near Aerodrome Road, Bhavnagar.

> J. KATHURIA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Ahmedabad.

PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AU	IGUST 28, I	1976 (BHADRA	6, 1898)
---	-------------	--------------	----------

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AllMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-7-1112(488)/1-1/75-76—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Survey No. 72-2-A, 72-1 Part FP No. 213, 214-Part sub-Plot No. 7 of TPS No. 8 situated at Asarwa, Ahmedabad

(and more fully described in the schedule annexed

hereto) has been transfered under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 15-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act'. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :--

17-216GI/76

- Shri Virendra Bababhai, Near Govt. Godowns, Shahibag, Ahmedabad.
- (2) 1. Bhartiben Baldevbhai Patel,
 - 4. Parvatinagar, Asarwa, Ahmedabad.2. Rambhai Shivramdas Patel,
 - 6, Parvatinagar, Asarwa, Ahmedabad.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

FXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 541 sq. yards bearing S. No. 72-2-A, 72-1 Part, Final Plot No. 213, 214 Part, Sub-Plot No. 7 of T.P. Scheme No. 8, and situated at Asarwa, Ahmedabad.

> J. KATHURIA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I Ahmcdabad,

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III—Sec. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I,

AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1113(489)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Survey No. 72-2-A, 72-1 Part, FP 213, 214 Part, SP No. 15 TPS 8, situated at Asarwar, Ahmedabad.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 30-12-1975

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 369D of the said Act, to the following persons, namely :— Shri Virendra Bababhai, Near Govt. Godowns, Shahibag, Ahmedabad.

(Transferor)

- 1. Shri Ravindrabhai Purshottamdas Vyas,
 3. Rang Sujlam Society, Ankoor Road, Naranpura, Ahmedabad.
 - 2. Smt. Manoramaben Natwarlal. Gurjarni Pole, Prenteej, Distt. Sabarkanta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have he same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 553 sq. yards bearing. Survey No. 72-2-A, 72-1-Part, Final Plot No. 213, 214 Part, Sub-Plot No. 15, T. P. Scheme No. 8, situated at Asarwa, Ahmedabad.

> J. KATHURIA. Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I. Ahmedabad.

Date : 6-8-1976 Scal :

FORM ITNS____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I,

AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

.

Ref. No. Acq. 23-I-1114(490)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA.

being the Competent Authority under

Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'Said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 154-A, 154-B, Naroda, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ahmedabad on 2-12-1975 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Maganlal Ranchhodlal Patel, 2-B, Maskati Market, Ahmedabad.

(Transferor)

 M/s. Shakti Brick Works (firm) Near New G. Ward, Kubernagar, Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 5542 sy. yds. bearing S. No. 154-A & 154-B situated at Naroda, transferred under registration No. 19367 dated 2-12-1975.

> J. KATHURIA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Near New G. Ward. Kubernagar, Ahmedabad, Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III—Sec. 1

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,900/and bearing No.

Survey No. 154-A, 154-B, situated at Naroda, Ahmedabad (and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad, on 3-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, pamely :---

(1) Shri Maganlal Ranchhodlal Patel, 2-B, Maskati Market, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) M/s, Shakti Brick Works (firm) Near New G. Ward, Kubernagar, Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if fany, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land admeasuring 9921 sq. yards bearing S. No. 154-A & 154-B situated at Naroda, Ahmedabad and transferred under registration No. 19400 dated 3-12-1975.

J. KATHURIA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I Ahmedabad.

Date : 6-8-1976 Seal :

. --

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Alunedabad-380 009, the 6th August 1976

Ref. No. P. R. No. Acq. 23-I-1116(492)/1-1/75-76.— Whereas, I. J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B

of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter

referred to as the 'Said Act'), have reason to

believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 324, 325, 326 Plot B of TPS 26 situated at Vasana, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 10-12-1975

for an apparent consideration

which is less than the fair market value

of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

 Dr. Kanubhai Manilal Shah, Municipal Servants Society, Kankaria Road, Ahmedabad.

(Transferor)

 (2) Anupama Co-op. Housing Society, through its— Chairman, Shri Prakash Ratilal Shah.
 5, Gangadhar Society, Rambag, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this potice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 800 sq. yds. bearing S. No. 324, 325, 326 Sub-Plot No. B of TPS No. 26 situated at Vasana, Ahmedabad,

J. KATHURIA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I Ahmedabad.

7602

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acg. 23-I-1117(493)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

S. No. 324, 325. 326, FP No. 166, of TPS No. 26 situated at Vasana, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering

Officer at Ahmedabad, on 10-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly state in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- Bhalchandra Shanalal Modi, Shrinath Colony, Bhairavnath Road, Ahmedabad,

(Transferor)

(2) Anupam Co-op. Housing Society, Through its Chairman, Shri Hasmukhlal Ratilal, Rambag, Ahmedabad,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring in all 923 sq. yards beating S. No. 324, 325 and 326, F.P. No. 166. S. P. No. 2 (Part) of TPS. No. 26, situated near Vasana, Ahmedabad transferred under two different documents the details of which are as under :- S. No. Arca, Sub-Plot No. Regn. No. and dt. Consideration.

- 1, 613 sq. yds. 3 & 4, 19958/10-12-75 Rs. 36,780/-
- 2. 310 sq. yds. 2, 19960/10-12-75, Rs. 25869/60,

J. KATHURIA. Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

7603

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 1118(494)/1-1/75-76.---Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 311, FP No. 13 SP No. 28 of TPS No. 6 situated at Thakkar Prabhudas College Road, Paldi, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 23-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Ketkiben Daughter of Ramchandra Dayashankar Pandya, Box No. 188, Rocky Mount, North Carolina.

(Transferor)

(2) Smt. Ataka M. Punawala & others, C/o G. A. Latif & Sons, Revdi Bazar, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 540 sq. yds bearing S. No. 311, F.P. No. 13, S.P. No. 28 of T.P.S. No. 6. situated at Thakkar Prabhudas College Road, Paladi, Ahmedabad,

J. KATHURIA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range-1, Abmedabad.

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III-SEC. 1

FORM ITNS

 1. Narmadaben Balashankar Shukla,
 2. Kishorechandra Balashankar Shukla,
 3. Rameshchandra Balashankar Shukla, Hospital Road, Jamnagar,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1119(495)/10-1/75-76.---Whereas, J, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason

to believe that the immovable property, having a fair

market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 10, Plan No. 6 of Jampuri Estate situated at Bedi Bunder Road. Jamnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jamnagar on 16-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or
 any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Shri Haji Osman, Haji Aziz,
 Shri Haji Hasun Haji Aziz, Gain Market, Jamuagar.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 9600 sq. feet bearing plot No. 10, Plan No. 6 of Jampuri Estate, situated at Bedi Bandar Road, Jamnagar.

> J. KATHURIA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 6-8-1976 Seal :

PART III—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1120(496)/10-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

City Survey No. 6, Main Part Y-l situated at Outside Bedi Gate, Sharu Section Road, Jamnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

Jamnagar on 12-12-1975

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair

market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys o_T other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .---

18 216 GI/76

 M/s. Indian Construction Co., Opp. Town Hall, Jamjodhpurwala Building, Jamnagar Through Partners :—

 Shri Naranbhai Kachrabhai Patel,
 Shri Vinodrai Naranbhai Patel,

(Transferor)

7605

(2) Shri Sujjan Co-op. Housing Society, Opp. Apna Bazaar, Jamjodhpurwala bldg. Jamnagar.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned \rightarrow

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 21000 sq. ft. bearing City Survey No. 6 Main Part Y-I, situated at outside Bedil Gate, Sharu Section Road, Jamnagar.

> J. KATHURIA. Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Ahmedabad.

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1121(497)/16-6/75-76.—Whereas. 1, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

Survey No. 450, situated at Kalawad Road, Rajkot (and more fully

described in the Schedule annexed hereto), has been

transferred under the Registration Act

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 30-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :--- Shri Bhogilal Girdharilal Kotak, Panchnath Plot, Sheri No. 1, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Maganlal Mapabhai Patel, Near Chaudhari High School, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1 Acre, bearing S. No. 450 situated at Kalavad Road, Rajkot.

J. KATHURIA. Competent Authority, Inspecting Assistant Commisioner of Income-tax Acquisition Range-I, Ahmedabad.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-1-912(500)/1-1/75-76.—Whereas, I. J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 323 (Part), Hissa No. 36 Part FP No. 252-Part of TPS No. 24, situated at Khokra Mehmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

Ahmedabad on 12-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in

the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

 M/s. Shriji Corporation (firm) through its Managing Partner : Shri Narendra Mohanlal Talati, 3-Jivanpran Society, Bhairavnath Road, Ahmedabad,

(Transferor)

 (2) Pathey (Maninagar) Co-op, Housing Society Ltd., through Chairman : Shri Maganlal Gandalal Mistri, Secretary : Shri Ravindra S. Patel, Committee : Shri Harshadrai Ranchhodji Desai, Member.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1815 sq. yards bearing S. No. 323 (Part), Hissa No. 36 (Part). Final No. 252 (Part) of T.P.S. No. 24, situated at Khokhra Mehmedabad, Ahmedabad.

> J. KATHURIA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III-SEC. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE. ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-831(501)/11-1/75-76.—Whercas, I, J. KATHURIA,

being the competent authority under section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Plot No. 2, 3 & 4 situated at outside Majewadi Gate, Junagadh (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Junagarh on 30-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the (consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) S/Shri 1. Patel Manganlal Chhaganlal,
 - 2. Ushaben Rasiklal,
 - 3. Manjula Gauri Kanjibhai
 - 4. Shantilal Jivabhai,
 - 5. Patel Vithaldas Jivabhai,
 - 6. Patel Gopaldas Gandalal.
 - 7. Patel Maganlal Laljibhai,
 - 8. Jamakuben Laljibhai,
 - 9. Kanjibhaj Gopalbhai,
 - 10. Patel Vithaldas Bavanji,
 - 11. Patel Damji Mohan
 - Junagarh.

(Transferor)

 (2) Patel Dhirajlal Manjibhai, C/o M/s. Lalit & Co., Junagadh.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated outside Majewadi gate. Junagadh, bearing Plot No. 2, 3, & 4, with land admeasuring 2828-62-77 sq. metres.

J. KATHURIA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 6-8-1976 Seal :

FORM ITNS------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1122(502)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

CTS No. 4304, 4305, 4306, situated at Panchkuva, Mirghawad, Kalupur Wd-I, Ahmedabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 22-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

 M/s. Keshwani Bros, through its partners : Shri Aildas Bhagwandas Keswani,
 Shri Gopichand Bhagwandas Keshwani,
 Shri Puranchand Bhagwandas Keswani,
 Shri Vasudev Parsram Keswani,
 Shri Pokerdas Dwarkadas Keswani,
 Cutlery Merchants, Keswani Bldg. Mirghawad, Panchkuva, Ahmedabad-1.

(Transferor)

(2) Shri Tolaram Jadikram Otwani, 7, Siond Model Society, Near Old Vadej Bus Stand, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One shop bearing private number 6, admeasuring 16.22 sq. mtrs. situated in the building known as "Purshram Chambers" bearing C.T.S. No. 4304, 4305, and 4306, Kalupur Ward No. 1, Panchkuva Mirghawad, Ahmedabad.

J. KATHURIA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

FORM ITNS_____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE. ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1123(503)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

CTS No. 4304, 4305 and 4306, situated at Panchkuva, Mirghawad Katupur Ward No. I, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed

hereto) has been transferred under the

Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Ahmedabad on 17-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 10 pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

- 1. Aildas Bhagwandas Keswani
- 2. Gopichand Bhagwandas Keswani,
- 3. Puranchand Bhagwandas Keswani,
- 4. Vasudev Purshram Keswani,
- 5. Pokerdas Dwarkadas Keswani,

Cutlery Mcrchants Keswani Bldg., Mirghawad, Panchkuva, Ahmedabad.

(Transferor)

 Shri Chellaram A. Lalwani, 11, Hill Park Co-op. Housing Society, Kawkaria, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One room bearing private No. 7, admeasuring 14.7 sq. metres, situated in the building known as "Parsram Chambers" bearing C.T.S. No. 4304, 4305, and 4306, Kalupur Ward No. 1, Panchkuva Mirghawad, Ahmedabad.

J. KATHURIA. Competent Authority, Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-1, Ahmedabad.

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 5th August 1976

Ref. No. 80/DEC/75-76.-Whereas, J. G. RAMANATHAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, baving a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 354, 96/1 & 96/2, situated at

Kaveripatti village Koneripatti village, Salem district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Edappadi (Doc. No. 1545/75), on December 1975 for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration to such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

- Muyuliyur Sennapati village, Salem Dt., 2. Shri N. Visvanatha Chettiar, 3. Shri V. Kumar

 - Shri V. Govindarajulu Gupta 4
 - 5. Parimala 6. Vilasavathi

minors by father & guardian Shri Visvanatha Chettiar (Transferor)

- (2) 1. Shri Kandappa Gounder S/o Shri Sengoda Gounder. Uppupalayam Eachangattu Valava, Padavcedu village, Salem Dt.,
 - 2. Shri Kandappa Gounder S/o Chinna Gounder
 - 3. Shri Gurunatha Gounder S/o Chinna Gounder
 - 4. Shri Perumal Gounder, S/o Verrukattu Valavu, Modamangalam village, alem district.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION.-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 6.35 acres in Survey Nos. 354 (2.76 acres) & 96/1 (3.59 acres) in Kaveripatti Agraharam village and 75 cents in survey No. 96/2, Koneripatti village, Salem district,

> G. RAMANATHAN. Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Madras-6.

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

FORM ITNS -----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 5th August 1976

Ref. No. 81/DEC/75-76.—Whereas, I, G. RAMA-NATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have, reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 47/1 & 47/2, situated at Koneripattl village, Salem district (and more fully

described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act.

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Idappadi (Doc. No. 1571/75) on December, 1975 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely: (1) Shri Ramasamy, S/o Subbu Chettiar, Kaniyalampath, Kattu Valavu, Thevoor village, Sankari Tq:, Salem district.

(Transferor)

(2) Shri K. S. Palaniappan, S/o Sengoda Gounder, Kaniyalampatti, Kanu Valavu, Thevoor village, Sankari Tq., Salem district.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring $1.65\frac{1}{2}$ acres in Survey Nos. 47/2 (0.22 acres) and 47/1 (1.43 $\frac{1}{2}$ acres), Koneripatti village, Salem Dt.

G. RAMANATHAN, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I. Madras-6.

Date : 5-8-1976. Seal :

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 5th August 1976

Ref. No. 82/DEC/75-76 --- Whereas, I. G. RAMA-NATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 47/1 & 47/2, situated at Koneripatti village, Salem district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Idappadi (Doc. No. 1572/75) on December 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

stated in the said instrument of transfer with the object of ;----

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

19--216GI/76

(1) Shri S. Venkatachalam, S/o Subbu Chettiar, Kaniyalampatti, Kattu Valavu, Thevoor village, Sankari Tq., Salem district.

(Transferor)

(2) Shri K. S. Palaniappan, S/o Sengoda Goundar, Kaniyalampatti, Kattu Valavu, Thevoor Village, Sankari Tq., Salem district.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned --

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring $1.65\frac{1}{2}$ acres in Survey Nos. 47/2 (0.22 acres) and 47/1 (1.43 $\frac{1}{2}$ acres) Konerlpatti village, Salem district.

> G. RAMANATHAN, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 5-8-1976. Seal : THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III—SEC.]

FORM ITNS---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 7th August 1976

Ref. No. 106/DEC/75-76.—Whereas, I G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 2/65, situated at Pophams Broadway, Madras-1

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

et Sowcarpet, Madras (Doc. No. 935/75) on 31-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely:--- (1) Shri P. Veeraraghavalu Chettiar, 94/95, Chengaluneer Pilliar Koil St., George Town, Madras-1.

(Transferor)

(2) Shri G. Krishnan, No. 9, Muthukumarasami Mudali St., Perambur, Madras-11.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice of the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the repective presons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1716 sft. with building the eon at door No. 2/65 (R.S. No. 5449), Pophams Broadway, Madras-1.

G RAMANATHAN,

Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 7-8-1976. Seal :

7614

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 7th August 1976

Ref. No. 63/DEC/75-76.—Whereas, I G, RAMANATHAN, being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 358, situated at Poonamallee High Road, Madras

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908

(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras (Doc. No. 3411/75) on December 1975 for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration

therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Jiability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) Shrì M. P. Lokiah, 358, Poonamallee High Road, Aminjikarai, Madras-29.

(Transferor)

7615

(2) Shri M. Sivashanmugham, 23, New Avadi Road, Madras-10.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2 grounds and 1200 sft. with a thatched shed at door No. 358 (R.S. No. 70/10B), Poonamallee High Road, Madras-29.

> G. RAMANATHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I. Madras-6.

Date : 7-8-1976. Seal: FORM ITNS____

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 13th July 1976

No. Acq/1002-A/Mathura/75-76/846.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

As per schedule

- (and more fully described in the Schedule annexed hereto), '' has been transferred under the
 - Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at

Mathura on 6-12-75,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of

the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian liability of the transferor to pay tax under Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--- (1) Sri Ajai Shanker s/o Sri Rama Shanker ji, r/o 415, Chuna Kankar City, Mathura.

(Transferor)

(2) Shri Sughar Singh s/o Shri Kanhi Singh r/o Bandi Teh Sadabad Distt, Mathura.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette,
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 33 measuring 1668 sq. ft. at Krishnapuri, Mathura, transferred for an apparent consideration for Rs. 38,000/-.

> VIJAY BHARGAVA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Date : 13-7-1976. Seal : FORM ITNS------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/982-A/Meerut/75-76/946.—Whercas, I VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. As per Schedule

(and more fully described in the

Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Meerut on 3-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid

property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act. or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-- (1) Dr. D. P. Agarwal s/o Sri Ram Gopal r/o Gopal Batika, P. L. Sharma road, Meerut City.

(Transferor)

(2) Dr. S. R. Bhargava s/o Late. Shri Janki Raman Bhargava r/o Vijay Nagar, Meerut City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

immiovable property No. 977, 978, 978-A, 979, 979/1 and 980 measuring 991 sq. yds. situated at P. L. Sharma Road, in Gopal Batika, Meerut City, transforred for an apparent consideration for Rs. 1,00,000/-.

VUAY BHARGAVA,

Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-8-1976. Seal : THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III—Sect 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 4th August 1976

Ref. No. F. No. Acq./1033-A/KNP/75-76/947.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Karpur on 18-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Sri Subhash Chand Makar (Verma) s/o Shri Sohan Lal c/o Verma Foot Wear Chowk, Kanpur.

(Transferor)

(2) Sri Sant Niran Kari Mandal (Registered) Head Office Delhi-9, through S. Aya Singh Sant Nirankari Mandal Block. Sub Plot No. 7, Govind Nagar, Kanpur.

(Transferee)

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. Sub Plot No. 8 of Plot No. 3, Block K. measuring 1000 sq. yds, situated at Block K. Govind Nagar, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 64,393.24.

> VIJAY BHARGAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-8-1976. Seal :

7618

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 5th August 1976

Ref. No. Acq/50-A/Kanpur/76-77/959.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at as per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 4-12-75

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :— (1) M/s Swadeshi Cotton Mills Co., Ltd. Juhi, Kanpur. (Transferor)

(2) 1. Shri Satya Narain 2. Sri Bhagwati Pd sons of Sri Raghu Nath Pd all r/o Village Post, Ghatampur Dist, Kanpur.

(Transferee)

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. Plot No. 19 measuring 866.66 sq. yds., situated at 133/60, Anandpuri Colony, Juhi, Kanpur., transferred for an apparent consideration for Rs. 77,999.40.

VIJAY BHARGAVA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kanpur,

Date : 5-8-1976 Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE, KANPUR,

Kanpur, the 5th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1035-A/Kanpur/75-76/960.—Whereas. I VIJAY BHARGAVA.

being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property,

having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule

and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Kanzur on 18-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of .--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Bhagwati Pd Tiwari 2. Sri Raj Kumar Tiwari sons of Late Pt. Balbhadra Pd Tiwari 3. Smt. Gulab bai w/o Late Pt. Balbhadra Pd Tiwari all r/o 4/28!, Parwati Bagla roa, City, Kanpur.

(Transferor)

 (2) Sri Mohan Lal Batham s/o Sri Janki Pd Batham r/o Gumti No. 9 Shora Godown, City, Kanpur. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 4 measuring 200 sq. yds situated at Mauza Bary Akbarpur Parg and Distt., Kanpur transferred for an apparent consideration for Rs. 11,600/-.

VIJAY BHARGAVA,

Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 5-8-1976 Seal : FORM ITNS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 5th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1139/Agra/75-76/965.—Whereas, 1, VIJAY BHARGAVA.

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market

value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described_in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 31-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now. therefore. in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :----20--216GI/76 Smt. Hafeeza Begum w/o Late Abdul Akhlak r/o 6/7, Galibpura Kala Chauraha Nal Band, Agra. (Transferor)

(2) Shri Vineet Khera (minor) s/o Sri Ram Prakash ji Khera 2. Smt Indra Khera w/o Sri Ram Prakash Khera r/o Chauraha Nal Band, Agra. (Transferred)

(Transferce)

7621

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 6/5-6, Galibpura Kala Nalband measuring $(511\frac{2}{-}(511\frac{2}))$ situated at Agra transferred for an apparent consideration for Rs. 43,000/-.

VIJAY BHARGAVA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kanpur,

Date : 5-8-1976 Seal : FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

7622

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTE COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 5th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1135/75-76/Agra/966.—Whereas, J VIJAY BHARGAVA.

being the competent authority under section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said' Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 22-12-75

for an apparent consideration which is less than

the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration, therefor by more than lifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons. namely :--

 (1) Smt Hafiza Begum W/o Late Akhlak Sahib, r/o 6/7, Galibpura, Kala Nai Mandi, Agra.
 (Transferor)

(2) Shrimati Indra Khera w/o Sri Ram Prakash ji Khera r/o 6/5-6 Nal Band Chauraha, Agra. (Transferor)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning 95 given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 6/5-6 Galibpura Kala measuring 256 sq. yds situated at Agra, transferred for an apparent consideration for Rs. 43,000/-.

VIJAY BHARGAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range, Kanpur.

Date : 5-8-1976 Scal .

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1103/Hapur/75-76/961.—Whereas, I 1 VIJAY BHARGAVA.

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at As per Schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Hapur on 22-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such appatent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely: -.

(1) Shri Daloo Urf Dalloo s/o Hira r/o Hapur, Mohallah Morepur, Teh Hapur, Distt. Meerut.

(Transferor)

(2) Nav Jyoti Sahakari Grah Nirman Samiti Hapur Distt Meerut.

through Sri Kumar Garg s/o Sri Chaman Lal r/o Jawahar Nagar ganj Hall Bank Colony Sri Nagar Hapur Dista Meerut 2. Sri Ram Kumar Sharma s/o Sri Raghunand Pd r/o 156 Jawaharganj, Hapur Distt Hapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(nmovable property No. Khasra 2245 measuring 13 biswa estuated at Municipal limit, Haper, transferred for an apparent consideration for R_8 . 22,929/-.

VIJAY BHARGAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Kanpur,

Date : 6-8-1976. Seal : THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III--Sec. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1077/Kanpur/75-76/962.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. As per Schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed

hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kanpur on 31-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely: --

(1) Shri Bhagwati Pd Tiwari r/o 4/281, Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Badri Singh r/o 76/544. Coolie Bazar, Kanpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Immovable property No. Plot No. 39 and 40, Mauza Bary Akbarpur Parg and Distt, Kanpur, measuring 400 sq. yds., transferred for and apparent consideration for Rs. 18,000/-.

> VIJAY BHARGAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-8-1976. Seal :

7624

PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

FORM ITNS---

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1072/Kanpur/75-76/968.—Whereas, I. VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of --

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act: to the following persons, namely :--- (1) 1. Shri Bhagwat Pd. Tiwari 2. Sri Raj Kumar Tiwari sons ol Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari 3. Smt. Gulab Baj w/o Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari r/o 4/281, Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

7625

- -

(2) 1. Shri Bhagwan Das (mnor) s/o Sri Chedi Lal Rafaqat Chedi Lal 2. Sri Sati Pd. (minor) s/o Sri Moti Loll all r/o Guttaya Bazar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Plot No. 45, 270 sg. yds. situated at Mauza Bary Akbarpur Parg and Distfmx, Kanpur transferred for au apparent consideration for Rs. 12.000/-.

> VIJAY BHARGAVA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-8-1976 Seal : THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

[PART III-SEC. 1

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1070/Kanpur/75-76/969.—Whereas. i, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Kanpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less

than the fair market value of the aforesaid property and f have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of--

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concentuent of any moone or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tex Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the toilowing persons, namely :--- (1) 1. Shri Bhagwat Pd. Tiwari 2. Sri Raj Kumar Tiwari sons of Sri Pt. Balbhadra Pd. Tiwari 3. Smt. Gulab Bai w/o Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari all r/o 4/281, Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

(2) Smt. Savitri Devi w/o Sri Ram Krishna Katiyar v/o 53/7, Vijay Nagar, Kanpuy

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

immovable property Plot No. 46 measuring 200 sq. yds. situated at Mauza Bary Akbarpur Parg Distt, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 12,000/-

VIJAY BHARGAVA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax-Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-8-1976

4.37

FORM ITNS -----

FORM ITNS ------

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1081/Kanpur/75-76/970.---Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Kaupur on 31-12-1975.

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and 1 have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 6-8-1976 Seal :

(1) I. Sri Chiman Lal Bhatia 2, Sri Manohar Lal Bhatia, 3, Sri Roshan Lal Bhatia 4, Sri Guru Bukbash Singh sons of Sri Sawan Mal Bhatia Partners of M/s Bhatia Safe works 47, Factory area Fazalganj, Kanpur.

(Transferor)

(2) M/s Malik Traders Regd. Partnership 111 A Mahatma Gandhi road Bombay through Sri Tilak Raj Schgal s/o Sri Jeet Ram Sehgal r/o 7/183 J, Swaroop Nagar, Kanpur Regd. Partner Firm M/s Malik Traders.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. Plot No. 36-37 Block T Scheme No. 1 Factory area Fazal-ganj, Kanpur measuring 10188 sq. yds. situated at 123/383 Factory area Fazalganj, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 340.900/-

> VDAY BHARGAVA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Kanpur

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th August 1976

Rcf. No. F. No. Acq/1071/Kanpur/75-76/971.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'snid Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at

Kanpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Shri Bhagwat Pd. Tiwari 2. Sri Raj Kumar Tiwari sons of Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari 3. Smt. Gulab bai w/o Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari all r/o 281, Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

(2) I. Sri Chedi Lal 2. Sri Chhaji Lal sons of Sri Ram Narøin r/o Guttaya Bazar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Plot No. 44 measuring 193 sq. yds. and one sq. ft. situated at Mauza Bary Akbarpur Distt. and Parg, Kanpur. transferred for an apparent consideration for Rs. 11,586.67,

> VIJAY BHARGAVA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-8-1976 Seal :

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) PART III-SEC. 1]

FORM ITNS_____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/130/76-77/963 .--- Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'Said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)

in the office of the Registering Officer at

Kanpur on 9-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

21-216 GI/76

Date : 7-8-1976

(1) Shri Hazi Abdul Hafiz s/o Mohd. Ramjani r/o 76/384, Coolie Bazar, Kanpur.

(Transferor)

7629

(2) Shri Musami Riyast Hussain s/o Sri Shekh Mohd. Honshal r/o 93/59. Nai Sarak, Kanpur,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : -- The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 94/90 measuring 122.2 sq. yds. situated at Nai Sarak, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 70,000/-.

> VIJAY BHARGAVA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kanpur

Seal :

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) [PART III-Sec. 1

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

CEFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th August 1976

Ref. F. No. Acq/1140/Agra/75-76/964.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 26-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

Date : 7-8-1976 Seal :

 Shri Gyan Chand Verma s/o Late Asha Singh Ji r/o Choti Athai Nai Ki Mandi, Agra.

(Transferor)

(2) 1. Shri Sita Ram 2. Sri Radhey Shyam sons of Sri Ram Pd. Jatav 3. Smt. Maya Devi w/o Sri Sita Ram
4. Smt. Chameli Devi w/o Sri Radhey Shyam all r/o Panja Madarsa Belanganj, Agra.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 14/18 measuring 313 sq. yds. situated Athai Khurd Nai Ki Mandi, Agra, transferred for an apparent consideration for Rs. 47,000/-.

VUAY BHARGAVA

Competent Authority, Inspecting Assistant Commissione of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

763**0**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1124/Roorkee/75-76/967.—Whereas, I. VIJAY BHARGAVA,

being the competent authority under section 269B

of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to

believe that the immovable property, having a fair market

value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described

in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Roorkee on 26-12-1975,

for an apparent consideration which is less than

the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said -Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, mamely:-- (1) 1. Shri Jai Pal 2. Sri Raja Ram sons of Lakhi Ram r/o Village Syedpura Parg Manglore, Teh. Roorkee Distt. Saharanpur.

(Transferor)

(2) 1: Shri Surendra Pal Tyagi s/o Sri Hukum Singh 2. Sri Manoj Kumar (Minor) s/o Sri Bishamber Father. (Self): r/o, Village Tansipur Parg Bhagwanpur Teh. Roorkee Distr., Sabaranpur:

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesnid persons within a period of
 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Immovable property Khasra No. 42/2 measuring 9 bigha, 4 bishwa and situated Village Sycdpura Parg Manglore Teh. Roorkee Distt. Saharanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 28,500/-.

VIJAY BHARGAVA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Kanpur

Date : 7-8-1976 Seal :

(1) Shri Sri Anil Gupta s/o Sri Krishna Lal Gupta r/o Bombay.

(Transferor)

 (2) Shri Daulat Ram s/o Sri Topan Dass r/o, 111/93, Ashok Nagar, Kanpur.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 9th August 1976

Ref F. No. Acq/949-A/Kanpur/75-76/972.---Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Kanpur on 6-12-1975,

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforcsaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely:— Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property 1679 measuring 4.4, bigha situated at Village Bary Akbarpur Distt., Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 65,000/-.

VIJAY BHARGAVA

Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 9-8-1976 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 14th July 1976

Ref. No. $95-R(\Lambda)/Acq$ —Whereas, I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a (air market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot which is situated at Chandpur Mohalla Bazar (Near Jama Masjid) Bijnore.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforcsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Surendra Kumar Jain & others.

(Transferor)

(2) Shri Rehmatullah & others.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

A freehold plot which is situated at Mohalla Bazar Near (Jama Masjid) Bijnore. In East house of Kasavan, West Govt. Road, North house of Kasavan & in South Araji Chandi Prasad.

A. S. BISEN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 14-7-1976 Scal : 7634

[PART III-SEC. 1

(1) Shri Kirti Prakash & others.

(Transferor)

(2) Shri Rahmatullah & others.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A freehold plot which is situated at Chandpur Mohalla Bazar near Jama Masjid Distt. Bijnore. In east house of Kasvan, west house of Lallu then Govt, road, north Araji Chandi Prasad and in South way of Badlu Jama Maszid,

> A. S. BISEN Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 14-7-1976 Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 14th July 1976

21. No. 95-R(B)/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Plot which is situated at Chandpur Mohalla Bazar near Jama Masjid Distt, Bijnore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indlan Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) 7635 FORM ITNS-(1) Shri Chandi Prasad Jain. ('Transferor) NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME. (2) Shri Rahmatullah & others. TAX ACT, 1961 (43 OF 196!) (Transferee) GOVERNMENT OF INDIA Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE. LUCKNOW (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from Lucknow, the 14th July 1976 the service of notice on the respective persons which-

Ref. No. 95-R(C)/Acq.--Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Plot No. which is situated at Chandpur Moh, Bazar near Jama Masjid, known as Rajawali, Distt. Bijnore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Chandpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income atising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :----

- ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A freehold plot which is situated at Chandpur Moh. Bazar near Jama Masjid known as Rajawali. In east house of Kasavan in west Govt. road, in north Araji Surendra Kumar etc. and in south Araji Kirti Prakash resides.

> A. S. BISEN Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 14-7-1976 Seal :

FORM ITNS-----

(1) Smt. Pyari Phillips.

(Transferor)

(2) Lt. Col. Puran Singh Thapa.

(Transferee)

- Objections, if any to the acquisition of the snid property may be made in writing to the undersigned.
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

A plot building measuring 1.01 acre, 1188.8 Sq. Yds. floorwise plinth area situated at 13, Strachey Road, Allahabad,

> A. S. BISEN Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, ,Acquisition Range, Lucknow

Date : 18-7-1976 Seal ;

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 18th July 1976

Ref. No. 53-P/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN,

being the competent authority,

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,0007- and bearing No. Plot & building measuring 1.01 acre, 1188.8 Sq. Yds.

floor wise plinth area situated at 13, Strachey Road. Allahabad,

(and more fully described in the

Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Allahabad on 3-12-1975,

for an apparent consideration which is less

than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMF-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th July 1976

Ref. No. 23-C/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-, and bearing No. As per schedule No. A Tripple Storied house No. 165 situated at Mohalla Khush hall Parvat, Mahamana Malviyanagar, Allahabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Allahabad on 12-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) in the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the said Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-- 22-216GI/76

(1) Shri Jagannath Prasad.

(Transferor)

(2) Smt. Champa Devi Pai.

(Fransferce)

(3) Shri Jagannath Prasad. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A three storied building measuring $30\frac{1}{2}' \times 309/2'$ with land, boundry wall No. 165 which is situated at Mohalla Khushhall Parvat, Mahamana Malviyanagar, Allahabad.

> A. S. BISEN Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 19-7-1976 Seal : 7638

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th July 1976

Ref. No. 24-L/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN,

bring the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Single Storied house No. 288/35 situated at Arya Nagar, Lucknow,

(and more fully described in the Schedule

annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Lucknow on 12-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons namely : -

(1) Shri Prakash Chandra Saxena.

(Transferor)

(2) Shri Lokesh Kumar Dwivedi.

(Transferee)

(3) Sellers.

- : - - :

(Person in occupation of the property)

(4) None.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATIONS :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single soried house No. 288/35 measuring 1975 Sq. ft. which is situated at Arya Nagar, Lucknow.

A. S. BISEN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 19-7-1976 Seal :

7639

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th July 1976

Ref. No. 96-R/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN.

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. Double storied house No. 12 situated at Kala Dada City, Allahabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 2-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instruments of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

Date : 19-7-1976

(2) Smt. Radhika Devi & others,

(1) Smt. Kamla Devi.

(Transferee)

(Transferor)

(3) Smt. Kamla Devi. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act that have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storied house No. 12 area $25' \times 10'$ which is situated at Kala Dada City, Allahabad.

> A. S. PISEN Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Seal :

FORM ITINS (1) Shri Jaswant Singh.

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 20th July 1976

Ref. No. 54-P/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. House No. 488 Ka/68 situated at Niralanagar, Lucknow, (and more fully described in the Schedule annexed

hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 24-12-1975.

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trnasferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act'. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the afore aid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :---

(2) Shri Prabhat Chandra Pramanik & others. (Transferee)

(3) Seller.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A pukka double storeyed house No. 488 Ka/68, measuring 3,200 sq. ft. situated at Niralanagar, Lucknow,

A. S. BISEN Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 20-7-1976 Seal : (Transferor)

= 15 3

PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

FORM ITNS

(Transferor)

7641

(2) Shri Jaswant Singh Sarna & others.

(Transferee)

(3) Shri Gyan Singh Bajaj. (Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property $u_{t,y}(t)$ made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A bunglow without House, Stables measuring 7,712 sq. ft. which is situated at No. 1 Atal Road, P. S. Sadar Cantt., Lucknow.

A. S. BISEN, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 23-7-1976 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 23rd July 1976

Ref. No. 34-J/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer-

red to as the 'Said Act'), have reason to believe

that the immóvable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Banglow No. 1, situated at No. 1, Atal Road, P. S. Sadar Cantt., Lucknow,

(and more fully described in the

schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 15/16-12-1975,

for an apparent consideration which is less

than the fair market value of the aforesaid property and 1 have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely:— FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 24th July 1976

Ref. No. $35-J(\Lambda)/\Lambda cq.$ -Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereafter referred to as the 'Said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 537-25, 536-18, 652-19-33, 656K-6-45 situated at Khairabad Teh & Parg Khairabad Distt Sitapur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Sitapur on 24-12-1975

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shampa Devi widow of Late Sri Madhu Sudan. (Transferor)

(2) Shri Jageer Singh & Others.

(Transferce)

(3) Smt. Shampa Devi and others. (person in occupation o fthe property)/

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land No. 537/-25, 536/-18, 652/19-23 and 656/6.45 which is situated at village Dasailiya Teh and Parg Khairabad Distt. Sitapur.

A. S. BISEN, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 24-7-1976 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th July 1976

Ref. No. 9-JS(A).-Whereas, I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. D-53/92-93 situated at Kamachchha, Varanasi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under

the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Varanasi on 18-12-1975

for an apparent consideration which is less than the

fair market value of the aforesaid property and J have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) Dr. Dharam Pratap.

(Transferor)

(2) Sampati Sewa Sansthan (Regd. Partnership Firm) and others.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Plot of land No. D-53/92-93 measuring about 15797 sq. ft. with boundrywall situated at Kamachebha, Varanasi,

> A. S. BISEN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Lucknow

Date : 29-7-1976 Seal : FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 169D(I) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th July 1976

Ref. No. 9-1(C)/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. D-53/92-93 situated at Kamachchha, Varanasi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Varanasi on 18-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :--- (1) Smt. Shakuntala and others.

(Transferor)

(2) Sampati Sewa Sansthan (Regd, Partnership Firm) and others. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Plot of land No. D-53/92-93 measuring about 15797 sq. ft. with boundrywall situated at Kamachehha, Varanasi.

A. S. BISEN, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Lucknow

Date : 29-7-1976 Seal :

FORM ITNS	(1) Smt. Probodh Bala. (Transferor)
NOTICE UNDER SECTION 169D(I) OF THE INCOME-	
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)	(2) Shri Jagdish Chandra. (Transferee)
GOVERNMENT OF INDIA	
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW Lucknow, the 29th July 1976 Objections, if any, to the acquisition of to may be made in writing to the undersigned :- (a) by any of the aforesaid persons v of 45 days from the date of publ notice in the Official Gazette 30 days from the service of notice of persons whichever period expires late	
Ref. No. $36\text{-J}/\text{Acq.}$ -Whereas, I. A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 262/ and 108 situated at Chak Raghunath Pur Naini District Allahabad. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 16-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair mar- ket value of the aforesaid property and I have reason to be- lieve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration $\frac{1}{2}$ and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of	 (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the dat of the publication of this notice in the Officia Gazette. EXPLANATION :The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of th said Act, shall have the same meaning given in that Chapter.
 (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or 	THE SCHEDULE
	A double storeyed house bearing No. 262 and 108 situate at Chak Raghunathpur Naini Distt. Allahabad.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

23—216G1/76

A. S. BISEN. Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 29-7-1976 Seal ;

FORM	ITNS	(1) Shri Baladin Ram Jaiswal and others.	
		[]	Fransferor)
TICE UNDER SECTION 269D(1)	OF THE		
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF	1961)	(2) Smt. Kamla Devi Jaiswal.	
			Fransferee)
GOVERNMENT OF INDIA			
		Objections, if any, to the acquisition of the said	property

• · · · · · · ·

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of

may be made in writing to the undersigned-

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land No. 5 measuring 2222 sq. fts, situated at Mohalla Maldahiya Varanasi City,

> A. S. BISEN. Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 29-7-1976. Seal :

NOT I

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th July 1976

Ref. No. 53-K/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 5 situated at Mohalla Maldahiya Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Varanasi on 19-12-1975,

for an apparent consideration which is less than

the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been

truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

7647

FORM ITNS	(1) Smt. Sumitra k	
NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)	(2) Shri Baikunth	
GOVERNMENT OF INDIA	Objections, if any to may be made in writing	
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT		
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,	(a) by any of the	
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW	45 days from in the Official the service of n	

Lucknow, the 5th August 1976

Ref. No. 67B/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN, being the competent authority under

Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 8-A etc. situated at Village Mahammadi Badaun,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Badaun on 19-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee, for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Subsection (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :----

Zunwar.

(Transferor)

Nath.

(Transferee)

the acquisition of the said property to the undersigned.-

- aforesaid persons within a period of he date of publication of this notice Cazette or a period of 30 days from otice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 13 Bigha, 2 Biswa, 19 Biswansi, situated at Village, Mohammadi, Distt. Badaun.

> A. S. BISEN. Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date 5-8-1976 Seal,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 5th August 1976

Ref. No. 54-K/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One house Single storied situated at Village Pargna and Teh. Balrampur Distt. Gonda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gonda on 24-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Janki Devi.

(Transferor)

(2) Smt. Kosum Devi.

(Transferce)

(3) Transferce. (Person in occupation of the property)

(4) Transferor. (person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever, period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storied house measuring 6110 sq. ft. which is situated at Village Pargna and Teh. Balrampur Distt. Gonda.

> A. S. BISEN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 5-8-1976 Seal :

7648

(Transferor)

(Transferce)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 5th August 1976

Ref. No. 55-K/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. One house Single storied situated at Village Pargna and Teh. Balrampur Distt. Gonda,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Gonda on 24-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— (1) Smt. Janki Devi.

(2) Smt. Kailash Singh.

(3) Transferee.

(person in occupation of the property)

(4) Transferee.

(person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storied house measuring 5330 sq. ft. which is situated at Village Pargna and Tch. Balrampur Distt. Gonda.

> A. S. BISEN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 5-8-1976 Seal :

) one, succe soon

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 6th August 1976

Ref. No. 56-K/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter

referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot 733 sq. yds. situated at Moh. Khursheed Village Distt. Rampur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Rampur on 23-12-1975, for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforcsaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Subsection (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely:— (1) Smt. Mumtaz Dulhan Begum.

(Transferor)

(2) Shri Kareem Bux alias Bhura. (Person in occupation of the property)

(Transferee)

(3) Smt. Mumtaz Dulhan Begum.

Objections if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot measuring 733 sq. yds. which is situated at Moh. Khursheed Village Distt. Rampur.

A. S. BISEN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

Date : 6-8-1976 Seal :

7650

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898) 7651 FORM ITNS (1) Smt. Mumtaz Dulhan Begum. (Transferor) NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE (2) Smt. Nand Kumari and others. INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (Transferee) **GOVERNMENT OF INDIA** (3) Smt. Mumtaz Dulhan Begum. (Person in occupation of the property) OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, LUCKNOW Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-Lucknow, the 6th August 1976 (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of Ref. No. 18-N/Acq.-Whereas, I, A. S. BISEN, 30 days from the service of notice on the respective being the Competent Authority under Section 269B of the persons, whichever period expires later; Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing b) by any other person interested in the said immov-No. Plot 11541 sq. yds. situated at Moh. Khursheed village able property within 45 days from the date of the Distt. Rampur, publication of this notice in the Official Gazette. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as at Rampur on 23-12-1975, are defined in Chapter XXA of the said Act for an apparent consideration which is less shall have the same meaning as given in than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the that Chapter. property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;---(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act. in THE SCHEDULE respect of any income arising from the transfer; and/or A plot measuring 11541 sq. yds. which is situated at Moh. Khursheed Village, Distt. Rampur, (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922

> **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

A. S. BISEN,

Date : 6-8-1976 Scal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Act, 1957 (27 of 1957);

(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax

FORM ITNS	(1) Smt. Mumtaz Dulhan Begum.	(Transferor)
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)	(2) Shri Om Prakash and others.	(Transferee)
	(3) Transferor	

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 6th August 1976

Ref. No. 9--0/Acq.—Whercas, I. A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot 11631 sq. yds. situated at Mohalla Compound Khursheed Vila, Rampur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Rampur on 23-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liab/ility of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 26°D of the 'Said Act' to the following persons, namely:--) Transferor. [Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot measuring 1163¹ sq. yds. situated at Mohalla Compound Khursheed Villa, Rampur.

A. S. BISEN, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

Date : 6-8-1976 Seal :

PART III SEC, 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I,

> 4/14A, ASAF ALL ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi-1, the 11th August 1976

Paf. No. 1AC/Acq.1/SRIII/1038/Dec(12)/75-76.--Whereas, I, C. V. GUPTE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

25/156-156A, Lajpat Nagar

situated at New Double Storey, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 9-12-1975.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--- (1) Shri Sunder Das Motiani s/o Shri Jhamumal.
 r/o D-44, Amar Colony, New Delhi through his special attorney Shri Madan Lal s/o
 Shri Mohan Lal. r/o
 K-II/101, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferor)

 Slati Murli Dhar Upadhyaya s/o Late Shri Kamta Parshad Upadhyaya r/o C-16, Nizamuddin East, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. 25/186-186A. New Double Storey, Lajpat Nagar-IV, New Delhi.

C, V. GUPTE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 11-8-1976 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi-1, the 12th August 1976

Ref. No. IAC/Acq.1/SRIII/1056 Dec.II(22)/75-76.--Whereas. J. C. V. GUPTE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.

C-I, situated at Soami Nagar, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 30 12-1975

New Delhi on 30-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

(1) Snit. Radha Kumari w/o Sh. R. Dayal r/o C-25, Soami Nagar, New Delhi.

(Transferer)

(Transferee)

(2) Shri Bhagwan Rai Sharma s/o Shri Ludhu Ram Sharma r/o C-11, Soami Nagar, New Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days fro the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold residential plot of land measuring 300 sq. yds together with an incomplete construction thereon bearing No. C-1, forming part of the Soami Nagar Colony near village Chirag Delhi, New Delhi in the state of Delhi and bounded as under :--

North-Plot No. C-2 South-Plot No. B-1 East-15' wide service Road West-36' wide road

> C. V. GUPTE Competent Authority ' Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 12-8-1976 Scal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

7654